Par. 8. 17. II. 11. 53
285

अंक २ | बृहस्पतिवार
संख्या ११ | १६ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३०२५—३०७३]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३०७३ —३११२]

(मूल्य ४ आने)

241 P.S.D.

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

वृहस्पतिवार, १६ अप्रैल १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कपास की खेती

*१३४०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ वर्ष में कितनी एकड़ भूमि पर कपास की खेती हुई थी ; तथा

(ख) क्या सरकार का विचार इस वर्ष कपास की खेती में वृद्धि करने का है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से लगभग १३७ लाख एकड़ ।

(ख) इस समय जितने एकड़ों पर खेती हो रही है उसको ध्यान में रखते हुये वृद्धि करने की गुंजाइश है । परन्तु सरकार चाहती है कि इतने ही क्षेत्र में अधिक उत्पादन हो ।

डा० राम सुभग सिंह : १९५२-५३ में जितने एकड़ भूमि पर कपास की खेती हुई है क्या वह पिछले वर्षों के मुक़ाबले म अधिक है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वास्तव में, इसमें भिन्नता है, किन्तु वृद्धि हुई प्रतीत होती है । १९५०-५१ में २४ लाख एकड़, १९५१-५२ में १६ लाख एकड़ की वृद्धि हुई थी । जब कि इस वर्ष मेरे विचार में ०.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

डा० राम सुभग सिंह : गिरावट के क्या कारण हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुख्यतया यह वर्षा पर निर्भर करता है । यदि समय पर वर्षा हो जाती है तो कपास की खेती होती है । यदि वर्षा में देर होती है तो वे कपास की बजाय अन्य फ़सल बो देते हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या निश्चित लक्ष्य तक उत्पादन पहुंच गया था तथा क्या प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हुई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : वर्ष १९५२-५३ के सम्बन्ध में अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ; किन्तु जो प्रगति हुई है उससे हम सन्तुष्ट हैं । फिर भी हम अपने लक्ष्य तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाये हैं ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि जितनी भूमि अभी कपास उत्पन्न करती है उससे बढ़ने की सम्भावना है । तो इस बढ़ने से जहां पर अनाज उत्पन्न होता है उस भूमि में तो कमी नहीं हो जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम यह इन्टीग्रेटेड प्लान के मुताबिक़ कर रहे हैं जिसमें हम यह चाहते हैं कि अनाज की भी बढ़ोतरी

हो जाये और कपास भी ज्यादा हो । इसमें कुछ शंका या भय करने की आवश्यकता नहीं है । यह उस प्लान के मुताबिक़ हो रहा है ।

बेकारी

*१३४१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत में सेवा योजनालयों के महानिदेशालय द्वारा किये गये एक विशेष पर्यालोकन के फलस्वरूप यह पता लगा है कि शिक्षित बेकार व्यक्तियों की संख्या, जो पिछले अक्तूबर, तक अपने आप को पंजीबद्ध कर चुके थे, लगभग १३ लाख है ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि यह आंकड़े अधिकतर भारत के बड़े बड़े शहरों के सम्बन्ध में हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : जी नहीं । ठीक आंकड़े हैं १,२६,४९८ ।

(ग) जी नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : समस्त भारत में बेकारों की तेजी से बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार दिलाने के उपायों पर विचार किया है ?

श्री वी० वी० गिरि : निस्सन्देह सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षित बेकारों को और अधिक सूझबूझ से काम लेना चाहिये । उदाहरण के लिये 'भूदान' आन्दोलन को ही ले लीजिये, यदि शिक्षित बेकार चाहें तो इस प्रकार की भूमि से लाभ उठा सकते हैं तथा सहकारी उद्योग धन्धे आदि जारी कर सकते हैं । इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना ज्ञात करना नहीं है ; यह तो सुझाव रखना और तर्क करना है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : सेवा योजनालयों द्वारा सरकार ने कितने प्रतिशत बेकार व्यक्तियों को नौकर रखा है तथा ग़ैर-सरकारी फ़र्मों ने कितने प्रतिशत बेकार व्यक्तियों को नौकर रखा है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं इस समय एक दम से उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्री एच० एन० शास्त्री : हाल ही में दिये गये अपने भाषणों में माननीय श्रम मंत्री ने बेकारी की समस्या की जांच करने के सम्बन्ध में जिस समिति का संकेत किया है वह सरकार द्वारा कब तक नियुक्त की जाने वाली है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह एक बहुत बड़ी समस्या है तथा मैं माननीय सदस्य को बतला दूं कि यह बात मैं ने सरसरी तौर पर कह दी थी कोई व्यावहारिक सुझाव नहीं है ।

श्री केलप्पन : बेकारों की संख्या में प्रति वर्ष और कितने शिक्षित बेकार बढ़ जाते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री नम्बियार : शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी दूर करने के सम्बन्ध में सरकार कौनसी प्रभावी कार्यवाही कर रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : सामूहिक परियोजना, पंचवर्षीय योजना आदि कार्यान्वित की जा रही है, जिससे अनेक लोगों को काम करने का अवसर प्राप्त होता है तथा इन सब से अन्त में बेकारी दूर हो जायेगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जो आंकड़े बतलाये गये हैं उन में कितने प्रतिशत टेकनीशियन हैं तथा कितने प्रतिशत क्लर्क ?

श्री वी० वी० गिरि : जहां तक शिक्षित बेकार व्यक्तियों का सम्बन्ध है, जो इस समय पंजीबद्ध हैं ; उनका व्यौरा इस प्रकार है :

मैट्रीकुलेट	९२,७६७
इन्टरमीडियेट पास	११,६०२
इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट	८३२
डाक्टरी	१५०
अन्य	१४,३६८
कुल	१,२०,०१६

३१ दिसम्बर, १९५२ को।

उत्तर रेलवे मंत्रणा समिति

*१३४२. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में उत्तर रेलवे मंत्रणा समिति की कोई बैठक हुई थी ;

(ख) क्या सरकार का विचार सदन पटल पर बैठक की रिपोर्ट तथा उसके द्वारा की गई सिफ़ारिशों को रखने का है; तथा

(ग) इन सिफ़ारिशों पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । २०-१-१९५३ को ।

(ख) स्थानीय मंत्रणा समिति की बैठकों की कार्यवाही गुप्त होती है । फिर भी, बैठकों के संक्षिप्त विवरण की दो प्रतिलिपियां माननीय सदस्यों के प्रयोग के लियं सदन के पुस्तकालय में रख दी जायेंगी ।

(ग) कुछ सिफ़ारिशों की परीक्षा की जा चुकी है तथा जहां आवश्यक था कार्यवाही भी कर दी गई है ; अन्य पर अभी विचार किया जा रहा है ।

श्री नम्बियार : माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में जिन स्थानीय मंत्रणा समितियों का संकेत किया था वे वर्तमान मंत्रणा बोर्डों के स्थान पर कब तक स्थापित की जायगी ?

श्री शाहनवाज खां : हम ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति कर ली है । परन्तु प्रगति उतनी संतोषजनक नहीं हुई है जितनी कि हम चाहते थे । फिर भी, हम उन्हें शीघ्रता से स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री नम्बियार : रिपोर्टों को गुप्त क्यों रखा जाता है जब कि मंत्रणा बोर्डों की सिफ़ारिशें जनता तथा यात्रियों के लाभ के लिये ही कार्यान्वित की जानी हैं ?

श्री शाहनवाज खां : क्यों कि वे गुप्त होती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सदन के पुस्तकालय में रखा जायेगा और वे जब वहां रख दी जायेंगी तो वे गुप्त कैसे रह सकती हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन स्थानीय मंत्रणा समितियों को पहले ही समाप्त कर दिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जी हां, उन्हें समाप्त कर दिया गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मंत्रणा बोर्डों के स्थान पर मंत्रणा समितियां स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

श्री शाहनवाज खां : वास्तव में, स्थानीय मंत्रणा समितियों के कृत्य लगभग वहीं हैं जो स्थानीय परामर्श समितियों के थे । परन्तु रेलों के नये पुनर्सगठन के साथ साथ हम ने इस प्रणाली में भी परिवर्तन करना आवश्यक समझा ।

क्षय रोग के सम्बन्ध में संक्रामक रोग अनुसंधान

*१३४३. **श्री वी० पी० नायर** : (क) स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने क्षय रोग के सम्बन्ध में संक्रामक रोग अनुसन्धान करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् को अनुदान दिया है और यदि हां, तो अनुदान की राशि क्या है ?

(ख) किस प्रकार का काम किया जाना है तथा क्या भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने मंजूर की गई अनुदान राशि के खर्च किये जाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव रखे हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) क्षय रोग के सम्बन्ध में संक्रामक रोग अनुसन्धान करने की योजना के लिये भारत सरकार भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् को वर्ष १९५३-५४ के वास्ते अनुदान देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ख) इस अनुसन्धान का उद्देश्य है भारतीय परिस्थितियों में विभिन्न क्षयरोग नाशक उपायों की तुलनात्मक उपयोगिता का निर्धारण करना । भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् इस अनुदान को अनुसन्धान कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते देने और अन्य आपातिक व्यय पर खर्च करेगी।

श्री वी० पी० नायर : क्या इस अनुसन्धान योजना में आंकड़ा-सम्बन्धी तथा साथ ही प्रयोगात्मक संक्रामक रोग शास्त्र की भी व्यवस्था की गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां :

श्री वी० पी० नायर : क्या क्षय रोग से पीड़ित औद्योगक मज़दूरों के सम्बन्ध में संक्रामक रोग शास्त्र का अध्ययन किया जायेगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : निस्सन्देह, श्रीमान् ।

श्री वी० पी० नायर : भारत के औद्योगिक मज़दूरों में क्षयरोग का आपात जानने के लिये इस योजना के अन्तर्गत कौन सी विशेष कार्यवाही की जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : योजना अभी आरम्भ ही की गई है ; वास्तविक बातों को अभी विस्तार में नहीं रखा गया है । मैं इस बात की इच्छक हूं कि औद्योगिक मज़दूरों में क्षय रोग के आपात का पर्यालोक किया जाये ।

श्री वी० पी० नायर : क्या इस प्रयोगात्मक संक्रामक रोग शास्त्र के अध्ययन में प्रयोगशालाओं में जानवरों पर भी प्रयोग किये जायेंगे ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इन विस्तार की बातों पर विचार करना होगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मंत्री ने कर्मचारियों के वेतन आदि देने के सम्बन्ध में अनुदान के आंकड़े दिये हैं । परन्तु अनुसन्धान का वास्तविक व्यय कौन सहन करता है ?

राजकुमारी अमृतकौर : भारत सरकार भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् को राशि दे देगी । योजना में इस समय ३.२६ लाख रुपये के व्यय करने की व्यवस्था है जिसमें से एक लाख रुपया इस वर्ष के लिये रखा गया है । इसके अलावा, उपकरण, यातायात गाड़ियों, चलते फिरते औषधालयों आदि के लिये हमें अन्तर्राष्ट्रीय सहायता भी मिलेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी विशेषज्ञ को देने की व्यवस्था की है तथा क्या अनुसंधान संगठन को कोई सामान दिया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोपेनहैगन स्थित क्षयरोग अन-

संधान कार्यालय ने विशेषज्ञ दिये हैं तथा सामान भी दिया है जैसे यातायात गाड़ियां, चलती फिरती एक्सरे गाड़ियां, एक्सरे फ़िल्म आदि ।

जल यातायात का पर्यालोकन दल

*१३४४. **श्री एस० एन० दास :** क्या **यातायात** मंत्री मेरे द्वारा अन्तर्देशीय जल यातायात के सम्बन्ध में २२ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९५४ के बारे में दिये गये उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा बतलायेंगे :

(क) क्या सरकार को अब तक अन्तर्देशीय जल यातायात के पर्यालोकन दल की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा कौन सी योजना बतलाई गई है ;

(ग) उसने और कौन सी सिफ़ारिशें तथा सुझाव रखे हैं ; तथा

(घ) क्या सरकार ने रिपोर्ट पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं, आशा की जाती है कि एशिया तथा सुदूर पूर्व का आर्थिक आयोग अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, १९५३ तक अन्तिम रूप से तैयार कर लेगा ।

(ख) तथा (ग) . आशा की जाती है कि अन्तिम रिपोर्ट में जो सिफ़ारिशें की जायेंगी वे अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों से बहुत अधिक भिन्न न होंगी । और अन्तरिम रिपोर्ट का उल्लेख माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट उत्तर में कर दिया गया था ।

(घ) संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा दिये गये एक अन्तर्देशीय जल यातायात विशेषज्ञ से परामर्श कर के जहाज़ खींचने वाले स्टीमरों की सहायता से अग्रिम परियोजना बनाने के कार्य में और प्रगति हुई है । अन्य सिफ़ारिशों पर भारत सरकार राज्य सरकारों की राय ले कर विचार करेगी ।

श्री एस० एन० दास : श्री जे० जे० सूरी ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को जो रिपोर्ट दी थी क्या वह भारत सरकार को प्राप्त हो गई है तथा क्या उसने उस पर विचार करके कोई निश्चय किया है ?

श्री अलगेशन : उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संगठन को एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है । उन्होंने अपने सुझाव अन्तर्देशीय जल यातायात बोर्ड के सामने भी रखे थे ।

श्री एस० एन० दास : क्या दक्षिण भारतीय नदियों के लिये एक दूसरा अन्तर्देशीय जल यातायात बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री अलगेशन : ठीक नदियों के ही लिये नहीं । त्रावनकोर-कोचीन राज्य में एक अन्तर्देशीय जल यातायात बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री एस० एन० दास : गंगा तथा रामपुर यातायात बोर्ड ने अब तक अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया है ?

श्री अलगेशन : अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । मामला अब भी विचाराधीन है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस अन्तर्देशीय जल यातायात बोर्ड ने बंगाल तथा आसाम के बीच नदी द्वारा एकाधिपत्य यातायात के प्रश्न पर, विशेष कर, चाय-बागीचों के सामान तथा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में, विचार किया है ?

श्री अलगेशन : इस विशेष पहलू का उत्तर देने के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री दामोदर मेनन : क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अन्तर्देशीय जल यातायात उद्योग का विकास करने के सम्बन्ध में कोई योजना दी है ?

श्री अलगेशन : अभी तक नहीं ।

कोयलाखान भविष्य निधि

*१३४५. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला खान भविष्य निधि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के स्तर पर ले आई गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इसको कार्यान्वित किया गया है ?

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (ग) तक . मामला विचाराधीन है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या कोयला मालिकों ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि भविष्य निधि तथा निवृत्ति-वेतन में तब तक कोई वृद्धि न की जाये जब तक कोयले का दाम न बढ़ा दिया जाये ?

श्री वी० वी० गिरि : यह सच नहीं है । कोयला खान भविष्य निधि के न्यासधारी बोर्ड ने इस बात का समर्थन करते हुये एक संकल्प पारित किया था कि यह निधि भी नियोजक भविष्य निधि अधिनियम के स्तर पर ही ले आई जाये ।

श्री एस० सी० सामन्त : वर्ष १९५२ में नियोजकों ने कितनी राशि दी है और जब इस मामले पर विचार किया जायेगा तो क्या अन्तर पड़ेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री नम्बियार : इस योजना के अनुसार कर्मचारियों को ६ १।४ प्रतिशत या १२ १।२ प्रतिशत भविष्य निधि में देना पड़ता है ?

श्री वी० वी० गिरि : ६ १।४ प्रतिशत ।

श्री नम्बियार : क्या नियोजकों को भी उतनी ही राशि देनी पड़ती है और यदि हां, तो क्या उन्हें ब्याज मिलता है और यदि हां तो किस दर पर ?

श्री वी० वी० गिरि : माननीय सदस्य अधिनियम का निर्देश कर सकते हैं । मैं इस समय विस्तार की बातें नहीं बतला सकता हूं ।

त्रिबनीगंज के लिए तार सम्बन्धी सुविधायें

*१३४६. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार से यह अभ्यावेदन किया गया है कि बिहार के सहरसा ज़िले में त्रिबनीगंज बाज़ार के लोगों के लिये तार सम्बन्धी सुविधाओं में विकास किया जाये ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सत्य है कि स्थानीय लोगों ने घाटा पूरा करने का भार स्वयं अपने ऊपर लेना स्वीकार कर लिया है तथा कार्यालय के लिये स्थान भी देना स्वीकार कर लिया है ?

श्री जगजीवन राम : हम ने इस बारे में कुछ नहीं सुना है । यदि स्थानीय लोग घाटे को पूरा करने के लिये तैयार हैं तो काम शीघ्र आरम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : ग्राम्य क्षेत्रों में तार घर किन शर्तों पर खोले जाते हैं ?

श्री जगजीवन राम : इसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा चुका है। जहां कहीं भी ५००० की आबादी है हम एक तार घर खोल देते हैं तथा ५०० रुपये तक का घाटा सहते हैं । इस विशेष स्थान पर आबादी ५००० से कम है अतः इस पर अनुमति सीमा लागू नहीं होती । हम पोस्ट-मास्टर जनरल से पहले ही इस पर विचार करने के लिये कह चुके हैं तथा यदि सम्भव हुआ तो गैर-विभागीय कर्मचारियों को रख कर घाटा कम किया जा सकता है । जैसे ही जांच पूरी हो जायेगी तथा यह पता लग जायगा कि घाटे की सम्भावना नहीं है या लोग घाटे को पूरा करने के लिये तैयार हो जायेंगे हम काम आरम्भ कर देंगे ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या यह नीति समस्त भारत पर लागू होगी—मेरा अभिप्राय आबादी की कमी तथा अन्य चीजों से है ?

श्री जगजीवन राम : निस्सन्देह ऐसा ही है । यह नीति समस्त देश के लिये है ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न, संख्या १३४७ ।

डा० पी० एस० देशमुख : इसी विषय पर एक और प्रश्न भी है, श्रीमान्—संख्या १३५५ । मेरा सुझाव है कि उसे भी साथ ही रख दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य, श्री बुच्चिकोटैय्या सदन में उपस्थित हैं ?

माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : इस का उत्तर दिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, केवल प्रश्न संख्या १३४७ ।

मधुमक्खी पालन उद्योग

***१३४७. सरदार ए० एस० सहगल :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास मधु-मक्खी पालन उद्योग को लोकप्रिय बनाने की कोई योजना है ?

(ख) क्या सरकार का विचार भारत में शहद का उत्पादन बढ़ाने का है ?

(ग) भारत में कुल कितना शहद उत्पन्न होता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) मधु-मक्खी पालने को कुटीर उद्योग के रूप में लोकप्रिय बनाने का काम राज्य सरकारों का है फिर भी, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् इसके अनुसन्धान पहलू के सम्बन्ध में सहायता दे रही है ।

मधु-मक्खी पालने के उद्योग का विकास करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

मधु-मक्खी पालन से सम्बन्ध रखने वाली कुछ मूलभूत समस्याओं पर अनुसन्धान करने के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने दो प्रादेशिक मधु-मक्खी पालन अनुसन्धान स्टेशन स्थापित किये हैं, एक उत्तर में (कुलू, पंजाब) तथा दूसरा दक्षिण में (कोएम्बटूर, मद्रास) ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में भारतीय मधु-मक्खी की आकृति तथा जीव सम्बन्धी अध्ययन के लिये परिषद् ने एक योजना भी मंजूर कर ली है ।

(२) राज्यों में कृषि-विस्तार सम्बन्धी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में मद्रास, पंजाब, मैसूर, बम्बई, उड़ीसा तथा हैदरा-

बाद राज्यों ने अपने पाठ्यक्रमों में मधु-मक्खी पालन भी शामिल कर लिया है ।

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने एक खादी तथा गांव उद्योग बोर्ड स्थापित किया है और इस बोर्ड ने एक उत्पादन प्रोग्राम कमेटी नियुक्त की है जो वर्ष १९५३-५४ में कार्यान्वित करने के लिये गांव उद्योगों की एक योजना तैयार करेगी जिसमें मधु-मक्खी पालन भी शामिल होगा । इस कमेटी की सिफ़ारिशें हाल ही में उपलब्ध हो जायेंगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने इस कार्य के लिये कितनी राशि मंजूर की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वर्ष १९५३-५४ के लिये ९७,११० रुपये मंजूर किये गये ह ।

श्री जोशिम अल्वा : अनुसंधान परिषद् के अधिकारीगण अनुसंधान कार्य करते हैं या वे महत्वपूर्ण मधु-मक्खी केन्द्रों, जैसे उत्तर कनारा ज़िला, का पर्यालोकन करते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : अनुसंधान कार्यकर्त्ता ऐसा नहीं करते । परन्तु कृषि मंत्रालय इस बात की देखभाल करता है ।

श्री नानादास : वे देश कौन से हैं जहां मधु-मक्खी पालन वाणिज्यक आधार पर सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है तथा क्या हम ने उन देशों से कोई पाठ सीखा है ।

डा० पी० एस० देशमुख : हमें मालूम है कि विश्व के विभिन्न देशों में मधु-मक्खी पालने का विकास हो रहा है किन्तु उन सब की यहां पर पूरी सूची देना सम्भव नहीं है । परन्तु हम ने उनके अनुभव तथा अनुसंधान से लाभ उठाने का प्रयत्न किया है ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि यहां पर कितने शहद की उत्पत्ति होती है, इसके अंक नहीं हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या बाहर से यहां भी शहद आता है और यदि आता है तो कितना आता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो कामर्स एण्ड इंडस्ट्री विभाग से पूछना होगा ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार बतला सकती है कि भारत के जंगलों में कितना जंगली शहद उत्पन्न होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ऐसी बातों के पीछे नहीं दौड़ते । यह बातें हम औरों के लिये छोड़ देते हैं ।

सरकारी संस्थाओं को पेनीसिलीन की सप्लाई

*१३४८. **डा० अमीन :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी संस्थाओं के लिये यह अनिवार्य है कि वे सरकारी फैक्टरी में तैयार की गई पेनीसिलीन ही खरीदें ;

(ख) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय तथा राज्य की सरकारी संस्थाओं को यह निदेश दिया गया है कि वे पेनीसिलीन के लिये बाहर से टेण्डर न मांगें ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) तक. केन्द्रीय तथा राज्य की सरकारी संस्थाओं को इस संबंध में कोई विशिष्ट निदेश नहीं भेजे गये हैं कि वे बम्बई में स्थापित किय गये गवर्नमेन्ट

पेनीसिलीन बोटलिंग प्लांट ही से पेनीसिलीन सम्बन्धी अपनी आवश्यकताएं पूरी करे । क्यों कि प्लांट में, शीशियों में, बन्द की गई पेनीसिलीन का जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह पूर्णरूप से प्रतियोगीय है, इसलिए समस्त राज्य सरकारों को एक परिपत्र भेजा गया था कि वे राज्य के सरकारी अस्पतालों तथा डाक्टरी संस्थाओं को यह हिदायत भेज दें कि वे पेनीसिलीन सम्बन्धी अपनी आवश्यकताएं भारतीय पेनीसिलीन कमेटी से पूरी करें । इसी प्रकार को हिदायतें केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं को भी भेज दी गई हैं । भारत में पेनीसिलीन तैयार करने की सरकारी फैक्टरी स्थापित करने की ओर, जो कि इस समय पिम्परी (पूना के पास) में स्थापित की जा रही है, पेनीसिलीन बोटलिंग प्लान्ट का स्थापित किया जाना पहला कदम है। सरकार का विचार है कि सरकारी बोटलिंग प्लांट पूरा का पूरा लाभ उठाया जाय ।

डा० अमीन : भारत में अन्य दूसरी फर्में कौन सी हैं जो पेनीसिलीन को शीशियों में भरती हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे अन्य फर्मों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है किन्तु यदि माननीय सदस्य पृथक् रूप से प्रश्न की सूचना दें तो मैं उत्तर दे सकती हूं ।

श्री ए० एम० टामस : देश के विभिन्न अस्पतालों की अनुमानित आवश्यकता क्या है तथा उसका कितना प्रतिशत यहां शीशियों में भरा जाता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस प्लांट में पेनीसिलीन की १५ लाख मेगा यूनिटें शिशियों में भरी जाती हैं ; किन्तु पूरे वर्ष में ९० लाख या एक करोड़ मेगा यूनिटों की आवश्यकता होती है ।

श्री वी० पी० नायर : इस फैक्टरी में किस प्रकार की पेनीसिलीन भरी जाती हैं, यह प्रोकेन पेनीसिलीन होती है या अन्य किसी प्रकार की ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : सभी प्रकार की पेनीसिलीन ।

गोरखपुर का हवाई अड्डा

*१३४९. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर हवाई अड्डे की देखभाल भारत सरकार करती है ;

(ख) गोरखपुर को वायु सेवाओं से वंचित रखने का क्या कारण है ; तथा

(ग) क्या सरकार का विचार इस हवाई अड्डे को वायु सेवा से सम्बद्ध करने का है, और यदि हां, तो कब ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) किसी भी वायु सेवा के लिये गोरखपुर में वायुयान ठहराने का प्रबन्ध करना सम्भव नहीं हो सका, क्योंकि वहां वायुयानों को रोकने से जो अतिरिक्त खर्च आता है वह वहां प्राप्त होने वाले लाभ से कम होता है । दूसरे शब्दों में गोरखपुर में इतने यात्री उपलब्ध नहीं हैं जिनके लिए वहां वायुयान ठहराया जाय । एयरवेज़ (इण्डिया) को अपनी एक वायुसेवा में इसे शामिल कर लेने की मंजूरी १९५२ में दे दी गई थी, किन्तु उसके रुकने के स्थान के रूप में शामिल किये जाने के पहले ही उस मार्ग पर वायुसेवा बन्द कर दी गई थी ।

(ग) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या यह सत्य नहीं है कि भारत में गोरखपुर चीनी उत्पादन करने वाला सब से बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ?

श्री जगजीवन राम : यदि माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं मान लेता हूं ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि वहां पर २७ चीनी मिले हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य अब यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर वायुयानों को क्यों रुकना चाहिये ।

श्री सिंहासन सिंह : वहां पर २७ चीनी की मिलें तथा एक जूट मिल है और वहां ओ० टी० रेलवे का केन्द्र है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इसका उत्तर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नानादास : किसी क्षेत्र में इस बात का कैसे पता लगाया जाता है कि वहां पर यात्री या माल उपलब्ध हो सकेगा अथवा नहीं ?

श्री जगजीवन राम : यात्री उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं इस बात का रेलवे स्टेशन से दिये जाने वाले पहले और दूसरे दर्जे के टिकटों से पता लगा लिया जाता है क्यों कि यह अनुमान किया जाता है कि यदि वहां पर वायुयानों के ठहरने का प्रबन्ध कर दिया जाय तो रेल के पहले और दूसरे दर्जों में यात्रा करने वाले लोग ही वायुयान से यात्रा करना पसन्द करेंगे । यदि यह पता लगता है कि उस रेलवे स्टेशन से पहले और दूसरे दर्जों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या इतनी नहीं है कि उससे वायुयान कम्पनी की लागत पूरी हो सके तो वायुयान कम्पनियां वहां पर अपने वायुयान रोकने के लिये तैयार नहीं होती ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यातायात का अनुमान तीन या चार साल पहले लगाया गया था तथा क्या सरकार के पास यातायात के सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े हैं ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम ही है कि इस समय वायु-सेवाएं ग़ैर-सरकारी कम्पनियों के हाथ में हैं । जब कभी भी कोई ग़ैर-सरकारी कम्पनी यह देखती है कि किसी विशेष स्थान पर यातायात की सम्भावना है तो वह स्वयं ही वायु यातायात लाइसैंन्सिग बोर्ड से उस स्थान पर वायुयान ठहराने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र देती है तथा वायु यातायात लाइसैंन्सिग बोर्ड समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए या तो लाइसेन्स दे देता है या प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर देता है । जैसा कि मैं ने अभी बतलाया गोरखपुर के लिए एक ग़ैर-सरकारी वायुयान कम्पनी को लाइसेन्स दे दिया गया था किन्तु कम्पनी ने उस मार्ग को लाभदायक नहीं पाया और उसे छोड़ दिया और इसलिये गोरखपुर में वायुयानों के ठहरने का प्रबन्ध न हो सका ।

रुई की गांठों के निर्यात के लिये यातायात सम्बन्धी सुविधायें

*१३५०. **श्री के० पी० सिन्हा** : रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में दिल्ली, फीरोज़पुर तथा अन्य स्टेशनों पर रुई की लगभग एक लाख गांठे यातायात की सुविधायें न होने के कारण पड़ी हुई हैं ?

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में व्यापारियों का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

(ग) यदि हां, तो इन रुई की गांठों को शीघ्र ही भेजने के सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) जी नहीं पता लगा है कि निर्यात के लिए जितनी रुई की गांठों को पंजीबद्ध

कराया गया है और जो उत्तर रेलवे के दिल्ली, फीरोजपुर तथा बीकानेर डिवीज़नों में पड़ी हुई हैं उनकी संख्या एक लाख से कम है। मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं। जिसमें यह बतलाया गया है कि १-१-१९५३ से २१-३-५३ तक कितनी रुई निर्यात की गई तथा २१-३-१९५३ को भेजने से कितनी रुई रह गई। [**देखिए परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २३**]

(ख) जी हां।

(ग) लगभग मार्च, १९५३ के आरम्भ से दिल्ली और फीरोज़पुर डिवीज़नों से रुई को बम्बई भेजने के लिए तदर्थ अभ्यंश निर्धारित कर दिये गये थे। इस प्रबन्ध से रुई को शीघ्र भेजने में काफी सहायता मिली है। फिर भी, बीकानेर के छोटी लाइन डिवीज़न से रुई को भेजने में बहुत सफलता नहीं मिली है क्योंकि सिन्दरी को अधिक मात्रा में जिप्सम भेजना पड़ा था किन्तु रुई के निर्यात के सम्बन्ध में सुधार करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री के० पी० सिन्हा : सरकार को अभ्यावेदन ठीक ठीक कब प्राप्त हुआ था और गांठों को भेजने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अलगेशन : मैं समय तो ठीक ठीक नहीं बतला सकता किन्तु कुछ समय पूर्व अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या फरवरी, मार्च, अप्रैल के तीन महीनों में अन्य वस्तुओं के लिये जहाजों में स्थान रद्द करना पड़ा था तथा इस प्रकार सरकार को विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में कितनी हानि उठानी पड़ी थी ?

श्री अलगेशन : हानि उठाने का कोई प्रश्न नहीं है। विवरण में उन डब्बों की संख्या दी हुई है जिनमें इन तीन महीनों में काम लिया गया था तथा अभी ६०,००० गांठ बकाया है।

श्री के० पी० सिन्हा : सब गांठें कब तक भेज दी जायेंगी ?

श्री अलगेशन : रुई भेजने के लिए हम ने अभी से डब्बों का नियतन बढ़ा दिया है।

पूना तथा अहमदनगर में रहस्यमयी बीमारी

*१३५२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पिछले ड़ेढ़ साल से पूना और अहमदनगर के कुछ भागों में एक रहस्यमयी बीमारी फैली हुई है जिसके लक्षण हैं अधिक प्यास लगना भूख कम होना तथा धीरे धीरे कमजोरी बढ़ना।

(ख) क्या प्रसिद्ध डाक्टर तथा विश्व स्वास्थ्य संस्था तथा अमेरिका की यूनीटेरियन सर्विस द्वारा भेजे गये डाक्टरी दल के सदस्य उक्त बीमारी का कारण तलाश कर रहे हैं और यदि हां, तो उन्हें कहां तक सफलता मिली है ; तथा

(ग) इस बीमारी के कितने लोग शिकार हुए तथा कितने मर गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) अक्तूबर, १९५१ से बम्बई राज्य के अहमदनगर तथा पूना जिलों के भागों में एक बीमारी फैली हुई है जिसके मुख्य लक्षण है बार बार पेशाब लगना तथा प्यास का बढ़ना राज्य सरकार का ध्यान इस ओर सब से पहले फरवरी, १९५२ में गया।

(ख) प्रारम्भिक कार्यवाही की गई तथा राज्य सरकार ने वहां पर एक चलता फिरता अस्पताल भी भेज दिया है जिसमें एक बार में ५० रोगी रखे जा सकते हैं। बीमारी किस प्रकार की है इस सम्बन्ध में

अनुसंधान किया जा रहा है तथा विभिन्न प्रकार के इलाज जारी हैं । सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था के डाक्टरी वैज्ञानिक दल के कुछ सदस्यों को (डा० कार्ल इवांग, डा० जे० गौर्डन तथा डा० ई० ग्रेजगोरजेविस्की) चलते फिरते अस्पताल तथा एक ग्रस्त गांव में ले जाया गया था । उन्होंने बीमारी के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय प्रगट नहीं की है किन्तु राज्य सरकार ने जो विभिन्न अनुसंधान किये हैं उनको उन्होंने ध्यान में रख लिया है ।

(ग) मार्च, १९५३ के अन्त तक लगभग ९६० व्यक्ति इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं तथा इन में से २८ मर गये हैं । फिर भी, यह नहीं कहा जा सकता कि इन व्यक्तियों की मृत्यु इसी बीमारी के कारण हुई है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या यह बीमारी सांसर्गिक है और यदि हां, तो सरकार ने इस बीमारी की रोक थाम करने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे वह और क्षेत्रों में न फैले ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न समय से पहले पूछा जा रहा है । डाक्टर अपनी राय प्रगट नहीं कर सके हैं ।

श्री वी० पी० नायर : बीमारी को संक्रामक या एक प्रदेशीय अवस्था में पाया गया था ?

राजकुमारी अमृतकौर : बीमारी, संक्रामक अवस्था में थी किन्तु अब काफी रोक थाम कर दी गई है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इस बीमारी पर हाल ही में हुए भारत के डाक्टरों के सम्मेलन में विचार किया गया था तथा सम्मेलन ने क्या सिफारिश की थीं ?

राजकुमारी अमृतकौर : किसी भी सम्मेलन में इस बीमारी पर चर्चा नहीं हुई थी । राज्य सरकार अनुसंधान कर रही है । ऐसा प्रतीत होता है यह बीमारी संक्रमण के कारण हुई है ।

मद्रास में गन्ने का मूल्य

*१३५३. **श्री ईश्वर रेड्डी** : खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास सरकार केन्द्रीय सरकार से गन्ने का मूल्य बढ़ाने के सम्बन्ध में, जो कि वर्ष १९५२-५३ के लिए निर्धारित कर दिया गया था, पत्र व्यवहार कर रही है या किया था ?

(ख) यदि हां, तो मद्रास सरकार के क्या सुझाव हैं तथा भारत सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख) . मद्रास सरकार से इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि मद्रास राज्य में स्थित चीनी फैक्टरियों को 'भाड़ा लाभ' के कारण जो बगैर कमाया लाभ होता है क्या वे उसको गन्ना उत्पादकों के साथ बांट सकती है । मद्रास सरकार ने अपनी चीनी मंत्रणा कमेटी की राय लेते हुए एक सूत्र बनाया है जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य के ऊपर जो अतिरिक्त गन्ना मूल्य मिलों द्वारा स्वेच्छा आधार पर दिया जायेगा वह अनुक्रमिक पैमाने पर चीनी के मूल्य के निर्धारित अनुपात में होगा । केन्द्रीय सरकार ने यह व्यवस्था स्वीकार कर ली है जो १९५२-५३ के गन्ने के मौसम के आरम्भ से लागू की जायेगी ।

श्री टी० एन० सिंह : उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गन्ने तथा चीनी के मूल्यों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई है इससे यह किस प्रकार भिन्न है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका उत्तर प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : यह उस से किस प्रकार भिन्न है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उत्तर प्रदेश के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ; वहां पर निर्धारित मूल्य है ।

पत्ती तम्बाकू अनुसंधान स्टेशन दिनहाट

*१३५७. **श्री बर्मन**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनहाट (पश्चिमी बंगाल) में पत्ती तम्बाकू अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने में कहां तक प्रगति हुई है ?

(ख) अनुसंधान स्टेशन बनाने में कुल कितनी पूंजी लगेगी तथा कितना आवर्त्तक व्यय होगा ?

(ग) क्या उस स्टेशन में पत्ती तम्बाकू के सम्बन्ध में कोई प्रयोगात्मक कार्य आरम्भ हो गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) २१-२-५३ को पश्चिमी बंगाल सरकार ने अनुसंधान स्टेशन बनाने के लिए दिनहाट में ४३·६४ एकड़ भूमि दे दी थी । भूमि के चारों ओर बाड़ा खींचने तथा वहां पर पत्ती तम्बाकू की खेती करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किया जा रहा है । थोड़े से कर्मचारी (एक कृषि सहायक तथा एक तम्बाकू ठीक रखने वाला) नियुक्त कर लिये गये हैं ।

(ख) अनुमान है कि कुल व्यय निम्न प्रकार से होगा :–

पूंजीगत	३,०१,८०० रुपये
आवर्त्तक	७३,५१० रुपये

(ग) अभी तक नहीं ।

श्री बर्मन : जब १९४७ में हम ने पाकिस्तान में अपना अनुसंधान स्टेशन खो दिया तो अब इतनी अधिक देर लगने का क्या कारण है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अधिक समय स्थान प्राप्त करने में लग गया ।

श्री बर्मन : देश में आयात किये जाने वाले पत्ती तम्बाकू का मूल्य क्या है तथा वह किस किस देश से आयात किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार में यह आप वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से पूछ सकते हैं ।

श्री बर्मन : क्या देश के किसी भाग में अब भी पत्ती तम्बाकू उगाया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या पत्ती तम्बाकू का देश में आयात किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं मेरे पास सूचना नहीं है ।

अनिच्छा बेकारी

*१३५८. **श्री एच० एन० शास्त्री** : (क) **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या २४ जून, १९४४ को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ओर से एक पत्र संख्या एन० एल०—१८९१ समस्त राज्य सरकारों को भेजा गया था जिसमें अनिच्छा बेकारी के लिये औद्योगिक मज़दूरों को क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा गया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या उस पत्र में बताई गई नीति अब भी लागू है ?

(ग) यदि हां, तो क्या उद्योगपतियों ने उक्त पत्र में निहित सुझावों को कार्यान्वित किया है ?

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने का विचार रखती है जिससे सुझाव कार्यान्वित हो जाये ।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) कोयले या कच्चे माल की कमी अथवा उत्पादन की लाइन में परिवर्तन होने के कारण अनिच्छा बेकारी के लिए क्षतिपूर्ति देने की एक योजना भारत सरकार के श्रम विभाग ने १२ जून, १९४४ को अपने पत्र संख्या एल-१८९१ द्वारा परिचालित की थी जिससे राज्य सरकारें तथा नियोजक उसे अपना सकें।

(ख) योजना, जो कि अब भी लागू है, वैकल्पिक है और कोई भी नियोजक इसको कार्यान्वित कर सकता है।

(ग) राज्य सरकारों की रिपोर्टों से पता लगता है कि बहुत ही कम नियोजकों ने इसे कार्यान्वित किया है।

(घ) स्थायी श्रम कमेटी की दूसरी बैठक में अनिच्छा बेकारी के लिए क्षतिपूर्ति देने के प्रश्न पर विचार किये जाने की सम्भावना है।

श्री एच० एन० शास्त्री : माननीय मंत्री द्वारा निर्देश की गई कमेटी की नियुक्ति होने तक, देश की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण, क्या संसद् के वर्तमान सत्र में एक अल्प संशोधी विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे मालूम नहीं है कि वर्तमान सत्र में ऐसा हो सकता है अथवा नहीं। अब समय नहीं है ; किन्तु मेरी समझ में इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

श्री नम्बियार : कितनी राशि दी जाती है या बेकारी के लाभ क्या हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : ऐसा करने का विचार है। योजना की मुख्य बातें यह हैं। लाभ का निश्चय दो तरीकों में से किसी भी एक तरीके से किया जा सकता है ; बकारी के पहले पखवारे में साधारण वेतन का ७५ प्रतिशत तथा बेकारी के दूसरे पखवारे में साधारण वेतन का ५० प्रतिशत किन्तु कम वेतन पाने वालों को एक निश्चित दर—यह निश्चित दर उपक्रम में लागू मजदूरी के निचले दर के औसत का ७५ प्रतिशत होगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कुल कितनी फर्मों ने इस लाभ के लिए प्रार्थनापत्र दिये हैं तथा वास्तव में, कितनी फर्मों ने इसे कार्यान्वित किया है ?

श्री वी० वी० गिरि : बहुत कम फर्मों ने प्रार्थनापत्र दिये हैं और बहुत कम ने इन्हें कार्यान्वित किया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या आप ऐसी फर्मों का प्रतिशतक बतला सकते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे खेद है कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं।

श्री अलगू राय शास्त्री : औद्योगिक मजदूरों में इस अनिच्छा बेकारी का क्या कारण है ?

श्री वी० वी० गिरि : बहुत से कारण हैं, जैसे : उद्योग में घाटा आ जाना, कोयले की सप्लाई में कमी होना, आदि।

श्री नानादास : क्या अभ्रक की खानों में काम करने वालों को यह सुविधा मिल सकती है ?

श्री वी० वी० गिरि : हर एक को यह सुविधा प्राप्त करने का हक है।

श्री नम्बियार : एक और प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। दूसरा प्रश्न।

मद्रास में भूमि को खेती योग्य बनाना

*१३५९. **श्री रघुरामय्या** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में भूमि को खेती योग्य बनाने का काम हाथ में लिया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो किस क्षेत्र में तथा कितनी भूमि पर ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख) . मद्रास राज्य में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने भूमि को खेती योग्य बनाने का कार्य आरम्भ नहीं किया है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है — इस बारे में सूचना मंगाई गई है तथा उपलब्ध होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

श्री रघुरामय्या : क्या सरकार ने विषखापट्टम, श्रीकाकुलम के एजेन्सी क्षेत्रों तथा पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में कोई आरम्भिक जांच पड़ताल की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमें केवल इतना ही मालूम है कि सलेम ज़िले के कुछ क्षेत्रों में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन का कार्य आरम्भ कराने का प्रस्ताव है तथा मद्रास राज्य के एजेन्सी क्षेत्रों में इस संगठन का कार्य आरम्भ कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन क्षेत्रों में सिंचाई की कोई परियोजना नहीं है और यदि प्रस्ताव अन्तिमरूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र में काम करने के लिए हमें कुछ नये ट्रैक्टर खरीदने पड़ेंगे।

श्री रघुरामय्या : क्या उस क्षेत्र में काम करने के लिए केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की कोई यूनिट अस्थायी रूप से रख दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस समय हमारे पास कोई भी ट्रैक्टर फालतू नहीं है।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या इसका कोई विशेष कारण है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने अभी तक मद्रास राज्य में अपना कार्य आरम्भ नहीं किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : क्योंकि मद्रास सरकार ने इसके लिए कभी कहा ही नहीं।

मद्रास में रेलवे लाइनें

*१३६०. **श्री बूवराघसामी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ में दक्षिण रेलवे में नई रेलवे लाइनें बनाने के सम्बन्ध में मद्रास राज्य की जनता द्वारा भेजे गये कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; तथा

(ख) कौन सी नई लाइनें बनाने की प्रार्थना की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) निश्चित रूप से यह बतलाना सम्भव नहीं है कि दक्षिण रेलवे में नई रेलवे लाइनें बनाने के सम्बन्ध में मद्रास राज्य की जनता द्वारा भेजे गये कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्यों कि ऐसे अभ्यावेदनों का कोई अलग से रेकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) जहां तक अनुमान लगाया जा सका है, निम्नलिखित लाइनों के सम्बन्ध में मुख्यतः अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे :—

(१) मुख्य लाइन का काकीनाडा होकर ले जाया जाना।

(२) चमराज नगर — सत्यमंगलम्।

(३) मंगलौर — हसाम।

(४) त्रिवेन्द्रम से कन्या कुमारी तक।

(५) कोन्नुर — रामपाद सागर डाम साइट।

(६) डिंगीगल — गुदालूर।

श्री बूवराघसामी : सरकार निम्नलिखित नई रेलवे लाइनों को कब तक बनाने का विचार रखती है :—

(१) कुम्बाकोनम और विरछाचलम् को मिलाने वाली लाइन ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य कार्यवाही के लिए सुझाव रख रहे हैं। यदि उन्हें केवल सुझाव रखने हैं और सूचना नहीं ज्ञात करनी है तो वह अपने सुझाव माननीय मंत्री के पास लिख कर भेज सकते हैं।

श्री नानादास : जिन लाइनों का अभी उल्लेख किया गया है उनमें से किसको प्राथमिकता दी गई है ?

श्री अलगेशन : चालू वर्ष में हम मंगलौर-हासम लाइन बना रहे हैं।

श्री मुनिस्वामी : नई लाइनें बनाने में क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से परामर्श करती है और यदि हां, तो किन बातों के बारे में ?

श्री अलगेशन : निस्सन्देह। जिन नई लाइनों को बनाना होता है उनके सम्बन्ध में वे अपनी रायें देते हैं तथा इसके बाद उन पर यातायात के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या यह सत्य है कि नई लाइनें बनाने के पहले उखाड़ी गई पुरानी लाइनें बिछाई जायेंगी ?

श्री अलगेशन : बजट चर्चा के दौरान में इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री नम्बियार : क्या सरकार को कुम्बाकोनम और विरछाचलम् के बीच लाइन बनाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावदन प्राप्त हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हम विस्तार में जा रहे हैं।

श्री नम्बियार : जी नहीं, श्रीमान्। प्रश्न था कि नई लाइनों के सम्बन्ध में उन्हें अभ्यावदन प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं और जो सूची उन्होंने पढ़ी थी उसमें इस रेलवे लाइन का उल्लेख नहीं था। अत: मैं मालूम करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है अथवा नहीं ?

श्री अलगेशन : मैं ने जो सूची दी है वह पर्याप्त नहीं है। अन्य लाइनों के सम्बन्ध में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा मैं शेष सूचना संग्रह करने के पश्चात् सदन के सम्मुख रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा।

श्री बेली राम दास : उन्होंने मुझे यह प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : तब यह अन्त में पूछा जायगा।

श्री जगजीवन राम : मैं इसका उत्तर अभी देना पसन्द करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे सकते हैं किन्तु केवल बाद में।

मद्रास में अकाल तथा सूखे की हालत

*१३६२. **श्री वल्लाथरास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को, मद्रास राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा २० मार्च, १९५३ को राज्य विधान सभा में दिये गये, उस वक्तव्य का ज्ञान है जिसमें उन्होंने बतलाया था कि मद्रास राज्य में लोगों की हालत इतनी खराब हो गई है, विशेषकर थिरुचि रापल्ली तथा रामनाद के दक्षिणी जिलों में, कि मद्रास राज्य के लिये इस समय उसे संभालना बहुत मुश्किल है ;

(ख) क्या सरकार सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखेगी जिसमें अकाल तथा सूखे की हालतों का उल्लेख हो जिसके कारण ऐसी घोषणा करने की आवश्यकता हो गई थी ;

(ग) उक्त समस्या को सुलझाने के लिए क्या मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की सहायता की मांग की है ;

(घ) उक्त राज्य में हालत और खराब न हो इसको रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि मनुष्यों और मवेशियों की मृत्युएं अकाल परिस्थितियों के कारण हो रहीं है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारत सरकार ने मद्रास के मुख्य मंत्री के भाषण की प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) तथा (घ). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २४**] ।

(ग) जी हां ।

(ङ) राज्य सरकार ने हमारे पास मृत्यु होने का कोई समाचार नहीं भेजा है ।

श्री वल्लाथरास : रायलसीमा के सम्बन्ध में वर्ष १९५२-५३ में केन्द्रीय सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता दी थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : पटल पर जो विवरण रखा गया है उसमें बहुत सी बातें दी हुई हैं। फिर भी, यदि मेरे माननीय मित्र पूरा उत्तर चाहते हैं तो मैं उन्हें दे सकता हूं ।

श्री वल्लाथरास : मैं सूचना कार्यालय गया था किन्तु वहां पता लगा कि कोई विवरण नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा कि वह उपलब्ध क्यों नहीं था ।

श्री वल्लाथरास : तामिलनाड में अकाल की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए, क्या सरकार के विचाराधीन कोई योजना है या कोई ऐसी योजना बनाने का विचार है जिससे प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई की स्थायी व्यवस्था हो सके, विशेषकर ६ या ७ जिलों के सम्बन्ध में---तिरुचिरापल्ली रामनाद, सलेम, तिरुनेलवेली, आदि ?

डा० पी० एस० देशमुख : जो कमेटी वहां भेजी गई थी उसने जांच पड़ताल कर ली है तथा उसकी रिपोर्ट विचाराधीन है ।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या सरकार का विचार इन समस्त अकाल ग्रस्त क्षेत्रों को 'अकाल क्षेत्र' घोषित करने का है जिससे इन समस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अकाल कोड लागू की जा सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह काम राज्य सरकार का है ।

श्री वल्लाथरास : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जांच पड़ताल होने तथा स्थानीय विभागों द्वारा हर प्रकार की सहायता देने के पश्चात् भी अकाल परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्या सरकार किसी मंत्रिमंडल के सदस्य का उप-मंत्री को वहां भेज कर स्थिति का ठीक ठीक पता लगाने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री नानादास : क्या यह सरकार राज्य सरकार से कुछ क्षेत्रों को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिये नहीं कह सकती जिससे वहां अकाल कोड लागू की जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति हम दूसरा प्रश्न लेंगे ।

रेड्डी सीमा में कमी की हालत

*१३६३. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के पश्चिमी

गोदावरी ज़िले के 'रेड्डी सीमा' क्षेत्र में कमी की हालत वर्तमान है ;

(ख) क्या लोगों को पीने का पानी लाने के लिये पांच मील चलना पड़ता है ;

(ग) क्या भूसे की भी कमी है ; तथा

(घ) क्या उस क्षेत्र से लोगों का निर्गमन रोकने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) मद्रास सरकार से हमें जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें इस क्षेत्र के बारे में किसी विशेष कमी का उल्लेख नहीं है। कमी वाले क्षेत्रों की व्यवस्था करने का भार राज्य सरकार पर है ।

(ख) से (घ) तक । उत्पन्न नहीं होते ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि "रेड्डी सीमा" अर्थात् पश्चिमी गोदावरी ज़िले के एजेन्सी भागों में अकाल फैला हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये वास्तव में उन्हें इसके लिये मद्रास विधान सभा में आन्दोलन करना चाहिये तथा सम्बद्ध सरकार का ध्यान उस विशेष क्षेत्र की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र के लोगों द्वारा मद्रास राज्य सरकार के पास भेजे गये अभ्यावेदनों का कोई फल नहीं हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति मेरे विचार में शायद माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि यद्यपि यह सदन सम्पूर्ण सत्ताधारी है किन्तु इसे राज्य सरकारों अथवा अन्य स्थानीय निकायों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । अन्यथा समस्त प्रशासन में गड़बड़ी फैल जायगी । उन्हें अपने आप को नीति सम्बन्धी बड़े बड़े प्रश्नों तथा भारत सरकार की ज़िम्मेदारियों तक सीमित रखना चाहिये । उन्हें राज्यों के प्रशासन में हाथ डालने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, सूचना के हेतु मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार असफल रहे तो क्या इलाज है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल में मुझे यह यहां बतलाने की ज़रूरत नहीं है। वह वैधानिक उपायों की शरण ले सकते हैं ।

श्री नानादास : क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में यह पता लगवाने का है कि वहां पर कमी की हालत या अकाल है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। दूसरा प्रश्न ।

जगाधरी लाइट रेलवे

***१३६४. प्रो० डी० सी० शर्मा :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जगाधरी लाइट रेलवे को कौनसी एजेन्सी चलाती है ?

(ख) एजेन्सी के समझौते का कार्यकाल कब समाप्त होता है ?

(ग) क्या सरकार का विचार इस रेलवे को अपने हाथ में ले लेने का है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जगाधरी लाइट रेलवे कम्पनी, जो कि इसकी मालिक है।

(ख) इस रेलवे को बनाने के लिये जो आदेश दिया गया था उसके अनुसार

अम्बाले के ज़िला बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह चाहे तो इस ठेके को समाप्त करके इस लाइन को ११-८-६२ को या इसके पश्चात् १० वर्ष के अन्तर पर खरीद सकता है।

(ग) जी नहीं।

प्रो० डी० सी० शर्मा: इस पुरानी रेलवे लाइन को अब भी क्यों जारी रखा जा रहा है?

श्री शाहनवाज खां: यह प्रश्न आप अम्बाले के ज़िला बोर्ड से पूछ सकते हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी: ऐसी कितनी लाइट रेलवे हैं जो अब भी ग़ैर सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत हैं?

श्री शाहनवाज खां: यह एक भिन्न प्रश्न है और मैं इसके बारे में पूर्व सूचना चाहूंगा।

खाद्य उत्पादन की भूमि में कमी

***१३६७. सरदार ए० एस० सहगल:** (क) खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अर्थशास्त्र तथा आंकड़ा सम्बन्धी अधिदेश के अनुसार वर्ष १९५२-५३ में खाद्य उत्पादन की भूमि में कमी हुई है?

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५१-५२ के मुक़ाबिले में कितनी कमी हुई है?

(ग) किन किन राज्यों में इस प्रकार की कमी हुई है तथा इसके कारण क्या हैं?

(घ) किन किन राज्यों में खाद्य फ़सलों के उत्पादन के लिये परिस्थितियां अनुकूल थीं?

(ङ) मध्य प्रदेश में स्थिति कैसी थी?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (ग) तक। उपलब्ध सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २५]**

(घ) तथा (ङ)। फ़सलें बोने के लिये लगभग समस्त राज्यों में परिस्थितियां अनुकूल थीं केवल बम्बई, मद्रास, मध्यप्रदेश, हैदराबाद तथा मैसूर के कुछ भागों को छोड़ कर, जहां कुछ फसलें, विशेषकर ज्वार-बाजरा, समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण ख़राब हो गई हैं। फ़सल के बढ़ने के समय सितम्बर से अक्तूबर, १९५२ तक वर्षा की कमी होने तथा राज्य के कुछ भागों में चावल में कीड़े लग जाने के कारण मध्य प्रदेश में ख़रीफ़ की फ़सल सन्तोषजनक नहीं हुई थी। यद्यपि अक्तूबर, और नवम्बर में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण कुछ सीमा तक रबी की फ़सल के बोने पर प्रभाव पड़ा था, किन्तु जनवरी में वर्षा होने के कारण रबी की खड़ी हुई फ़सल काफ़ी अच्छी हो गई है।

दावा आयुक्त

***१३६९. श्री के० सी० सोधिया:** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय ने जो दावाआयुक्त नियुक्त किये हैं उनके क्या कृत्य हैं?

(ख) प्रत्येक का क्षेत्राधिकार क्या है?

(ग) उनके नियुक्त किये जाने की शर्तें तथा योग्यतायें क्या हैं?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) इनका काम है सवारी रेलगाड़ियों की दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले हर्जाने के दावों की जांच करके उन्हें निश्चित करना।

(ख) छोटी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में असैनिक ज़िले का ज़िला न्यायाधीश या ज़िला मजिस्ट्रेट पदेन दावा आयुक्त होता है। बड़ी दुर्घटनाओं के लिये तदर्थ दावा आयुक्त नियुक्त किये जाते हैं जिससे वे उन से उत्पन्न होने वाले दावों का निपटारा कर सकें।

(ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २६]**

श्री के० सी० सोधिया: इन अधिकारियों ने कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के दावों की जांच की है?

श्री अलगेशन: श्रीमान्, मैं बिना पूर्व सूचना के संख्या नहीं बतला सकता हूं।

कुनैन

***१३७०. श्री गणपति राम:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि:

(क) १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में भारत में कितनी कुनैन बनाई गई;

(ख) भारत में कुनैन बनाने वाली फ़ैक्टरियों की कुल संख्या क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों में कुल कितनी कुनैन का आयात तथा निर्यात हुआ, तथा उसका मूल्य क्या था; तथा

(घ) उद्योग का विकास करने के लिये सरकार ने क्या क़दम उठाये हैं?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) अपेक्षित सूचना मद्रास तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों से मंगाई गई है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) दो—एक मूंगपू, पश्चिमी बंगाल में और दूसरी नदुवातन, मद्रास में।

(ग) पिछले दो वर्षों में क़ुनैन का आयात इस प्रकार है:

वर्ष	मात्रा	मूल्य
	पौंड	रुपये
१९५०-५१	२८४	१४,८०८
१९५१-५२	४१,७७५	१५,२९,०८२

कुनैन के निर्यात के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) मद्रास तथा पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार, जो कि कुनैन फ़ैक्टरियों की मालिक हैं, अपने वर्तमान उत्पादन को ही खपाने में कठिनाई का अनुभव कर रही हैं तथा कुनैन साल्ट्स का स्टाक उनके पास जमा होता जा रहा है। विशेष सिनकोना कमेटी, जो कुनैन से सम्बन्ध रखने वाले अनेक मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी, ने अपनी रिपोर्ट अभी दी है तथा इस सारे मामले पर, हाल ही में, होने वाले एक सम्मेलन में, कुनैन उत्पादन करने वाली राज्य सरकारों के साथ मिल कर विचार किया जायेगा।

श्री पी० टी० चाको: पश्चिमी बंगाल तथा मद्रास में सिनकोना उत्पादन पर सरकार कितनी राशि व्यय करती है तथा इससे कितने मूल्य की कुनैन तैयार की जाती है?

श्रीमती चन्द्रशेखर: इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: इस बात को ध्यान में रखते हुये कि राज्य सरकारें बनाई गई कुनैन को बेचने में कठिनाई का अनुभव कर रही हैं, क्या मैं जान सकती हूं कि ऐसा क्यों है—जब कि देश में मलेरिया का आपात काफ़ी है?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): मुख्य कारण यह है कि अधिकतर राज्य सरकारों ने सांश्लेषित औषधियां प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है जो कि बाजारों में काफी मात्रा में उपलब्ध हैं।

श्री वी० पी० नायर: भारत में बनाई गई कुनैन का मूल्य आयात की गई कुनैन के मुकाबले कैसा बैठता है?

राजकुमारी अमृतकौर: मैं पूर्व सूचना चाहूंगी।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या देश में तैयार की जाने वाली कुनैन को मुख्यत: विदेशों से आयात की गई कुनैन का सामना करना पड़ता है ?

राजकुमारी अमृतकौर : शुद्ध कुनैन बाहर से बिल्कुल आयात नहीं की जाती है । अत: देशीय कुनैन का विदेशी कुनैन के साथ मुक़ाबला करने का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रश्न सांश्लेषित औषधियों के मुक़ाबला करने का है ।

श्री बेलीराम दास : सरकार को यह मालूम ही है कि आसाम में भी कुनैन उगाई जाती है । मैं जान सकता हूं कि आसाम में कितनी कुनैन उत्पन्न होती है ?

राजकुमारी अमृतकौर : आसाम में कुनैन तैयार नहीं की जाती है । वह केवल मद्रास और बंगाल में तैयार की जाती है ।

पैन्नाडाम के समीप रेलवे दुर्घटना

*१३७१. **श्री मुनिस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५३ को विरधाचलम् और त्रिचिनापौली के बीच, दक्षिण रेलवे में, पेन्नाडाम रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी के दुर्घटना ग्रस्त होने से सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी है ; तथा

(ख) दुर्घटना के मुख्य कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) १७,००० रुपये ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सत्य नहीं है कि दक्षिण रेलवे में अक्सर दुर्घटनायें होती रहती हैं ?

श्री शाहनवाज खां : अक्सर दुर्घटनायें होती रहती हैं ।

श्री नम्बियार : क्या यह दुर्घटना एक कनेडियन इंजन का प्रयोग करने के कारण हुई है अथवा और किसी कारण ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैं बतला चुका हूं मामले की जांच हो रही है । हमारे पास अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं आई है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इंजन में कोई खराबी नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : अभी सभा-सचिव ने बतलाया कि दुर्घटनायें होती रहती हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उनकी रोक थाम के लिये क्या कार्यवाही की जा रही ह ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत सामान्य है । उनसे निश्चित उत्तर देने की आशा नहीं की जा सकती है ।

चावल

*१३७२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३ में कितना चावल उत्पादित किया जायेगा तथा कितना आयात किया जायेगा ;

(ख) वर्ष १९५३ के अन्त में कितना चावल अधिरक्षित रखा जायगा ; तथा

(ग) विभिन्न राज्यों में विनियंत्रण तथा नियंत्रण में ढिलाई करने का क्या फल हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख) । आशा की जाती है कि वर्ष १९५३ में चावल का आंतरिक समाहार १९ लाख टन तक पहुंच जायेगा । वर्ष १९५३ में कितनी मात्रा में चावल आयात किया जायगा यह अभी निश्चित नहीं किया गया है । अभी समय नहीं

आया है जब कि यह बतलाया जा सके कि सरकार के पास वर्ष के अन्त में चावल की कितनी मात्रा बच रहेगी ।

(ग) मौसमी हेरफेर को छोड़ कर, देखा जाय तो चावल का मूल्य गिर गया है तथा खुले बाज़ार में अब वह अधिक मात्रा में उपलब्ध है तथा इसके फलस्वरूप सरकारी दूकानों से चावल का लिया जाना कम हो गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य है कि माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने बम्बई में २६ मार्च, १९५३ को यह कहा था कि इस वर्ष के अन्त में कोई आयात नहीं किया जायेगा क्यों कि प्रति वर्ष हम ८ लाख टन आयात करते हैं तथा इस वर्ष हम १० लाख टन चावल समाहारित कर लेंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : समाचारपत्रों में जो प्रकाशित हुआ था वह यह था कि चावल के सम्बन्ध में हमारी स्थानीय आवश्यकतायें स्वयं भारत के आधिक्य वाले राज्यों से पूरी हो जायेंगी । हम जो आयात करेंगे वह सुरक्षित रखा जायेगा तथा आन्तरिक खपत के लिय नहीं दिया जायेगा । भारत के कमी वाले राज्यों ने ६.५ लाख टन चावल की मांग की है । साथ ही हम यह भी आशा करते हैं कि उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश जैसे आधिक्य वाले राज्य हमें ६.५ लाख टन चावल दे सकेंगे । हमें आशा है कि हम आन्तरिक मांग को आन्तरिक समाहार से ही पूरा कर देंगें । हम जो आयात करेंगे वह सुरक्षित रखा रहेगा । यही उन्होंने कहा था ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री बर्मा से चावल आयात करने के सम्बन्ध में वहां जा रहे हैं ?

श्री एस० वी० कृष्णप्पा : जी हां । ५ लाख टन चावल के सम्बन्ध में वस्तुविनिमय समझौता करने जा रहे हैं । हमें आशा है कि हमें सफलता मिलेगी । हम आशा करते हैं कि हम ५ लाख टन चावल अनुकूल मूल्यों पर आयात करने में सफल होंगे तथा इस प्रकार काफी चावल अधिरक्षित रख सकेंगे ।

श्री के० जी० देशमुख : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार जापानी तरीक़े से चावल उगाने के सम्बन्ध में इतना प्रचार कर रही है, क्या सरकार का विचार विदेशों से चावल आयात करने का नहीं है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : उद्देश्य यही है । हम इसे ही पूरा करने की ओर कार्य कर रहे हैं ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार को यह मालूम है कि विभिन्न राज्यों में धान के समाहार करने के मूल्यों में अन्तर होने के कारण कम समाहार होता है और यदि मूल्यों को उचित स्तर पर निर्धारित कर दिया जाये तो हम और अधिक मात्रा में समाहार कर सकते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : समाहार मूल्यों में अन्तर होता है । आधिक्य वाले राज्यों में कम और कमी वाले राज्यों में अधिक होगा । समाहार मूल्यों में अन्तर होने के कारण ही आधिक्य तथा कमी वाले राज्यों में अन्तर नहीं होता । हमें अपने समाहार लक्ष्यों को पूरा करने में कमी होने की आशा नहीं है । देखा जाये तो वास्तव में, यह उत्साहजनक है । उड़ीसा में समाहार की सब से कम दर है, फिर भी, वहीं पर सब से अधिक समाहार होता है ।

श्री अलगूराय शास्त्री : आप किस देश से चावल आयात करने जा रहे हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बर्मा भारत को सब से अधिक चावल निर्यात करता है । इसके बाद थाईलैंड और चीन आते हैं । चीन में मूल्य अधिक है । शायद, इस वर्ष हम वहां

से आयात न करें। यह सब कुछ बर्मा से वस्तु-विनिमय के सम्बन्ध में की जाने वाली वार्ता पर निर्भर करता है । यदि हम सफल हो जाते हैं तो हम अन्य देशों से आयात नहीं करेंगे । बर्मा से ५ लाख टन चावल मिल जाना हमारे लिये काफी होगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : देश में आयात किये गये तथा समाहारित चावल के मूल्यों में क्या अन्तर है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : काफी अन्तर है । देशीय चावल का दाम आयात किये गये चावल से कम होता है । कभी कभी तो यह अन्तर १०० प्रतिशत तक होता है और कभी ५० प्रतिशत भी ।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का बन्द होना

***१३७४. श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गन्ने की कमी के कारण मार्च, १९५३ में उत्तर प्रदेश ३० चीनी की मिलें बन्द हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष १९५३-५४ में चीनी का उत्पादन कम हो जयेगा ; तथा

(ग) यदि हां, तो सरकार १९५३-५४ में चीनी उत्पादन का लक्ष्य बनाये रखने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करनें का विचार रखती हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं । इस वर्ष मार्च के अन्त तक केवल १३ चीनी की मिलें बन्द हुई थीं जब कि पिछले मौसम में इस तारीख तक २३ मिलें बन्द हो गई थीं ।

(ख) अनुमानतः माननीय सदस्य चालू मौसम में चीनी के उत्पादन में कमी का अनुमान लगा रहे हैं न कि वर्ष १९५३-५४ के सम्बन्ध में । चालू मौसम में १२ तथा १३ लाख टन के बीच उत्पादन होने की आशा है जब कि १९५१-५२ के मौसम में १४.६७ लाख टन तथा १९५०-५१ के मौसम में ११.१६ लाख टन उत्पादन हुआ था । फिर भी, १९५१-५२ का मौसम असाधारण मौसम था क्योंकि अधिक गन्ना होने तथा गुड़ का दाम कम होने के कारण काफी मात्रा में गन्ना चीनी बनाने के काम में लाया गया था । १९५१-५२ के मौसम को छोड़ कर, चालू मौसम का उत्पादन पिछले आठ मौसमों के उत्पादन में से किसी भी मौसम से अधिक होगा ।

(ग) पंच वर्षीय गन्ना विकास योजनायें समस्त महत्वपूर्ण चीनी उत्पादन राज्यों में तीन वर्ष के लिये और बढ़ा दी जा रही हैं जिससे प्रति एकड़ भूमि में गन्ना अधिक पैदा हो तथा उसकी मिठास में भी वृद्धि हो ।

श्री पुन्नूस : इस वर्ष १३ फ़ैक्टरियां क्यों बन्द हो गई ?

डा० पी० एस० देशमुख : क्यों कि उन्होंने समस्त उपलब्ध गन्ना समाप्त कर दिया ।

श्री पुन्नूस : क्या इन समस्त मामलों में उत्पादकों ो गन्ने का उचित मूल्य नहीं दिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सरकार का विचार नहीं है ।

श्री नानादास : क्या आन्ध्र क्षेत्र में कुछ चीनी की फ़ैक्टरियां खोलने की सम्भावना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि ये १३ शक्कर के कारखाने इसलिये बन्द हुए कि उन के पास जितना गन्ना था वह सब पेर दिया । क्या यह बात

सही नहीं है कि और गन्ना होता तो ये कारखाने इतने जल्द बन्द नहीं होते ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : मौसम ख़त्म हो गया ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । सम्बद्ध मंत्री को उत्तर देने दीजिये ।

डा० पी० एस० देशमुख : यदि और गन्ना उपलब्ध होता तो वह भी पेर दिया जाता ।

टिड्डी आक्रमण

*१३७५. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ३ अप्रैल, १९५३ के "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" दिल्ली के पृष्ठ ६ स्तम्भ ३ में प्रकाशित पी० टी० आई० के इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है टिड्डियों के भारी आक्रमण की आशंका"

(ख) क्या यह सत्य है कि टिड्डियों ने पाकिस्तान और मध्य पूर्व में पहले ही से अण्डे देना आरम्भ कर दिया है ; तथा

(ग) भारत में टिड्डियों का आक्रमण न हो इस सम्बन्ध में सरकार ने कौन सी सुरक्षात्मक कार्यवाही की है या करने का विचार है ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) (क) जी हां ।

(ख) पता लगा है कि टिड्डियों ने मध्य पूर्व के देशों तथा भारत के पश्चिमी वाले प्रदेशों म अण्डे देना आरम्भ कर दिया है ।

(ग) भारत पर बाहर से होने वाले टिड्डियों के आक्रमण को हम नहीं रोक सकते हैं । हमारे पश्चिम में स्थित कुछ देशों ने, जहां टिड्डियां आरम्भ होती हैं, टिड्डी नाशक संगठन बना दिये हैं । हाल ही में हम ने ईरान में एक दल भेजा है जो उस देश को टिड्डियां नाश करने में सहायता देगा । टिड्डियों तथा टिड्डों को नाश करने के सम्बन्ध में हम ने जो प्रबन्ध किया है उसका एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान ४ मार्च १९५३ को सरदार हुक्म सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४७६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर भी आकर्षित किया जाता है ।

विवरण

टिड्डियों के आशंकित आक्रमण का सामना करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाई

केन्द्रीय टिड्डी संगठन ने, जो कि राजस्थान, पंजाब, पेप्सू, बम्बई, सौराष्ट्र तथा कच्छ के अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्रों म नियंत्रण कार्यवाही के लिये ज़िम्मेदार है, उनको तीन मंडलों में बांट दिया है, जिनके प्रधान कार्यालय बीकानेर, जोधपुर तथा पालनपुर में एक एक अनुभवी कीटशास्त्रज्ञ के नीचे रख दिये गये हैं । अन्य स्थानों पर, जो कि टिड्डी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं विशषेकर भारत-पाकिस्तान सीमा वाले क्षत्र, चौकियों की व्यवस्था कर दी गई है जहां पर कीट-नाशक तेल, हाथ और बिजली से चलने वाली पाउडर डालने और छिड़कने की मशीने तथा मोटर यातायात का प्रबन्ध हैं । आक्रमण का सामना करने के लिये संगठन के कर्मचारियों की संख्या अस्थायी रूप से बढ़ा दी गई है । अतिरिक्त रूप से कीटाणु नाशक तेल तथा उपकरण भी मंगा लिये गये हैं । समय पर तथा शीघ्र कार्यवाही की जा सके इसलिये अनेक स्थानों पर रेडियो प्रसारण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है । और अधिक मोटर गाड़ियों, डस्टरों, छिड़कने की मशीनों तथा बेतार

के सेटों को प्राप्त करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

जहां तक राज्यों में ऐसे क्षेत्रों का सम्बन्ध है जिनमें खेती हो चुकी है और जहां टिड्डियों के आक्रमण की आशंका है, सम्बद्ध राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार उक्त तरीक़े पर प्रबन्ध कर दिया गया है ।

श्री एल० जे० सिंह : विवरण से पता लगता है कि टिड्डी आक्रमण पर क़ाबू पाने के लिये सुरक्षात्मक कार्यवाही कर दी गई है विशेषकर राजस्थान, पंजाब, पेप्सू, बम्बई, सौराष्ट्र तथा कच्छ के अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्रों में । क्या भारत के अन्य भागों में टिड्डियों का आक्रमण होने की सम्भावना नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस बात पर बहुत वैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है और यदि मेरे माननीय सदस्य सूचना चाहते हैं मैं उन्हें दे सकता हूं ।

श्री एल० जे० सिंह : अन्य राज्यों मे कौन सी सुरक्षात्मक कार्यवाहियां की गई चें ?

डा० पी० एस० देशमुख : लगभग समस्त राज्य, टिड्डी आक्रमण पर क़ाबू पाने की योजना में भाग लेते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

झांसी रेलवे स्टेशन

*१३५१. **श्री धुलेकर :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२-५३ में झांसी रेल स्टेशन के प्लेटफ़ार्म पर शैड बनानें के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन किया गया था ;

(ख) क्या उस अभ्यावेदन के फलस्वरूप रेलवे बोर्ड ने १९५२-५३ में झांसी के प्लेटफ़ार्म पर यात्रियों के लिये शेड बनाने का निश्चय किया था ; तथा

(ग) यदि हां, तो अभी तक इस मामले में कार्यवाही क्यों नहीं आरम्भ की गई ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) लोहे के गर्डर आदि लगान का काम जारी है इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

बोयलर्स का आयात

*१३५३. **श्री कास्लीवाल :** रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वियाना की एक फ़र्म को ९९ बोयलर्स का आर्डर दे दिया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : मैसर्स वेगनर बीरो ए० जी०, वियना को इंजनों के २४ बोयलर्स बनाने का आर्डर दिया गया है ।

कलकत्ता बन्दरगाह (घाटे का बजट)

*१३५४. **श्री कास्लीवाल :** यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वर्ष १९५३-५४ के लिये बनाये गये कलकत्ता बन्दरगाह के बजट प्राक्कलन में घाटा दिखाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा घाटे को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) अनुमानित घाटा मुख्यतः इस लिये है क्यों कि आशा की जाती है कि पिछले वर्ष की तुलना में १९५३-५४ में जो सामान लादा या उतारा जायेगा वह कम होगा । आयुक्त पहले ही से राजस्व और

व्यय में संतुलन लाने के लिये उपाय और साधनों पर विचार कर रहे हैं तथा अगले कुछ महीनों में वास्तव में कितना सामान लादा और उतारा जाता है उसके ही आधार पर वे अपने आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

मधु-मक्खी पालन उद्योग

*१३५५. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मधु-मक्खी पालन उद्योग में सुधार करने के लिये १९५२ में सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ; तथा

(ख) क्या हाल ही में भारतीय मधु-मक्खी पालन उद्योग परिषद् की शासिका सभा ने कोई प्रस्ताव रखे थे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान आज सरदार ए० एस० सहगल के प्रश्न संख्या १३४७ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ख) मुझे निर्दिष्ट प्रस्तावों का ज्ञान नहीं है किन्तु मैं परिषद् से पूछ रहा हूं कि उनके प्रस्ताव क्या हैं।

डाक के लिफाफों पर साम्यवाद विरोधी नारे

*१३६१. **श्री सरमा** : **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कलकत्ते में सरकार ने कुछ लोगों को डाक के लिफाफों पर साम्यवाद-विरोधी नारे छापने की अनुमति दे दी थी जैसा कि श्री हीरेन मुखर्जी ने २८ मार्च, १९५३ को संचरण मंत्रालय की अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में भाषण देते हुये आरोप लगाया था ?

(ख) क्या सरकार का विचार स्थिति को स्पष्ट कर देने का है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एशिया स्वतन्त्रता रक्षा संस्था को अपनी डाक-कर अंकन मशीन में १२ जून, १९५२ को "जंजीरों के सिवाय साम्यवाद को और कुछ नहीं देता है" नारे का ठप्पा लगाने की भूल से अनुमति दे दी गई थी। और किसी मामले की हमें सूचना नहीं मिली है।

(ख) २० फ़रवरी, १९५३ को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने इस बात की ओर डाक तथा तार विभाग के महासंचालक का ध्यान आकर्षित किया था। ६ मार्च, १९५३ को महासंचालक ने कलकत्ते के पोस्ट मास्टर जनरल को हिदायतें भेजी थीं कि वह इस नारे के प्रयोग की अनुमति रद्द कर दें। हिदायतों पर तुरन्त कार्यवाही की गई थी।

लक्क द्वीप में डाक सम्बन्धी सुविधाएं

*१३६५. **श्री एन० पी० दामोदरन** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मालाबार तट से दूर लक्क द्वीप में रहने वाले व्यक्तियों को डाक सम्बन्धी कौन सी सुविधायें उपलब्ध हैं ?

(ख) इन द्वीपों में डाक सम्बन्धी और अधिक सुविधायें देने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) इस समय लक्क द्वीप को पूर्व-परिदत्त अपंजीबद्ध पत्र तक पोस्ट कार्ड भेजे जा सकते हैं।

(ख) वर्तमान व्यवस्था का पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

लक्क द्वीप में आवागमन की सुविधायें

*१३६६. **श्री एन० पी० दामोदरन** : (क) **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय लक्क द्वीप तथा भारत के बीच आवागमन की क्या सुविधायें हैं ?

(ख) क्या सरकार ने इन द्वीपों को भारत से वायु या स्टीमर सेवा द्वारा मिलाने की सम्भावना पर विचार किया है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है ?

(घ) क्या सरकार ने इन द्वीपों के पर्यटिक केन्द्रों के रूप में विकास करने पर विचार किया है । और यदि हां तो क्या निष्कर्ष निकला ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) द्वीपों तक पहुंचने का काम 'ओडम्स' या देशी नावों द्वारा किया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी नहीं ।

अनुसूचित तथा आदिम जाति क्षेत्रों का स्वास्थ्य पर्यालोकन

*१३६८. **श्री भीखा भाई :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित तथा आदिम जाति क्षेत्रों का कोई स्वास्थ्य पर्यालोकन किया है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो पर्यालोकन कब किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इस पर विचार करने का काम मुख्यतः राज्य सरकारों का है । उनसे परामर्श किया जायेगा ?

जूट कमेटी

*१३७३. **श्री राजगोपाल राव :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में जूट उत्पादन की समस्या पर विचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने जो विशेषज्ञ कमेटी नियुक्त की है उसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं ?

(ख) निर्देश के पद क्या हैं ?

(ग) कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी ?

(घ) क्या कमेटी से विषखापट्टम तथा श्री काकुलम के ज़िलों में बिमली तथा मेस्ता क़िस्म के जूट के उत्पादकों की दशा का अध्ययन करने के लिये कहा गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) विशेषज्ञ कमेटी में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

(१) श्री के० आर० दामले, आई० सी० एस० सभापति, भारतीय केन्द्रीय जूट कमेटी, तथा भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव... अध्यक्ष ।

(२) श्री आई० जी० केन्डी, उप-सभापति भारतीय केन्द्रीय, जूट-कमेटी, कलकत्ता, . . सदस्य ।

(३) डा० एच० के० नन्दी, कृषि संचालक, पश्चिम बंगाल... सदस्य ।

(४) डा० जे० एस० पटेल, कृषि संचालक, बिहार . . .सदस्य ।

(५) डा० बी० सी० कुन्डू, जूट कृषि अनुसन्धान संस्था के संचालक, भारतीय केन्द्रीय जूट कमेटी, ... सदस्य ।

(६) श्री के० सी० बासक, अर्थ सम्बन्धी अनुसन्धान के संचालक, भारतीय केन्द्रीय जूट कमेटी, ... सदस्य सचिव ।

(ख) कमेटी इस बात की जांच करेगी कि उन क्षेत्रों में जूट उत्पादन करने वाली भूमि में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है जहां बढ़िया क़िस्म का जूट पैदा होता है तथा उन क्षेत्रों में जूट उत्पादन करने वाली भूमि में किस प्रकार कमी की जा सकती है जहां घटिया क़िस्म का जूट पैदा होता है। यह कमेटी जो सुझाव रखेगी उनको कार्यान्वित करने में जो लागत आयेगी उसके बारे में यह प्राक्कलन तैयार करेगी तथा उस लागत को पूरा करने के लिये भी यही उपाय बतायेगी।

(ग) आशा की जाती है कि कमेटी की रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर तैयार हो जायेगी।

(घ) जी नहीं।

राजस्थान में भूमि को खेती योग्य बनाना

१०५६. श्री भीखा भाई : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अधिक अनाज उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत जंगलों को साफ़ करके विभिन्न राज्यों में सन् १९५० से वर्ष वार कितनी भूमि खेती के योग्य बनाई गई है; तथा

(ख) राजस्थान में जंगलों को साफ़ करके कितनी भूमि खेती योग्य बनाई गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २७]**

अनुसंधान कर्ता तथा सांख्यिकीय सहायक

१०५७. श्री नानादास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५२ में अर्थ तथा सांख्यिकीय अधिदेश को अनुसन्धानकर्ता तथा सांख्यकीय सहायक के पदों के लिये पृथक् रूप से कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये थे ;

(ख) उक्त पदों में से कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित रखे गये थे तथा उनमें से कितने व्यक्ति लिये गये थे ; तथा

(ग) इन पदों का निर्देश संघ लोक सेवा आयोग को क्यों नहीं किया गया था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अर्थ तथा सांख्यकीय अधिदेश को अनुसंधानकर्ताओं (श्रेणी २) के लिए २१७ तथा सांख्यकीय सहायकों के लिए १३८ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे तथा दोनों प्रकार के पदों के लिये २५२ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे। इन ६०७ प्रार्थनापत्रों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के उम्मीदवारों के केवल ९ प्रार्थनापत्र थे।

(ख) केवल दो पद खाली थे और यह दोनों ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखे गये थे। प्राप्त हुए प्रार्थनापत्रों पर अब भी विचार किया जा रहा है।

(ग) इन पदों को केन्द्रीय सेवा, श्रेणी ३ घोषित किया गया है, अतः निर्धारित नियमों के अन्तर्गत इन पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश करने की आवश्यकता नहीं है।

रेलवे में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

१०५८. श्री नानादास : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से १९५२ तक, वर्षवार, रेलवे सेवा आयोगों ने कितने पदों के लिये प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये थे ;

(ख) इन पदों में से कितने अनुसूचित जातियों तथा कितने आदिम जातियों के लिए सुरक्षित रखे गये थे ;

(ग) सुरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवार नियुक्त किये गये ; तथा

(घ) उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण सुरक्षित पदों में से कितने कालातीत हो गये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (घ) तक. सूचना संग्रह की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में डाक सम्बन्धी सुविधाएं

१०५९. श्री भक्त दर्शन : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५३ में देहरादून, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनी ताल के जिलों में कितने डाकघर, तारघर, टेलीफोन एक्सचेंज तथा टेलीफोन करने के सार्वजनिक कार्यालय खोले गये हैं तथा कहां पर ;

(ख) वर्ष १९५२-५३ में ऐसे कितने कार्यालय बन्द किये गये ;

(ग) ऐसा करने के क्या कारण हैं; तथा

(घ) वर्ष १९५३-५४ में उपरोक्त जिलों में से प्रत्येक में ऐसे कितने कार्यालय खोलने का विचार है तथा कहां पर ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) सदन पटल पर एक सूची रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २८]**

(ख) कोई कार्यालय बन्द नहीं किया गया है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जो कुछ डाक तथा तार घर, टेलीफोन एक्सचेन्ज तथा टेलीफोन करने के सार्वजनिक कार्यालय सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अन्तर्गत उचित समझे जायेंगे, और जिनके सम्बन्ध में २८ मार्च, १९५३ को जारी किये गये एक प्रेस नोट में उल्लेख कर दिया गया है (इस प्रेस नोट की एक प्रतिलिपि ३० मार्च, १९५३ को श्री बी० एन० राय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०७४ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के साथ सदन पटल पर रख दी गई थी) यथासमय खोल दिये जायेंगे । इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के पोस्टमास्टर-जनरल ब्यौरा तैयार करेंगे ।

अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए ट्रान्समीटर

१०६०. डा० राम सुभग सिंह : (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने भारत सरकार से अमृतसर स्वर्ण मंदिर में एक विशेष ट्रान्समीटर लगाने तथा पृथकरूप से प्रसारण स्टेशन चलाने की अनुमति मांगी है जिससे विशेष कीर्तन तथा पवित्र ग्रन्थ साहब का प्रसारण किया जा सके ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुमति दे देने का है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

सेवा योजनालय

१०६१. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त भारत में सेवा योजनालयों में पंजीबद्ध ४५,२२,९६४ व्यक्तियों में से,

जैसा कि उस विवरण की क्रमांक संख्या १०३ में दी गई सूचना में बतलाया गया है जिसमें लोक सभा के प्रथम सत्र में दिये गये आश्वासनों आदि को पूरा करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का उल्लेख है, वास्तव में, कितने व्यक्तियों को नौकरी मिली ; तथा

(ख) समस्त भारत में कुल सेवा योजनालयों का वार्षिक स्थापना व्यय तथा उन्हें चालू रखने के लिए आवश्यक कर्मचारियों पर किया जाने वाला खर्च तथा आनुषंगिक व्यय क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) १२,६४,९४८।

(ख) वर्ष १९५१-५२ में सेवा योजनालयों पर वास्तव में, ४२,०२,८०० रुपये व्यय हुए थे ।

बिजली से रेलगाड़ियां चलाना

१०६२. श्री बी० के० दास : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०, १९५१ तथा १९५२ में कुल कितनी मील लम्बी रेलवे लाइनों पर बिजली से रेलगाड़ियां चलाने का प्रबन्ध किया गया ;

(ख) उपरोक्त तीन वर्षों में से प्रत्येक में कुल कितना व्यय किया गया ;

(ग) बिजली प्रणाली तथा कोयला इंजन प्रणाली के अन्तर्गत तुलनात्मक-रूप से रेलगाड़ियां चलाने तथा उनकी देखभाल करने पर प्रति मील कितना खर्चा आता है ; तथा

(घ) वर्ष १९५३ में बिजली से रेलगाड़ियां चलाने का प्रोग्राम क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). १९५०-५२ में कुल कितनी मील लम्बी रेलवे लाइनों पर बिजली से रेलगाड़ियां चलाने की व्यवस्था की गई तथा उस पर कितना व्यय आया, वह इस प्रकार है :—

	मील	लागत
१९५०	कुछ नहीं	कुछ नहीं
१९५१	४.७२	४,४२,२८८ रु०
१९५२	०.७५	६३,००० रु०

(ग) बड़ी लाइन की रेलगाड़ियों को बिजली तथा कोयले से चलाने तथा देखभाल करने पर जो प्रति मील तुलनात्मक खर्चा बैठता है वह कोयले के मूल्य, यातायात की घनता, बिजली के मूल्य तथा अन्य बातों पर निर्भर करता है। बम्बई के उपनगरीय क्षेत्रों में आंकड़े इस प्रकार समझे जा सकते हैं :—

बिजली से चलाने पर ..... २.९७ रु०

स्टीम से चलाने पर ..... ५.४३ रु०

(घ) वर्ष १९५३-५४ में बान्द्रा तथा बोरीविली के बीच अप एण्ड डाउन वाली सीधी लाइनों पर, जो कि पश्चिमी रेलवे में लगभग २५ मील का टुकड़ा है, बिजली से रेलगाड़ियां चलाने का प्रोग्राम है ।

अनाज का समाहार

१०६३. श्री जलानी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३ में कितना अनाज समाहार किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): लगभग २५ लाख टन का अनुमान है।

नियंत्रित चीनी

१०६४. श्री बहादुर सिंह, सरदार हुक्म सिंह :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९५२ को नियंत्रित चीनी का कितना स्टाक बचा था ?

(ख) इस स्टाक में से ३१ जनवरी, १९५३ तक कितनी चीनी बेचने के लिए दे दी गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). ३१ दिसम्बर, १९५२ को चीनी मिलों के पास वर्ष १९५१-५२ की कुल नियंत्रित चीनी का स्टाक ३.०३ लाख टन था। जनवरी, १९५३ में इस समस्त स्टाक को बेचने के लिए दे दिया गया था।

वायुयान चालकों के प्रशिक्षण के लिए वायुयानों का क्रय

१०६५. श्री वी० पी० नायर : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५३ तक भारत में वायुयान चालकों को प्रशिक्षित करने के हेतु भारत सरकार द्वारा कितने वायुयानों का किस प्रकार के तथा कुल कितनी लागत पर, क्रय किया गया ;

(ख) अब तक कितने ऐसे वायुयान काम दे रहे हैं ;

(ग) इन वायुयानों से अब तक कितने चालकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ; तथा

(घ) इस समय इन वायुयानों से कितने चालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवनराम) :

(क) वायुयान की किस्म	संख्या	लागत रु०	टिप्पणी
(१) टाइगर मौथ . . .	८०	१३,८६,८९०	युद्ध से पहले खरीदे गये
(२) अन्य प्रकार के मौथ . .	४		
(३) चिपमन्क . . .	३६	१७,१४,७८६	युद्ध के बाद खरीदे गये
(४) एनसन	१२	३७,३२,१६०	
(५) डकोटा. . . .	२	२,८४,४७९	
(६) एल-५	१५	१,०५,०००	
(७) टाइगर मौथ . . .	२	१६,०००	
कुल . .	१५१	७२,३९,३१५	

(ख) २८ टाइगर मौथ, ३० चिपमन्क, १० एनसन, २ डकोटा तथा ५ एल-५।

(ग) ३१ मार्च, १९५३ तक, १९०२ 'ए', ७० 'ए' आई तथा ३८५ 'बी' चालक उड्डयन क्लबों में प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। इन लोगों को क्लबों में दो तरह के वायुयानों से प्रशिक्षित किया गया है – एक तो वे जो क्लबों के थे और दूसरे वे जो सरकार द्वारा उधार दिये गये थे। यह बतलाना सम्भव नहीं है कि इन क्लबों में केवल सरकारी वायुयानों द्वारा ही कितने चालक प्रशिक्षित किये गये। इन चालकों के अलावा असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद में २० सहायक चालक, शिक्षकों, ४८ 'बी' चालकों तथा ३२ चालकों को डकोटा चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

(घ) १ मार्च, १९५३ को उड्डयन क्लबों में १११ 'ए' तथा ९२ 'बी' चालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। असैनिक उड्डयन केन्द्र, इलाहाबाद में ४ चालकों को 'बी' लाइसैन्स के लिए प्रशिक्षित किया

जा रहा है, तथा १८ को डकोटा चलाने का प्रशिक्षिण दिया जा रहा है।

पटना-रांची सड़क

१०६६. श्री एन० पी० सिन्हा : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुराना पटना-रांची सड़क के स्थान पर जिसका एक भाग तिलइया बांध के समीप पानी में डूब गया है, नई सड़क बनाने पर कितना व्यय किया गया है ?

(ख) कितनी लम्बी पुरानी सड़क पानी में डूब गई है तथा कितनी लम्बी नई सड़क बनाई गई ह ?

(ग) क्या पुरानी डूबी सड़क पर पहले कोई पुल बना हुआ था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) २० लाख रुपये जिसमें दो बड़े पुलों को बनाने की लागत भी शामिल है।

(ख) पिछली बरसात में पुरानी सड़क का १ १/८ मील लम्बा टुकड़ा पानी में डूब गया था। नई सड़क की लम्बाई ४ ३/४ मील है।

(ग) जी हां, मुख्य नदी बरकर की एक सहायक नदी पर एक छोटा सा पुल था।

पूर्वोत्तर रेलवे में क्लर्क

१०६७. श्री घूसिया : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे में कितने क्लर्क हैं ?

(ख) इनमें से कितने स्थायी हैं।

(ग) इस रेलवे में जितने स्थायी तथा अस्थायी क्लर्क हैं उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ७४२१।

(ख) ५८६६।

(ग) (१) स्थायी ५८
(२) अस्थायी ३६

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक

१०६८. श्री संगण्णा : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था, कटक उड़ीसा के निम्नलिखित सेक्शन क्या कार्य करते हैं ;

(१) वनस्पति विज्ञान (२) शास्त्रीय कृषि कला (३) रसायन शास्त्र (४) कृमि अध्ययन शास्त्र।

(ख) इन सेक्शनों द्वारा जो अनुसंधान किये जाते हैं उनके सम्बन्ध में क्षेत्रकार्य करने के लिए कैसी व्यवस्था की गई है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि संस्था के आस पास की ५,००० एकड़ भूमि विकास कार्य के लिये ले ली गई है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि यह भूमि सरकार द्वारा अर्जित की गई है ?

(ङ) इस भूमि पर विकास कार्य कैसा चल रहा है ?

(च) इस भूमि के विकास पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : इन चारों सेक्शनों में चावल उगाने की मूल समस्याओं पर अनुसंधान किया जाता है जिससे विपरीत परिस्थितियों का जैसे, बीमारी, सूखा, बाढ़, लौनी आदि का चावल के पौधे मुकाबला कर सकें। वनस्पति विज्ञान सेक्शन का मुख्य कार्य है संस्था में रखे हुए विश्व संग्रह में ऐसे उपयोगी लक्षणों की खोज करना। वनस्पति विज्ञान सेक्शन का यह भी कार्य है कि वह देश की महत्त्वपूर्ण चावल की किस्मों में ऐसे उपयोगी लक्षणों का समावेश करे। ऐसा करने में चावल

के छिलके तथा उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में मूल बातों का अध्ययन करना पड़ता है। शास्त्रीय कृषि कला सेक्शन का कार्य है ऐसी परिस्थितियों के सम्बन्ध में खोज करना जिससे चावल की किस्मों से अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। इसके लिए जोताई तथा खाद सम्बन्धी प्रयोग किये जाते हैं जिससे उनमें परिवर्तन करके उन्हें सामान्य-रूप से लागू किया जा सके। खाद को किस समय कितनी मात्रा में तथा किस ढंग पर दिया जाये यह इस सेक्शन के मुख्य अध्ययन कार्यों में से एक है। कुशलता में वृद्धि करने तथा लागत में कमी करने के दृष्टिकोण से जोताई के काम में आने वाले साधारण उपकरणों की परीक्षा करना भी इस सेक्शन के मुख्य कार्यों में से एक है। भिन्न भिन्न जोताई तथा खाद सम्बन्धी आवश्यकताओं का उपजाऊपन, पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा पौधों को पोषक तत्वों को ग्रहण करने की शक्ति आदि अवस्थाओं के अधार पर सामंजस्य स्थापित करने में शास्त्रीय कृषि कला सेक्शन रसायन शास्त्र सेक्शन के साथ पूरे सहयोग से काम करता है। कृमि अध्ययन शास्त्र चावल के कीड़ों के उत्पन्न होने तथा बढ़ने को परिस्थितियों पर, शास्त्रीय कृषि कला सम्बन्धी कार्यवाहियों तथा मुख्य कीड़ों की उचित समय पर रोक थाम सम्बन्धी उपायों के बारे में, मूल अध्ययन करता है। एक दूसरी समस्या कीड़ों को नष्ट करने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों का, जिनमें सस्ती देशी चीजें भी शामिल हैं, उनकी लागत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करना। कीड़ों पर नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में चावल में लगने वाले कीड़ों को खाने वाले कीड़ों की खोज भी की जा रही है।

(ख) संस्था में एक फार्म सेक्शन भी है जो संस्था के विभिन्न सेक्शनों में होने वाले प्रयोगों का बड़े पैमाने पर क्षेत्र परीक्षण करता है, इसके अलावा संस्था के आस पास वाले उन १६ गांवों में भी इन नये परिणामों का प्रदर्शन किया जाता है, जिनको सुधार प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। इस समय, इस कार्य को करने के लिये जो व्यवस्था है उसमें केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था का एक फार्म अधीक्षक है तथा उसकी सहायता के लिये उड़ीसा राज्य के कृषि विभाग के कुछ 'अधिक अनाज उपजाओ' क्षेत्र-कर्मचारी हैं।

(ग) तथा (घ). जी नहीं। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था, अपने आस पास के गांवों में जिनका क्षेत्रफल लगभग ५००० एकड़ है, कृषि के नये नये तरीकों का प्रदर्शन तथा प्रचार करती है।

(ङ) इस केन्द्र में अब तक किये गये घनी खेती के तरीकों के प्रदर्शन तथा प्रचार के फलस्वरूप, गांववालों ने बताये गये तरीकों पर काम करना आरम्भ कर दिया है जैसे हरी खाद देना, पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाना, समय पर कृषिसार डालना तथा ऐसी भूमि में चावल की दूसरी फ़सल पैदा करना जहां दूसरी फ़सल के मौसम में अर्थात्, दिसम्बर से अप्रैल तक, पानी की सुविधाएं उपलब्ध हों। नये तरीकों को अपनाने से १३,५०० मन धान तथा ११,५०० मन आलू की अतिरिक्त उपज हुई है।

(च) इस भूमि के विकास पर अब तक केवल ७,४०० रुपये व्यय किये गये हैं जो कि उड़ीसा राज्य सरकार ने 'अधिक अनाज उपजाओ' कर्मचारियों के वेतन देने पर खर्च किये हैं। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था के संचालक की सिफ़ारिश पर भारत सरकार द्वारा दिये गये बीजों तथा कृषिसार को खरीदने के लिए उड़ीसा सरकार ने

१,२४,२६१ रुपये की सीमा तक तकावी ऋण दिया है।

कुएं खोदने में मध्य प्रदश को सहायता

१०६९. श्री जांगड़े : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ और १९५३-५४ वर्षों के लिए अपने राज्य में गहरे कुएं खोदने के हेतु क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रैक्टरों, अन्य मशीनों और विशेषज्ञ कर्मचारियों की सहायता मांगी है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उस राज्य की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुदान की भी प्रार्थना की है ; और

(ग) इस विषय में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) राज्य सरकार ने १४ छेद करने वाली मशीनें, १४ दबाने वाली मशीनें, २८ पानी ले जाने वाली गाड़ियों तथा इन को चलाने के लिए सेना इंजीनियरिंग कर्मचारियों की मांग की थी ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सामान की कमी होने के कारण भारत सरकार मध्य प्रदेश द्वारा मांगी गई छद करने की मशीनों, दबाने की मशीनों तथा पानी ले जाने वाली गाड़ियों को देने की स्थिति में नहीं है । फिर भी, केन्द्र ने राज्य सरकार को पानी ढ़ोने वाली २० लारियां देने को कहा है । इस विषय में प्रयत्न किया जा रहा है कि क्या राज्य सरकार की आवश्यकताओं को सैनिक सामान के अलावा और कहीं से पूरा किया जा सकता है।

राजीम के माघ और शिवरात्रि मेले

१०७०. श्री जांगड़े : क्या **रेल तथा यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे में रायपुर धमतरी लाइन पर स्थित राजीम के माघ और शिवरात्री मेले में जाने वाले यात्रियों से, रेलवे को टिकटों की बिक्री द्वारा गत पांच वर्षों से प्रत्येक वर्ष में कितने रुपयों की आमदनी हुई;

(ख) गत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में उक्त प्रयोजन के लिए कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ; और

(ग) इन मेलों में आने वाली जनता को सरकार ने कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) माघ और शिवरात्रि मेले के सम्बन्ध में राजीम तक तथा राजीम से यात्रियों को बेचे गये टिकटों से रेलवे की गत पांच वर्षों में निम्नलिखित आमदनी हुई :

१९४८	७,४८० रुपये
१९४९	९,७५९ रुपये
१९५०	१२,५६९ रुपये
१९५१	३,९५१ रुपये
१९५२	७,१७९ रुपये।

(ख) ऐसे अवसरों पर विशेष रूप से किये गये प्रबन्धों का अलग से हिसाब नहीं रखा जाता है ; अतः पूछी गई सूचना सरलता से उपलब्ध नहीं है ।

(ग) नियमित रूप से चलने वाली रेलगाड़ियों में तीसरी श्रेणी के अतिरिक्त डब्बे लगाने के अलावा आवश्यकता पड़ने पर विशेष गाड़ियां भी चलाई गई थीं । निम्नलिखित सुविधाओं का भी प्रबन्ध किया गया था :—

(१) पीने के पानी की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई ।

(२) विशेष डाक्टरी प्रबन्ध ।

(३) अस्थायी पाखानों का प्रबन्ध ।

(४) राजीम में रोशनी का विशेष प्रबन्ध ।

(५) अतिरिक्त भंगियों को लगा कर राजीम स्टेशन की सफाई ।

फौरबेसगंज-राधोपुर रेलवे लाइन

१०७१. श्री एल० एन० मिश्र : क्या रेल मंत्री फौरबेसगंज राधोपुर रेलवे लाइन के सम्बन्ध में १८ फरवरी, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४५ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा बतलायेंगे कि :

(क) मार्ग में कोसी नदी की कौन कौन सी धाराएं पड़ती हैं ;

(ख) कितने वर्षों से उक्त क्षेत्र में कोसी की बाढ़ नहीं आई है ; तथा

(ग) रेलवे लाइन को पुनः बनाने में अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) कोसी नदी की निम्नलिखित १३ धाराएं मार्ग में पड़ती हैं :—

(१) चुकरा धार ।
(२) श्रीही धार ।
(३) सारा धार ।
(४) ल्वारिश्रा धार ।
(५) सुरसुर नदी ।
(६) घेर नाला ।
(७) रोनरा धार ।
(८) कोसी की पुरानी धारा (पहला क्रासिंग) ।
(९) बुचहिया ।
(१०) कोसी की पुरानी धारा (दूसरा क्रासिंग) ।
(११) बेल्स धार ।
(१२) बुरहर धार ।
(१३) राधोपुर के पास दो बिना नाम के नाले ।

(ख) रेलवे के पास विस्तार में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

(ग) लगभग एक करोड़ रुपये ।

गण्डक नदी पर रेलवे पुल

१०७२. श्री बी० एन० राय : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लगभग पिछले १६ वर्षों से चित्तानी घाट और बाधा स्टेशनों के बीच गण्डक नदी पर पुनः रेलवे पुल बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; तथा

(ख) क्या इस का पुनः निर्माण १९५३-५४ वर्ष में आरम्भ किया जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) १९२५ में गण्डक नदी इस रेलवे पुल को बहा ले गई थी तथा इस समय नदी की हालत को ध्यान में रखते हुए नया पुल बनाने पर विचार किया गया है किन्तु अभी तक मंजूर नहीं हुआ है ।

(ख) जी नहीं ।

ट्रेनर वायुयान को क्षति

१०७३. सरदार ए० एस० सहगल : (क) संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या २७ फरवरी, १९५३ को हवाई पट्टी पर हिन्द फ्लाइंग क्लब के दो व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाले एक इंजन के ट्रेनर वायुयान को क्षति पहुंची थी ?

(ख) क्या कोई जांच कराई गई है ?

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

(घ) दुर्घटना के क्या कारण थे और इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ)। दुर्घटना की अब भी जांच हो रही है।

एस० के० जी० शुगर मिल लिमिटेड मीरगंज

१०७४. श्री झूलन सिन्हा : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एस० के० जी० शुगर मिल लिमिटेड, मीरगंज (सरन बिहार) ने भोरे तथा कतिया थानों से आने जाने की यातायात सम्बन्धी सुविधाओं के लिए अपनी ट्रामवे लाइन बिछाने के बारे में अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने उपरोक्त अनुमति के लिए दिये गये प्रार्थनापत्र का समर्थन किया है ;

(ग) क्या यह सत्य कि उक्त योजना उक्त अनुमति न मिलने के कारण रुकी पड़ी है ; तथा

(घ) आवश्यक अनुमति देने के सम्बन्ध में सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख)। जी हां।

(ग) तथा (घ)। इस समय उक्त योजना सरकार के विचाराधीन है।

चलते फिरते अस्पताल

१०७५. श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ वर्ष के बजट में जो पांच लाख रुपये की व्यवस्था की गई है उसमें से ग्राम्य क्षेत्रों के लिए कितने चलते फिरते अस्पतालों की व्यवस्था किये जाने की आशा है तथा उन्हें राज्यवार किस प्रकार से नियत करने का विचार है; तथा

(ख) क्या यह केवल राज्यों द्वारा ही वितरित किये जायेंगे अथवा संस्थाओं को सीधे भी दे दिये जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) चलते फिरते अस्पताल सम्बद्ध राज्य सरकारों को नियत किये जायेंगे।

बेल्जियम से डब्बों के ढांचों का क्रय

१०७६. श्री विटल राव : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ वर्ष में बेल्जियम से पहिये और धुरी रहित कितने डब्बों के पूरे और खड़े ढांचों का आर्डर दिया गया था ;

(ख) १९५२-५३ वर्ष में कितने डब्बे प्राप्त हुए ;

(ग) शेष कब तक प्राप्त हो जायेंगे ;

(घ) क्या इन ढांचों की रेलवे कारखानों में बौडी तैयार की जायेंगी ; तथा

(ङ) यदि हां, तो किस कारखाने या कारखानों में बौडियां तैयार की जायेंगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ९७५ बड़ी लाइन के, ५० छोटी लाइन के।

(ख) तथा (ग)। ढांचों का आना जून, १९५३ से आरम्भ होगा तथा १-४-५४ तक सब के आजाने की आशा है।

(घ) जी हां, कुछ सीमा तक, शेष हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में।

(ङ) मध्य, पश्चिम, उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण रेलवे के कारखानों में तथा हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर में।

बेल्जियम से मालगाड़ी के डब्बों का क्रय

१०७७. श्री विट्टल राव : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में पहिये और घुरियां रहित, किन्तु अन्य सब बातों में पूर्ण, अर्ध के० डी० अवस्था में कितने मालगाड़ी के डब्बों का आर्डर दिया गया था;

(ख) अब तक कितने आ चुके हैं;

(ग) शेष के कब तक आ जाने की सम्भावना है ; तथा

(घ) भारतीय मुद्रा में प्रत्येक का क्या मूल्य है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २९[**

पैट्रोल की टंकी वाले डब्बे

१०७८. श्री विट्टल राव : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५३ में पहिये और घुरियां रहित, किन्तु अन्य सब प्रकार से पूर्ण, पैट्रोल की टंकी वाले, एम० वी० टी० पी० प्रकार के कितने डब्बों का आर्डर दिया गया था ;

(ख) १९५२-५३ में इनमें से कितने आ चुके हैं ;

(ग) शेष डब्बों की कब तक आ जाने की सम्भावना है ; तथा

(घ) भारतीय मुद्रा में प्रत्येक का मूल्य क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १२०।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) फरवरी १९५४ तक भारत में टंकी वाले डब्बों के आ जाने की सम्भावना है।

(घ) प्रत्येक का कारखाने के बाहर १९,२२० रुपये, तथा भारत में आने पर २६,९०० रुपये।

नई रेलवे परियोजना

१०७९. श्री धुलेकर : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने एक ऐसी परियोजना पर विचार किया था जिसके अनुसार टीकमगढ़, छतरपुर, नौगांव तथा पन्ना की भूतपूर्व रियासतों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र मे रेल व्यवस्था करने तथा उनसे ललितपुर, हरपालपुर, बांदा, कमसिन तथा करवी आदि से रेल द्वारा मिलने की योजना थी ।

(ख) क्या यह सत्य है कि उस परियोजना को चम्बल नदी बहुप्रयोजन योजना के कारण त्याग दिया गया था तथा क्या यह योजना अब तक कार्यान्वित नहीं हुई है ; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त भाग (क) में निर्देशित परियोजना पर पुनः गौर करने का है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि वह लाभदायक नहीं थी।

(ग) इन परियोजनाओं को पुनः हाथ में लेने का इस समय कोई विचार नहीं है।

हुगली नदी में ज्वार की लहर

१०८०. श्री कासलीवाल : (क) **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या

फरवरी १९५३ में हुगली नदी में ज्वार की भारी लहर आई थी ?

(ख) यदि हां, तो नदी में जहाजों को कितनी क्षति उठानी पड़ी थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३०**]

जूट उगाने वाले क्षेत्र

१०८१. श्री के० पी० सिन्हा : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाल ही में पाकिस्तान से हुए व्यापार समझौते को ध्यान में रखते हुए १९५३ में जूट लगाने वाले क्षेत्रों में से कितनी एकड़ भूमि पर चावल की खेती के किये जाने की सम्भावना है ?

(ख) इस प्रकार के क्षेत्र में की गई खेती से चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

(ग) जूट के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होने का अब क्या प्रोग्राम है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हाल ही में हुए भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौते के फलस्वरूप जूट उगाने वाले क्षेत्र में से किसी भी क्षेत्र में चावल की खेती किये जाने की सम्भावना नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान से जूट का आयात किये जाने के फलस्वरूप जूट के उत्पादन प्रोग्राम में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

चलते फिरते अस्पताल

१०८२. डा० अमीन : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक चलते फिरते अस्पताल की मोटरगाड़ियों और उपकरणों की क्या लागत होती है ;

(ख) ऐसे अस्पतालों को कौन से उपकरण दिये जायेंगे ;

(ग) प्रतिदिन ऐसे अस्पताल से कितने व्यक्तियों की सेवा हो सकेगी ;

(घ) ऐसे प्रत्येक अस्पताल में कितने व्यक्ति काम करते हैं तथा ऐसे प्रत्येक अस्पताल के कर्मचारियों पर अनुमानित कितना व्यय होता है ; तथा

(ङ) राज्य सरकारों को ऐसे कितने अस्पताल दिये गये हैं तथा साथ ही यह भी कि प्रत्येक राज्य को कितने मिले हैं और प्रत्येक राज्य में केन्द्र कितना खर्चा सहन करता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) यंत्रों, दवाओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को निकाल कर एक बनी बनाई मोटरगाड़ी का मूल्य लगभग ३२,००० से ३४,००० रुपये तक होता है जोकि बनवाने के नकशे पर निर्भर करता है ।

(ख) छोटे मोटे चीर-फाड़ के मामलों में जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है उनके अलावा ऐसे अस्पतालों में दवाओं, पुट्टियों आदि का भी प्रबन्ध होता है ।

(ग) दिल्ली के अनुभव के आधार पर लगभग १२० रोगियों की प्रति दिन सेवा की जा सकती है ।

(घ) प्रत्येक ऐसे अस्पताल में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

(१) सिविल असिस्टेंट सर्जन श्रेणी १ . .	१
(२) कम्पाउन्डर	१
(३) ड्रैसर	१
(४) ड्राइवर	१
(५) क्लीनर	१

कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष लगभग ९,६०० रुपये खर्च होंगे।

(ङ) विभिन्न राज्य सरकारों को ऐसे अस्पताल नियत करने का प्रश्न विचाराधीन है। समस्त मामलों में केन्द्रीय सरकार केवल मोटरगाड़ी और उपकरणों का खर्च सहन करेगी। कर्मचारियों तथा ऐसे अस्पतालों की देखभाल का खर्च सम्बद्ध राज्य सरकारों को ही सहना पड़ेगा।

रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी

१०८३. डा० अमीन : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं ; तथा

(ख) इस कमेटी के प्रशासनीय खर्च के लिए १९५०, १९५१ तथा १९५२ वर्षों में प्रत्येक सदस्य ने कितना दान दिया ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी में स्विस नागरिक होते हैं जिनकी संख्या २५ से अधिक नहीं हो सकती है। उनके नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ख) यह जरूरी नहीं कि रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी को उसके सदस्य दान दे ही। परन्तु जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली सरकारों तथा राष्ट्रीय रेड क्रास समितियों से आशा की जाती है कि वे कमेटी को दान देंगी तथा वे देती भी हैं।

चावल का आयात

१०८४. श्री एम० आर० कृष्ण : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ तथा १९५२ वर्षों में पाकिस्तान, बर्मा, थाइलैन्ड तथा चीन से आयात किये गये चावल की मात्रा; तथा

(ख) कितने मामलों में भारतीय बन्दरगाहों में चावल की परीक्षा करने के पश्चात् यह पाया गया कि वे उसी किस्म के नहीं हैं जिस किस्म का नमूना दिखाया गया था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) आयात किये गये चावल की मात्राएं इस प्रकार हैं :

(टनों में)

	पाकिस्तान	बर्मा	थाइलैन्ड	चीन	कुल
१९५१	१,५८,०२३	३,२०,६७२	२,१९,५९५	६५,७७९	७,६४,०६९
१९५२	१३,७१०	३,७५,५७६	१,८६,३३३	१,५०,०९९	७,२८,७१८

(ख) ऐसे मामलों की जिनमें भारतीय बन्दरगाहों में चावल की परीक्षा करने पर उन्हें प्रामाणिक किस्म के नमूनों या समझौतों में उल्लिखित प्रकार का नहीं पाया गया, संख्या इस प्रकार थी :—

	पाकिस्तान	बर्मा	थाइलैन्ड	चीन	कुल
१९५१	५१	६५	३५	७	१५८
१९५२	२	७३	२८	कुछ नहीं	१०३

पंजाब में लगाये गये नल-कूप

१०८६. प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ वर्ष में 'अधिक अनाज उपजाओ' योजना के अन्तर्गत पंजाब तथा पेप्सू में कितने नल-कूप लगाये गय ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :

पंजाब १३७।

पेप्पसू कुछ नहीं।

पंजाब में अनाज समाहार मूल्य

१०८७. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाब में विभिन्न प्रकार के अनाजों का समाहार करने की क्या दरें निर्धारित की गई हैं ?

(ख) क्या यह दरें पिछले वर्ष की दरों से कम है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

(ख) जी नहीं, चावल, गेहूं तथा जौ के सम्बन्ध में वही दरें हैं जो पिछली फ़सल में थी । बाजरा और ज्वार का वर्तमान मूल्य पिछले वर्ष के मुकाबले में क्रमशः १० आने और आठ आने प्रति मन अधिक है । गत वर्ष के विस्टप-अनुमाप के मुकाबले इस वर्ष मक्का का मूल्य समस्त वर्ष के लिए १० रुपये प्रति मन पर निर्धारित कर दिया गया है ।

विवरण

चालू मौसम में विभिन्न अनाजों का समाहार मूल्य

(प्रति बी० मन रुपयों में)

	रु० आ० पा०
चावल	
बासमती . .	२४-१०-० (मिल के बाहर)
बढ़िया किस्म का जैसे परमल, हंसराज, मुशकिन आदि .	२१-१४-०
सोन . .	१८- ६-०
बेगमी . .	१७-१३-०
दारा . .	१६- २-०
बाजरा . .	८-१२-०
ज्वार . .	८- ८-०
मक्का . .	१०- ०- ०
जौ . .	८- ६- ०
गेहूं . .	१३- ०- ०
	१५ जुलाई १९५३ १२-१२-० (इसके पश्चात्)

बिना टिकट यात्रा

१०८९. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ वर्ष में उत्तर खन्ड रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या ; तथा

(ख) उसी अवधि में जुर्माने के रूप में कितना धन वसूल किया गया तथा किराये के रूप में कितना धन वसूल किया गया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है । अतः पत्री वर्ष १९५२ के सम्बन्ध में सूचना दी जाती है ।

(क) ११,५४,६२६ ।

(ख) वर्ष १९५२ में बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों से किराये के रूप में १७,७१,५४८ रुपये तथा उसी अवधि में जुर्माने के रूप में ३,८८,७७६ रुपये वसूल किये गये थे ।

खली (नियंत्रण हटाना) आदेश

१०९०. **श्री बंसल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खली (नियंत्रण हटाना) आदेश, १९५२ के अन्तर्गत हैदराबाद को छोड़ कर खली के लाने ले जाने, उत्पादन, मूल्य तथा वितरण के सम्बन्ध में समस्त पाबन्दियां हटा ली गई हैं ;

(ख) क्या फरवरी १९५३ में हैदराबाद में भी इस सम्बन्ध में पाबन्दियां हटा ली गई हैं ;

(ग) क्या आदेश के अन्तर्गत राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी मिल द्वारा उत्पादित खली की ५० प्रतिशत तक की मात्रा को अपने आप निर्धारित किये गये मूल्यों पर समाहारित कर सकती है ;

(घ) राज्य सरकारें किस दर पर खली का समाहार कर रही हैं तथा खली का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है ;

(ङ) क्या यह सत्य है कि बाजार में खली को उस मूल्य से अधिक पर बेचा जा रहा है जिस पर कि राज्य सरकारें मिलों को देती है ; तथा

(च) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि खली का कृषिसार के रूप में प्रयोग करना बेकार है क्योंकि उसका इससे अच्छा प्रयोग किया जा सकता है तथा इससे अच्छे दाम प्राप्त किये जा सकते हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग) तक । जी हां ।

(घ) उपलब्ध सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(ङ) जी हां।

(च) खाने वाली खली मवेशियों के लिए अच्छी चीज़ होती है और देश में इस प्रकार की खली की कमी है । अत: राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे खाद के लिए और चीज़ों का प्रयोग करें जैसे 'ब्लडमील', मछली की खाद, 'मीटमील' मैला आदि तथा जहां तक सम्भव हो खाने वाली खली को मवेशियों के लिए छोड़ दें ।

241 PSD.

पंजाब के लिए डाक और तार मंत्रणा समिति

१०९१. डा० सत्यवादी : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में डाक और तार मंत्रणा समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां तो उस समिति के सदस्य कौन हैं ;

(ग) क्या इस समिति में अनुसूचित जातियों का कोई प्रतिनिधि है ;

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जाति के सदस्य का नाम क्या है ; और

(ङ) किस आधार पर इस समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन किया गया है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) मैं समिति के सदस्यों की एक सूची सदन पटल पर रखता हूं ।

(ग) जी नहीं । समिति में प्रतिनिधित्व साम्प्रदायिक आधार पर नहीं दिया जाता ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) सदस्यों को विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित किया जाता है जैसा कि भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के विवरण में निर्देश किया गया है ।

विवरण

अध्यक्ष – पोस्टमास्टर-जनरल, अम्बाला

पंजाब सरकार के नाम निर्देशित व्यक्ति

सदस्य –(१) श्री मंगत राय, स्थानीय स्वशासन, पंजाब के सचिव (सरकारी)

(२) ठाकुर बलवन्त सिंह, एम० एल० ए० (ग़ैर-सरकारी)

पेप्सू सरकार के नाम निर्देशित व्यक्ति

(३) सरदार बलवन्त सिंह,
उप सचिव (गृह)
पेप्सू, पटियाला ।

जम्मू और काश्मीर सरकार के नाम निर्देशित व्यक्ति

(४) श्री डी० एन० जिनसी,
अधीक्षक, तार तथा टलीफोन,
श्रीनगर ।

हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर के लिए राज्य मंत्रालय के नाम निर्देशित व्यक्ति

(५) श्री महेश चन्द्र, महा सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संसद का सदस्य

(६) श्री अमरनाथ विद्यालंकार,
संसद सदस्य,
१३५, नार्थ एवन्यू, नई दिल्ली ।

व्यापार तथा वाणिज्य के प्रतिनिधि

(७) सेठ राधाकृष्ण, सचिव, पंजाब
कपड़ा उत्पादन संघ, अमृतसर ।

(८) श्री जे० डी० गुप्ता, पंजाब रजिस्टर्ड
(आयरन एण्ड स्टील) स्टाक
होल्डर्स एसोसिएशन लिमिटेड,
ट्रजरी रोड, अम्बाला सिटी ।

खोये हुए मनीआर्डर तथा बीमा पत्र

१०९२. श्री गणपति राम : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ वर्ष में कुल कितने मनीआर्डर तथा बीमा पत्र खोये तथा वे कुल कितनी राशि के थे ;

(ख) उनमें से कितने पुनः प्राप्त हो गये तथा पाने वाले या भेजने वाले को कितनी राशि दे दी गई ;

(ग) कितने खोये हुए मनीआर्डरों तथा बीमा पत्रों के सम्बन्ध में अब भी जांच जारी है ; तथा

(घ) सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) से (घ) तक । सूचना संग्रह की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

कल्याण निरक्षक

१०९४. श्री रामजी वर्मा: (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व ओ० टी० रेलवे सेक्शन पर, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे का फतेहगढ़ सेक्शन भी शामिल है, कितने कल्याण निरीक्षक काम करते हैं तथा पूर्वोत्तर रेलवे के शेष सेक्शनों पर कितने कल्याण निरीक्षक काम करते हैं तथा दोनों सेक्शनों पर अलग अलग उनकी वेतन श्रेणी तथा वर्ग क्या है ?

(ख) भूतपूर्व ओ० टी० रेलवे सेक्शन के कितने कल्याण निरीक्षक, कल्याण निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा इनमें से कितने वास्तव में वह कार्य कर रहे हैं जो कि रेलवे प्राधिकार उनसे कराना चाहता है जैसे शिकायतों की जांच तथा अन्य ऐसी ही बातें ?

(ग) क्या इन कल्याण निरीक्षकों का नियंत्रण करने के लिए कोई कल्याण अधिकारी है ?

(घ) यदि हां, तो मजदूरों के साथ सम्बन्ध बनाये रखने के क्षेत्र में उसकी क्या योग्यता है?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित विवरण में दी हुई हैं :—

भूतपूर्व ओ० टी० रेलवे सेक्शन पर, जिनमें पूर्वोत्तर रेलवे का फतहगढ़ सेक्शन भी शामिल है, काम करने वाले कल्याण निरीक्षकों की संख्या तथा उनकी वेतन-श्रेणी और वर्ग			शेष सेक्शनों पर काम करने वालों की संख्या तथा उनकी वेतन-श्रेणी और वर्ग		
वर्ग	संख्या	वेतन-श्रेणी	वर्ग	संख्या	वेतन-श्रेणी
कल्याण निरीक्षक	३	२६०-३५०	कल्याण निरीक्षक	२	२६०-३५०
,,	५	२००-३००	,,	४	२००-३००
,,	८	१५०-२२५	,,	८	१५०-२२५
	१६			१४	
			कर्मचारी निरीक्षक	२	२६०-३५०
			,,	१	१५०-२२५
			काम के घंटे नियमन निरीक्षक	१	२००-३००
			,,	३	१५०-२२५

(ख) ओ० टी० सेक्शन में, जिस में फतहगढ़ सेक्शन भी शामिल है, समस्त कल्याण तथा कर्मचारी सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं ।

(ग) तथा (घ) । ऐसा कोई कल्याण अधिकारी नहीं है । समस्त कल्याण निरीक्षक प्रधान कर्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयों में कर्मचारी अधिकारियों की हिदायतों पर काम करते हैं । इस समय चार ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जिनके पास कलकत्ता विश्वविद्यालय का समाज कल्याण डिप्लोमा है ।

सलूर-बौब्बीली रेलवे लाइन

१०९५. **श्री राजगोपाल राव** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में पूर्व रेलवे की सलूर बौब्बीली ब्रान्च लाइन को पुनः बनाने के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

(ख) पिछले वर्ष जो राशि नियत की गई थी क्या वह सब परियोजना पर खर्च हो गई ?

(ग) लाइन को पुनः बनाने की कुल लागत क्या है ?

(घ) ब्रान्च लाइन के पूरी तरह से बन जाने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातयात उपमंत्री (श्री अलगेशन) (क) वर्ष १९५३-५४ के बजट में बौब्बीली सलूर ब्रान्च को पुनः बनाने के लिए २ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) अभी समायोजन करना बकाया है, फिर भी, १९५२-५३ वर्ष में जिसे ६ लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया है वह पूर्ण रूप से खर्च हो जायेगी ।

(ग) कुल अनुमानित लागत १०.८ लाख रुपये है जिसमें २.६ लाख रुपये की ऐसी भी राशि शामिल है जो रेल-सम्बन्धी-व्यय से अलग खर्च की जायेगी ।

(घ) चालू वर्ष में (१९५३-५४) कार्य के पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

भारतीय रेलवे दर अधिकरण

१०९६. श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५३ तक भारतीय रेलवे दर अधिकरण पर कितना व्यय किया जा चुका है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में कितने प्रार्थनापत्र स्वीकार किये गये तथा कितने प्रार्थनापत्रों को निबटाया गया;

(ग) नियुक्त किये जाने के पश्चात् से क्या अधिकरण की स्थापना में कोई छंटनी की गई है ; तथा

(घ) यदि हां, तो कब और किस सीमा तक ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वार्षिक व्यय, जिसमें अधिकरण के सदस्यों तथा कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते तथा निर्देशकों आदि का भुगतान भी शामिल है, इस प्रकार है :—

निम्नलिखित तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष	राशि रुपये
३१-३-१९५०	१,३७,०००
३१-३-१९५१	१,७१,०००
३१-३-१९५२	१,८०,०००
३१-३-१९५३	१,६८,००० (अनुमानतः)

(ख) प्रत्येक वर्ष में प्राप्त हुई तथा निबटाई गई शिकायतों और प्रार्थनापत्रों की संख्या इस प्रकार है :—

निम्नलिखित तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष	संख्या प्राप्त	संख्या निबटाई गई
३१-३-१९५०	—	—
३१-३-१९५१	५	—
३१-३-१९५२	८	८
३१-३-१९५३	५	५

(ग) जी नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

अंक ३

संख्या १३

बृहस्पतिवार,

१६ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

श्री टी० एस० शंकर अय्यर की मृत्यु [पृष्ठ भाग ३३८३]

बित्त विधेयक तथा केन्द्रीय आबकारी तथा नमक (संशोधन) विधेयक—
बिचार प्रस्ताव—स्वीकृत [पृष्ठ भाग ३३८३—३४८०]

(मूल्य ६ आने)

282 PSD

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १६ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(**देखिये भाग १**)

श्री टी० एस० शंकरअय्यर की मृत्यु

अध्यक्ष महोदय : भूतपूर्व विधान सभा के सदस्य श्री टी० एस० शंकर अय्यर की मृत्यु की सूचना सदन को देते मुझे बहुत दुख: हो रहा है। मैं इस सदन की ओर से दिवंगत के परिवार से समवेदना प्रकट करना चाहता हूं। सदन समवेदना प्रकट करने के लिए एक मिनट तक मौन खड़ा रहे।

वित्त विधेयक तथा केन्द्रीय आबकारी तथा नमक (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्तुत किये गये वित्त विधेयक पर तथा उस के साथ ही साथ केन्द्रीय आबकारी तथा लवण अधिनियम, १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर अग्रेतर चर्चा करेगा।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : यह वित्त विधेयक एक ऐसे फ़िजूलखर्च पति की चिट्ठी जैसा है जिसने अपनी समृद्धि के समय तो अपनी पत्नी की परवाह की नहीं थी परन्तु बाद को अपने आप को मामले के सम्भालने में असमर्थ पा कर उसे अपने पत्र में आधी सफलता का हाल लिखा हो और अन्त में उस से अपने आभूषण बन्धक रख कर कुछ रुपया भेजने को प्रार्थना की हो। अत: अपनी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को समझने के लिए

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

हमें इस विधेयक की पृष्ठभूमि की जांच करनी आवश्यक है।

हमारा राष्ट्रीय ऋण बढ़ता जा रहा है और इस समय वह हमारी राष्ट्रीय आय से तीन गुना हो गया है शेष व्यय के लिए हमें ऋणों अथवा करों पर पूर्णतया निर्भर रहना होता है। हमारे करों का भार भी काफ़ी अधिक है। साथ ही हमें दुर्भिक्ष तथा रूखा जैसी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना होता है। उधर हमारे पास हमारी पंचवर्षीय योजना है जिसे हमें शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करना है और उन्हीं को ही कार्यान्वित करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। हमारे देश के इतिहास में यह पहली बार ही नहीं है कि हम को घाटे की अर्थ योजना का

[कुमारी एनी मस्करीन]

सामना करना पड़ा है। सामान्य अवस्था में अथवा मन्दी के समय राष्ट्रीय ऋण लेकर पूंजी को बढ़ाना उचित समझा जाता है, परन्तु घाटे की अर्थ योजना को ऋणों या करों से पूरा करना होता है। सब से विचित्र बात यह है कि घाटे की अर्थ योजना का परिणाम प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना और बेकारी का दूर होना है, परन्तु भारत में इस के विपरीत हुआ है। इतने ऋणों और करों के बाद भी बेकारी अत्यधिक बढ़ गई है। अर्थात् इस प्रकार की कार्यवाही से अन्य देशों ने जो लाभ उठाया है उस से हमारा देश वंचित रह गया है। जनता की क्रयशक्ति का ह्रास, मूल्यों का गिरना और जीवन निर्वाह स्तर का गिरना यह बताता है कि कहीं न कहीं हमारी राष्ट्रीय अर्थ योजना में कोई बहुत बड़ी त्रुटि है।

दक्षिण भारत में अवस्था और भी बुरी ह। वहां वाले इस घाटे की अर्थ योजना को समझते हैं और न ही करारोपण के बढ़ाय जाने के औचित्य को। दक्षिण भारत की समस्त औद्योगिक गति विधि ठप्प हो गई है। तो भी हमें करारोपण की मार से बचाया नहीं जा रहा है। पूंजी के एकीकरण के परिणाम हम भुगत रहे हैं। इस विभेदात्मक व्यवहार की नीति से भीषण राजनीतिक परिणाम निकलने को हैं। शीघ्र ही इस उपेक्षा और लापरवाही का परिणाम इतना भीषण हो जायेगा कि स्थिति को सम्भालना कठिन होगा। त्रावनकोर-कोचीन का समस्त औद्योगिक जीवन ठप्प हो गया है। वहां का नारियल जटा उद्योग तथा टिटेनियम उद्योग बन्द हो चुके हैं। चीनी और रासायनिक द्रव्यों के उद्योग बन्द हो गये हैं, काजू तथा खड्डी उद्योग भी समाप्त प्रायः है, बहरेयान (कृत्रिम रेशम) उद्योग जिस में हम ने १० करोड़ रुपये लगाये थे बन्द हो गया है। चीनी, विद्युत तथा उपउद्योग बन्द हो गये हैं और अब रबड़ और चाय उद्योग भी बन्द होते जा रहे हैं। सब से दुःख की बात तो यह है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य का बुरी तरह शोषण किया गया है। हमारे सब से मूल्यवान संशोधन, जिस से हमें अपने राजस्व का अधिकांश भाग प्राप्य होता है, त्रावनकोर में पाये जाने वाले खनिज पदार्थ हैं। सदन में यह भी बताया जा चुका है कि हम उद्योग के सम्बन्ध में राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार को बिना बताये चुपचाप करार किये जा रहे हैं। यह पहली बार हीं नहीं है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य को शोषण का शिकार होना पड़ा है। मैं त्रावनकोर-कोचीन के उस ओर बैठे प्रतिनिधि से पूछना चाहती हूं कि क्या वह इस शोषण में भागीदार हैं। मैं उन से पूछना चाहती हूं कि गरीब, भूखे, दयनीय, अभागों को क्या उन की सहमति से शोषित होने दिया गया है। इसके विरोध में क्या वह इस सदन से त्याग पत्र देंगे। मेरे पास मेरे निर्वाचन क्षेत्र से पत्र आये हैं जिन में यह पूछा गया है कि क्या मैंने केन्द्रीय सरकार को यह सूचित किया है कि त्रावनकोर से टैपियो का निर्यात किया जा रहा है और इस कमी के समय में वहां की जनता चावल के अभाव के कारण भूखों मर रही है। मैं ने इस सम्बन्ध म एक अल्प सूचना प्रश्न भेजा था परन्तु अभी तक कोई उत्तर मुझे नहीं मिला है। अतः एक अभावग्रस्त, औद्योगिक विकास में पिछड़े तथा योजना बनाने वालों की उपेक्षा के शिकार इस क्षत्र की जनता उस तर्क को, जिसे वित्त मंत्री ने बढ़ते हुए

क्रम के समर्थन में दिया है, समझने में असमर्थ हैं। हमें यह निश्चय हो गया है कि हमारी निष्कृति आप के द्वारा नहीं हो सकती है। केवलमात्र एक स्वतन्त्र दक्षिण ही हमारी पेट की ज्वाला को बुझा सकता है। बढ़ती बेकारी और भूखे पेट से हमारा राष्ट्र निर्माण की शेख़ चिल्ली जैसी योजनाओं में सहयोग देना असम्भव है। वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने बहुत सुन्दर चित्र उपस्थित किये हैं परन्तु उन से भी भला कहीं पेट भर सकता है।

वित्त मंत्री के भाषण से ज्ञात होता है कि वह डाक प्रणाली को बहुत हानि उठा कर चला रहे हैं। परन्तु मेरा तो प्रश्न यह है कि इस हानि को सहन कौन कर रहा है। सौभाग्य से मैं त्रिवेन्द्रम की अतिरिक्त विभागीय सेवा कर्मचारी संघ की सभापति हूं। मैं उन कर्मचारियों की दशा को जानती हूं। उन को २० रुपया वेतन मिलता है जिस में से उन को मकान किराया देना होता है और अपना भरण-पोषण करते हुए देहाती डाकखानों को चलाना होता है। मैं पूछती हूं कि क्या उन को उस संविधान के प्रति, जो समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रत्याभूति देता है, कोई आदर भाव है। यह पोस्ट मास्टर अधिकतर नवयुवक हैं और हाल ही में भरती किये गये हैं। उन को बिना किसी प्रकार के निवृत्तवेतन लाभ, भत्ता अथवा भविष्य निधि लाभ के अपना जीवन समाप्त कर देना है। क्या यह शोषण नहीं है? क्या यह मानवता है? यदि आप डाक व्यवस्था का प्रसार करना चाहते हैं तो आप को स्वयं भी कुछ न कुछ काम करना होगा और तभी उस व्यवस्था से लाभ हो सकेगा।

श्री एस० वी० रामास्वामी (सलेम): वित्त विधेयक का स्वागत करते हुए मैं तीन बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं, और वह हैं मद्रास राज्य की आर्थिक स्थिति, दिल्ली में अतिशय केन्द्रीयकरण तथा व्यय पर प्रभाव शून्य आर्थिक नियंत्रण।

किसी नये कर के न लगाये जाने तथा विमुक्ति स्तर के बढ़ाये जाने से निस्संदेह कुछ सुविधा मिली है, परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता है कि जो व्यक्ति अधिकर देने की स्थिति में हैं उन को छूट क्यों दी गई है। साथ ही यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती है कि प्रसाधन वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया गया है। मेरे विचार से इन वस्तुओं पर इतना कर लगाया जाना चाहिये जिस से कि इनका आयात प्रायः बन्द ही हो जाय। ब्रिटेन से आयात किये जा रहे कपड़ पर लगाया गया शुल्क काफी नहीं हैं।

कुछ सदस्यों ने मद्रास राज्य में फ़ैली दुखद अवस्था की ओर निर्देश किया था। वहां की स्थिति इतनी विषम हो चुकी है कि केन्द्रीय सरकार को अविलम्ब उस ओर ध्यान देना आवश्यक है। मद्रास राज्य सरकार ने युद्ध काल में अपने राजस्व अतिरेक में से ५० करोड़ रुपये की रक्षित निधि बनाई थी और सन् १९४८-४९ तक में उस ने उस निधि में ५ करोड़ रुपये और डाले थे। मद्रास राज्य की अर्थ व्यवस्था दुर्भाग्य से कृषि व्यवस्था पर निर्भर है और कृषि कार्य प्रकृति की कृपा दृष्टि पर निर्भर रहता है। इस अभागे राज्य में गत छः वर्ष से पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है जिस का परिणाम सन् १९५१ में रायलासीमा में पड़े दुर्भिक्ष के रूप में दिखाई दिया। यह अब तामिलनाड तक फैल गया है। वहां की स्थिति इतनी विषम हो गई थी कि प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री को रायला सीमा की स्थिति जानने के लिए वहां का दौरा करना पड़ा था। उन के

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

द्वारा किये गये वायदों के आधार पर मद्रास सरकार ने १० करोड़ रुपया केवल मात्र दुर्भिक्ष सहायता पर खर्च कर दिया। केन्द्र ने केवल दो करोड़ रुपये ऋण के रूप में और ४८ लाख रुपये दलिया केन्द्रों के लिए दिये हैं। वर्तमान परिस्थिति में अतिरिक्त कर भी नहीं लगाये जा सकते हैं। बिक्री कर से होने वाली आय, जिसे मद्य निषेध के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिए लगाया गया था, भी कम हो गई है क्योंकि जनता की क्रय शक्ति कम हो गई है और उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसाय सभी प्राय: ठप्प हो रहे हैं। इस से आय में कमी हो रही है। सन् १९५०-५१ में यह कमी १·२६ करोड़ रुपये की थी, सन् १९५१-५२ में ५ करोड़ रुपये की थी और सन् १९५२-५३ में ६ करोड़ रुपये की थी। पैट्रोल शुल्क बढ़ा कर राज्य सरकार ने इस कमी को पूरा करने की चेष्टा की, पर कुछ काम बना नहीं। ऋण लेना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि राज्य के पास उस ऋण को वापस देने के साधन ही नहीं हैं। जब तक कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा मद्रास सरकार इस संकट से उद्धार नहीं पा सकेगी।

केन्द्र द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाये जाने से बहुत पहले ही मद्रास राज्य ने सिंचाई तथा विद्युत की कई योजनायें चालू की थीं। मुचकन्द परियोजना, मोदार परियोजना तथा तुंगभद्रा तथा लोअर भवानी जैसी सिंचाई परियोजनायें, मानीमुथर, मैट्टूर तथा मालमपुजा परियोजनायें उसी एक विशाल योजना का अंश हैं। इन पर ८५ करोड़ रुपया व्यय होने की आशा थी और मद्रास सरकार ७५ करोड़ रुपया इन पर व्यय कर भी चुकी है। केन्द्रीय सरकार ने सन १९५१-५२ में ६ करोड़ रुपये अपनी विशेष विकास निधि से दिये थे और सन् १९५२-५३ में ७ करोड़ रुपये का एक ऋण दिया गया था। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अभी १६ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि इन को पूरा कैसे किया जाये। न तो इन को बन्द किया जा सकता है और न छोड़ा ही जा सकता है। अत: मेरा निवेदन है कि मद्रास राज्य ने इन परियोजनाओं को पूरा करने तथा दुर्भिक्ष सहायता के लिए जिस १० करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की है वह उसे दे दिया जाये। यदि यह धनराशि शीघ्र ही न दी गई तो दुर्भिक्ष की स्थिति बहुत विषम हो जायेगी। किसी राज्य को इतना अधिक अनुदान देना वांछनीय तो अवश्य नहीं है परन्तु मद्रास राज्य की असामान्य स्थिति को देखते हुए यह दे दी जानी चाहिये।

मेरे कुछ सुझाव हैं। एक छोटी सिंचाई योजनायें आयोग स्थापित किया जाना चाहिये। बड़ी परियोजनाओं से कुछ क्षेत्रों को ही लाभ पहुंचता है, परन्तु वित्तीय संसाधनों को देश के कोने कोने में फैला देने के लिए यह आवश्यक है कि एक आयोग नियुक्त किया जाये जो देश के प्रत्येक भाग के सिंचाई संसाधनों की जांच करे और इन छोटी सिंचाई योजनाओं को बनाने में प्राथमिकता दे जिस से कि देश के कोने कोने को लाभ पहुंच सके और जो जलराशि व्यर्थ जा रही है उसे समुचित रीति से काम में लाया जा सके। पश्चिमी घाट से अपरिमित जलराशि अरब सागर में जा कर गिरती रहती है। सन् १८९७ में पैटियर बांध बनाकर इस व्यर्थ जा रही जलराशि को मदुरा तथा रामनद जिलों की सिंचाई करने के लिए काम में लाया गया था। मेरी इच्छा है कि इसी प्रकार की अन्य योजनायें बनाई जायें। यदि हम व्यर्थ जा रही जलराशि को किसी

प्रकार पूर्व की ओर लाया जा सके तो समस्त तामिलनड लहलहाते खेतों से भर उठेगा। अतः मैं माननीय वित्तमंत्री से आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि वह इस आयोग की स्थापना के सम्बन्ध प्रयत्नशील हों।

मेरा यह भी निवेदन है कि ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा व्यय किये जाने के लिए जो ३ १/२ करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है वह कम है। फिर विकास योजना के नाम से यह ऐच्छिक संस्थायें पहले से ही कार्य कर रही हैं। इस के अनुसार एक तिहाई सहायता सरकार देती है और दो तिहाई व्यय जनता स्वयं वहन करती है यदि केन्द्र १० करोड़ रुपये की सहायता दे सकता तो ३० करोड़ रुपये के मूल्य की सहायता, श्रम अथवा सामान के रूप में और मिल जाती है। माननीय वित्तमंत्री इस पर ध्यान दें, इस से मद्रास राज्य में सुख समृद्धि फैलाने में बहुत सहायता मिलेगी।

जिस प्रकार देश में औद्योगिक विकास हो रहा है उस से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रति केवल मौखिक सहानुभूति ही प्रकट की जा रही है। अतः मेरा वित्तमंत्री से निवेदन है कि वह इस बात की ओर ध्यान दें कि हमारा औद्योगिक विकास जापान, स्विटजरलैंड, स्वीडन, नार्वे, डैन्मार्क जैसे छोटे देशों के अनुसार हो, क्योंकि हमारी सामाजिक अवस्था उन जैसी ही है और उन की भांति ही हमारे संसाधन भी सीमित हैं। अतः औद्योगिक विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण के पुनरीक्षित किये जाने की अविलम्ब आवश्यकता है। छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास पर जोर दिया जाना चाहिये, न केवल सामरिक दृष्टिकोण से ही अपितु देश में बढ़ती बेकारी को रोकने और रोजगार देने के दृष्टिकोण से भी इन के विकास पर जोर दिया जाना चाहिये।

मैंने निवेदन किया था कि व्यये पर किया गया नियंत्रण ढीला था। बजट के व्याख्यात्मक विवरण के पृष्ठ २५ पर दिया हुआ है कि ८९ लाख रुपये की रकम अन्तर्राष्ट्रीय धन निधि से अंशदान प्राप्त करने में व्यय हुए हैं। इतनी रकम किस काम में व्यय हुई है ? पृष्ठ ७३ पर दिया हुआ है बंगाल में सिन्कोना की कृषि पर १४००० रुपये की आय करने के लिए कोई १७ लाख रुपये व्यय किये गये हैं। मुझे आशा है कि वित्तमंत्री इस सम्बन्ध में अधिक प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। ५४९६ पर यह दिया हुआ है कि ६ करोड़ ६० लाख रुपये बिलासपुर की राजधानी को बनाने पर खर्च किये जायेंगे। वह एक भाग ग में का राज्य है फिर उसकी राजधानी पर इतना व्यय क्यों किया जा रहा है ? ५.१९ करोड़ रुपये की एक रकम भाग ग में के राज्यों में राजस्व की कमी पूरी करने के लिये व्यय की जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी धन राशि भाग ग में के राज्यो में क्यों व्यय की जा रही है। इस धनराशि का अधिकांश भाग शान शौक़त बढ़ाने इत्यादि पर व्यय किया जायेगा राष्ट्रनिर्माण कार्यों पर नहीं। मुझे यह भी विश्वास नहीं होता है कि वित्तमन्त्री राज्य परिषद् को समापित करने के लिए सहमत होंगे, इस से २५ लाख रुपये का लाभ होगा।

हीराकुड बांध के सम्बन्ध में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। पहले प्राक्कलन १७३ करोड़ रुपये का था, अब ५० करोड़ रुपये और मांगे जा रहे हैं। इंजीनियरों ने सरकार को बुरी स्थिति में फंसा दिया है और अब ५० करोड़

[श्री एस० वी० रामास्वामी]

रुपये की और मांग की जा रही है । पहले अनुमान था कि ९३३,००० किलोवाट विद्युत जनन की जायेगी परन्तु अब कहा जा रहा है कि केवल ३४१,००० किलोवाट जनन की जायेगी और वर्षा ऋतु में केवल ५४५ किलोवाट ही । प्राक्कलनों में इतनी गलती कैसे होती है ? जिन इंजीनियरों ने यह प्राक्कलन बनाये थे उनको दण्ड देने के लिए क्या किया गया है ?

मेरा यह भी निवेदन है कि राज्यों में किये जा रहे सुधार कार्यों के सम्बन्ध में केन्द्र को कोई दृढ़ कार्यवाही करनी चाहिये । उदाहरण के लिए यदि जूरी और असेसरों की नियुक्ति बन्द कर दी जाये तो प्रांतों को काफ़ी बचत होगी । मितव्ययता के नाते ही राज्यों की वरिष्ठ सभाओं को भंग कर दिया जाना चाहिये ।

दूसरा निवेदन मेरा अतिशय केन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में है । मेरी समझ में नही आता कि दुनिया भर की सारी संस्थाओं जैसे अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद्, श्रम संस्था, अखिल भारतीय शिक्षा संस्था, रिजर्व बैंक इत्यादि को दिल्ली ही में क्यों केन्द्रित किया गया है । यदि इन को कहीं अन्य स्थान को भेज दिया जाये, कम से कम यदि रिजर्व बैंक को नागपुर भेज दिया जाये तो यहां जो मकानों की कमी है वह दूर हो जायेगी । अत: मेरा निवेदन है कि अधिक आवश्यक कार्यों के लिए रुपया बचाया जाना चाहिये ।

श्री बी० एल० तुडू (मिदनापुर—झड़ग्राम -अनुसूचित आदिम जातियां) : श्रीमान् आदिवासियों ने जंगली जानवरों से लड़ाई के खतरे को पूरा होते हुए इस देश के जंगलों को साफ किया, भूमि को समतल बनाया तथा बड़े बड़े गढ़ों को भर कर इस देश को रहने योग्य बनाया था, परन्तु खेद की बात है कि इतना काम करने वालों की अवस्था यथापूर्व ही है । कई हजार वर्षों से हमारी उपेक्षा की जा रही है तथा यद्यपि कुछ शुभचिन्तकों ने विभिन्न प्रकार से हमारी भलाई के काम करने भी चाहे तो भी अर्थ-अभाव तथा अन्य कठिनाइयों से वे हमारी सभी शिकायतों को दूर नहीं कर सके । फिर भी हम उनके इन प्रयत्नों के लिए कृतज्ञ हैं । सरकार में आम जनता के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी १९३५ के अधिनियम में भी हमारी उपेक्षा ही की गई । स्वतन्त्रता के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अधिक उन्नत जातियों तथा हमारे बीच के अन्तर को कम करने के लिए संविधान में हमारे लिए कुछ विशेषाधिकारों की व्यवस्था की । राज्य तथा केन्द्रीय विधान मण्डलों में हमारे लिए स्थान रक्षित किए गए । हम उनके अत्यन्त आभारी हैं । प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री विभागीय मामलों में उलझे होने के कारण हमारे लिए वह कुछ नहीं कर सके हैं जो कुछ वे करना चाहते हैं ।

मुझे सन्देह है कि पंच-वर्षीय योजना से आदिवासियों को भी कोई लाभ पहुंच सकेगा या नहीं, कारण यह कि उनका जीवन-स्तर शेष की औसत जनता से भी बहुत नीचे है । उन्हें स्वयं इस प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव न होने से, वे हमारी कठिनाइयों को नहीं समझ सकते । यहां पर विभिन्न योजनाओं, समितियों तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानों पर लम्बी चौड़ी बहस होती है, परन्तु हमारी जाति के सदस्य इन्हें समझ तक नहीं सकते । इस पर भी मैं सचमुच कृतज्ञ हूं कि वर्तमान सरकार ने हमारी जाति के एक सदस्य को पिछड़े

वर्ग सम्बन्धी आयोग का एक सदस्य नियुक्त किया है। परन्तु यह प्रतिनिधित्व काफी नहीं है। सदन से मेरी प्रार्थना है कि हमारे प्रतिनिधि सभी समितियों से लिये जायं ताकि वे अपनी शिकायतों को प्रस्तुत कर सकें तथा हमारे विकास की समुचित योजनाएं बनाई जा सकें।

मुझे कुछ शब्द "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के सम्बन्ध में कहने हैं। सरकार को इसमें कुछ सफलता अवश्य हुई है, परन्तु और तरीकों के अपनाने से अधिक सफलता हो सकती थी। एक त्रुटि यह है कि जिन व्यक्तियों को सरकार सहायता देना चाहती है, उन तक सहायता नहीं पहुंचती। यह कहीं बीच में ही रह जाती है। मेरा निवेदन है कि इस शिकायत को दूर किया जाय। कृषि मंत्रालय युवकों को कृषि सम्बन्धी संस्थाओं से क्रियात्मक सहायता दे। इस देश के वासियों की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि के लिए भूमि की स्थायी आधार पर व्यवस्था की जाय।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दे रही है। मेरा निवेदन है कि कोई तरीका निकाला जाय, जिससे सभी विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा मासिक शुल्क आदि के रूप में कुछ न कुछ सहायता मिल सके। योग्य तथा पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां दी जांय ऐसे उपाय किए जांय जिनसे सभी को अनुभव हो कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। आदिम जातियों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के सम्पर्क से बिना सत्र काल में इस बात की जांच पड़ताल के अधिकार दिए जांय कि क्या आदिवासियों के शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक उत्थान के लिए उचित उपाय किए जा रहे हैं या नहीं। मेरा यह भी कहना है कि हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की अवस्था भी हमारे जैसी ही है। उनके मामले पर भी सहानभूति से विचार किया जाय।

सेवाओं के विषय में कुछ संख्या हमारे लोगों के लिए रक्षित की जाती है। जब हमारी जातियों से उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलते तो सेवा को 'आम सेवा' घोषित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों ? सरकार को चाहिये कि ऐसी अवस्था में वह हमारी जातियों के व्यक्तियों को उन सेवाओं के लिए प्रशिक्षण दे। हमारे लिए सेवाओं के पांच या छः प्रतिशत भाग को जो निश्चित किया गया है, वह बहुत थोड़ा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार हमारे लिए अधिक संख्या की व्यवस्था करेगी।

श्री के० सी० जैना (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे हाउस में बोलने का जो मौका दिया, उस के लिये मैं आप का आभारी हूं।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सावधानी के साथ जो वित्त विधेयक बनाया है उस के लिये मैं उन को भी धन्यवाद देता हूं। हाउस में देखा जाता है कि हमारे विरोधी दल के सदस्य वर्ग बेकारी की शिकायत करते हैं। यह बात सही है कि हमारे देश में बेकारी फैली हुई है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी मिलने के साथ ही साथ हमारे यहां बहुत से स्कूल कालेज आदि खोले गये हैं। जो

[श्री के० सी० जैना]

हमारी शिक्षा अंगरेजों के शासन के समय से चली आ रही है वह ऐसी है कि हमारे स्कूलों और कालेजों से जो लड़की, लड़के निकलते हैं वे आफिस में बैठकर कलाभाव के सिवा पढ़ने लिखने के और कोई दैहिक मिहनत के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। हमारी बेकारी की ज़िम्मेवार हमारी शिक्षा है। जब तक इस शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा तब तक देश में बेकारी फैलती रहेगी। हमारी सरकार काफी कोशिश कर रही है के शिक्षा किसी तरह से बदली जाय, इसलिये हमें धीरज के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए।

मैं उड़ीसा से आया हूं और वहां के बारे म कुछ कहना चाहता हूं। मुझे एक हिन्दी की कहावत याद आती है कि सो है ग्वाले के लड़के को दूध की शिकायत। ग्वालों के घर में काफ़ी दूध निकलने की आशा की जाती है। लड़कों को दूध न मिले तो ताज्जुब की बात समझी जाती है। इसी तरह हमारा जो उड़ीसा है वहां काफ़ी खनिज पदार्थ हैं लेकिन दुःख की बात है उड़ीसा में उनको इस्तेमाल करने के लिए कोई कारखाना नहीं है। इसलिए मुझे बहुत शर्म आती है और मैं सरकार से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे उड़ीसा की उन्नति के लिये वहां पर कोई कारखाना खोला जाय। उधर काफी ब्रोमाइट है, काफी लोहा है और काफी दूसरी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल किया जाय। लेकिन खेद की बात है कि उधर अभी तक कोई कारखाना नहीं बन पाया।

ह हरिजनों और आदिवासियों के लड़कों की पढ़ाई के लिए सरकार ने जो कुछ सुविधा की है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं, लेकिन इसी के साथ साथ मैं उन विद्यार्थियों की कुछ कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन को जो स्टाइपेंड दिया जाता है वह ठीक समय पर नहीं दिया जाता है। हमारे पास कालिजों में पढ़ने वाले बच्चों की शिकायतें आती हैं कि उनको समय पर स्टाइपेंड नहीं मिलता है। इसलिए मैं सरकार से अर्ज़ करता हूं कि उनकी इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोशिश की जाय।

मैं बालासोर कांस्टीट्यूएंसी से आया हूं और वहां की कुछ बातें कहना चाहता हूं। बालासोर एक ऐसी जगह है जहां पर मैं समझता हूं कि मलेरिया घर बनाकर बैठ गया है। मैं तो समझता हूं कि बालासोर ज़िले में जितने आदमी बसते हैं उनमें से ६० प्रतिशत आदमियों को मलेरिया बुखार पकड़ता है और बहुत आदमी इसके शिकार हो जाते हैं। इसलिये मैं सरकार से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसके रुकावट के वास्ते भारत सरकार की तरफ से एक चलता दवाखाना का इन्तज़ाम हो जिससे कि गरीब आदमियों के पास मदद पहुंच सके और वे मलेरिया से छुटकारा प्राप्त कर सकें। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई कोशिश की जानी चाहिए।

हरिजनों और आदिवासियों के लिए सरकार की तरफ से कुछ नौकरियां सुरक्षित हैं। लेकिन मुझे जहां तक मालूम है जो अफसर उनकी नियुक्ति करते हैं वे ईमानदारी से नहीं करते हैं। कभी कभी हरिजनों और आदिवासियों के स्थान पर दूसरों को ले लिया जाता है। इसलिये मैं सरकार से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो स्थान उनके लिए सुरक्षित हैं उन पर उनको

नियुक्त करने के लिये ईमानदारी से कोशिश हो और जो अफसर नियुक्त करते हैं उनसे भी मेरी विनती है कि वे ईमानदारी से अपने काम को निभावें।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रणदमन सिंह (शाहडोल—सिधि—रक्षित—अनुसूचित आदिमजातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद है कि आप ने मुझे भी बोलने का मौका दिया।

अर्थमंत्री महोदय ने जो कुछ रचनात्मक कार्य किये हैं और करते जा रहे हैं उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मंत्री महोदय ने जो फाइनेन्स बिल पेश किया है उस पर आज कई दिनों से चर्चा हो रही है और कई महानुभावों ने उस पर अपने अपने विचार प्रकट किये हैं और उन बातों पर काफी प्रकाश डाला है जो कि जनता के हितार्थ हैं। मैं भी अपने कुछ चन्द सुझाव पेश करना चाहता हूं।

सरकार को जब कभी हम कहते हैं कि खर्च में और कुछ कमी होनी चाहिये तो सरकार अपने कर्मचारियों के बारे में शिकायत समझ कर फौरन नीची श्रेणी के कर्मचारियों को निकालना शुरू कर देती है जिससे वह बेचारे बेरोजगार होकर भूखों मरने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि उनमें खास तौर से बेकारी बढ़ जाती है और फिर उनकी ओर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वैसे तो हमारी सरकार दूसरे देशों की नकल करने में बहुत कुशल है लेकिन इस बात की नकल नहीं करती कि बरतानिया बेकारी और बेरोज़गारी की कट्टर दुश्मन है। वहां की सरकार खुद इस कार्य की ज़िम्मेदारी को लेती है कि वहां की जनता को काम में और रोज़गार में लगावे और काम दे। अगर वह किसी तरह से नौकरी या रोज़गारी नहीं दे सकती तो कम से कम कुछ आर्थिक सहायता तो देती है जिससे कि वह आदमी भूखे न मरने पायें। लेकिन हमारी सरकार अपने ऊपर इस तरह की ज़िम्मेदारी हरगिज़ नहीं लेती है और जो कुछ कार्य करती है उससे देश में बेकारी और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। हमारे मंत्री महोदय अपने भाषण में कहते हैं कि जनता को सरकार के काम में मदद देनी चाहिए जैसे सड़क, नहर, कुवां, मकान वगैरह बनाने में। उनसे कहा जाता है कि सोयमश्रम बिना वेतन काम करो। यहां तक कहा जाता है कि काम ही पूजा है और पूजा में दूजा की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि भूखी जनता किस तरह से इमदाद दे। एक कहावत है: "चार कौर भीतर फिर देव और पीतर", यानी जब कोई आदमी खाया पिया होगा तभी उसका मन काम करने में लगेगा। भूखे का कोई काम में मन नहीं लगता। मिसाल के तौर पर मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी विशाखापटनम के जहाज़ी कारखाने में करीब आठ सौ कर्मचारियों को धोखेबाज़ी और दुर्व्यवहार से निकाला गया है और आज वह बेचारे भूखे मर रहे हैं और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मुश्किल की बात यह है कि चाहे सरकार कितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं देश के सामने रखे लेकिन उसको खुद मालूम नहीं है कि जनता को क्या चाहिए और अपने ध्येय पर पहुंचने के लिए उसे किस रास्ते पर चलना है। ऐसी सूरत में यह योजना गरीब जनता के वास्ते आसमान के तारे के समान है कि देखने में तारे नज़र ज़रूर आते हैं लेकिन इस्तेमाल में कभी नहीं आते। कई बार हमारे बहुत से कांग्रेस भाइयों ने इन त्रुटियों पर खुले आम तो नहीं पर परदे की आड़ में

[श्री रणदमन सिंह]

प्रकाश डालकर अपना दृष्टिकोण बतलाया है। विरोधी दल के आदमी थोड़ा खुलासा कर देते हैं जिससे कि सरकार नाराजसी हो जाती है। लेकिन इन बातों पर सरकार को नाराज़ नहीं होना चाहिए और सब का सहयोग लेना उचित है। जनता को इन्हीं वजहों से सरकार की बातों पर और योजनाओं पर भरोसा नहीं है और जबतक सरकार यह भरोसा पैदा नहीं करेगी तबतक किसी कार्य में सफलता प्राप्त होनी मुश्किल है। और यह काम तभी सफल हो सकता है जब सरकार अपनी नीति को बदल कर गांधी जी के उसूलों पर चलने की चेष्टा करेगी।

एल तरफ योजना का विकास करना और दूसरी ओर बेकारी और भ्रष्टाचार का बढ़ाना तथा साथ ही सहयोग व सफलता का प्राप्त करना, कहां तक सम्भव हो सकता है? मैं तो अर्ज़ करूंगा कि बेकारी और बेरोज़गारी की सही तादाद मालूम करने के लिए सरकार एक कमेटी बनाए और उस के द्वारा देश भर की बेकारी और बेरोज़गारी को मालूम करे और जिस प्रान्त में जैसी बेकारी हो उस को दूर करने की चेष्टा करे और उस के बाद अपनी योजना को चालू करे तो शायद कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। इसी तरह दफ्तरों में कुछ कागज़ातों के काम का बढ़ावा बहुत हो चुका है। मिसाल के तौर पर जैसे और लोगों का (नान गज़टेड लोगों का) सैलरी बिल इकट्ठा बनाया जाता है, उसी तरह यदि गज़ैटेड अफ़सरों का सैलैरी बिल बनाया जाय तो क्या हर्ज हो सकता है, क्योंकि एक एक अफसर का अलग अलग सैलरी बिल बनाने में काम ज्यादा बढ़ जाता है और समय ज्यादा लगता है।

अब मैं कुछ दो तीन बातें विन्ध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। विन्ध्य प्रदेश के लिए जो रकम केन्द्रीय सरकार से दी जाती है उस को ग्रांट कह कर क्यों दिया जाता है? अभी तक सरकार ने कोई ऐसा खर्च विन्ध्य प्रदेश को नहीं दिया है जिस में विन्ध्य प्रदेश का कोई हक़ न हो, क्योंकि सन् १९४९ में विन्ध्य प्रदेश जब पार्ट सी हुआ तब से कुछ न कुछ बचत सरकार के ज़िम्मे होती गयी। सन् १९४९-५० में ७० लाख के करीब, सन् १९५०-५१ में ७० लाख के करीब और सन् १९५१-५२ में ७३ लाख की बचत अदा हुई। इस के अलावा सरकार से इनकम टैक्स व एक्साइज़ का जो हिस्सा हमें मिलना चाहिये था वह भी हम को नहीं मिला है। इस तरह से हमारी सुरक्षित निधि करीब साढ़े चार करोड़ के केन्द्र में जमा है। जिस में से सरकार से सन् १९५२-५३ के बजट में ९० लाख और सन् १९५३-५४ के बजट में एक करोड़ ७६ लाख के करीब खर्च के लिए दी जा रही है, यानी जुमला दो करोड़ ६६ लाख खर्च के लिये सरकार दे रही है। इस के बाद भी दो करोड़ ३४ लाख के करीब रुपये की बचत हमारी ही आप के पास में है। फिर इस को ग्रांट्स कैसे कहा जाता है? सरकार चाहे तो ग्रांट्स के रूप में भले ही दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कभी कभी यह भी कहे कि यह रकम विन्ध्य प्रदेश ही की है, क्योंकि ऐसा न कहने से साल दो साल बाद सरकार यह कह सकती है कि विन्ध्य प्रदेश को इनाम या सहायता कब तक दें। साथ ही यह भी कहा जाता है कि विन्ध्य प्रदेश में जितना खर्च है उतनी आमदनी नहीं। इसलिए यह खत्म या मर्जर क्यों न कर दिया जाय। सरकार से इसलिए अनुरोध है कि ऐसी ग़लत तिकड़म लगा कर विन्ध्य

प्रदेश को एसी मर्जर की स्थिति में न लावे ।

दूसरी बात वह है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स व शिड्यूल्ड कास्ट के लिए जो रकम सरकार देती है उस रकम को खर्च करने के लिए विन्ध्य प्रदेश में जो कमेटी बनी है उस में उन जातियों के ज़िलेवार कोई भी मैम्बर नहीं हैं जिससे उस कमेटी द्वारा उन जातियों को विशेष फायदा नहीं हो पाता । इसलिये रकम बेकार में खर्च हो जाती है । इसलिये वहां की प्रान्तीय सरकार को वहां केन्द्र द्वारा सूचित किया जाय कि ज़िलेवार मैम्बर उस कमेटी में शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट की जनता के चुनाव द्वारा रखे जायें, जिस से इस रकम का वहां की ग़रीब ट्राइब जनता पर्याप्त फायदा उठा सके ।

विन्ध्य प्रदेश में तकाबी देने का जो नियम प्रान्तीय सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए रखा है उस में एक तो ज्यादातर पार्टी बन्दी के नाते से कांग्रेस वालों को ज्यादा तकावी देते हैं, दूसरों को नहीं और दूसरे सिर्फ उन को तकावी देते हैं जो फ़रगुसन ट्रैक्टर खरीदने को तय करें । मैं सरकार द्वारा जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं । एक ही कम्पनी को एसा क्यों फायदा देते हैं । इस के अलावा वह ट्रैक्टर छोटे भी होते हैं और वे पहाड़ी मुल्क में काम नहीं दे सकते । इसी तरह पम्पिग सैट खरीदने में दिया करते हैं जिससे वहां की जनता को जिसे वास्तव में तकावी मिलनी चाहिए वह बेचारे परेशान होने पर भी नहीं पाते । ऐसी हालत में वहां की आर्थिक समस्या में कैसे सुधार हो सकता है । सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस तरह के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को प्रान्तीय सरकार द्वारा विन्ध्य प्रदेश से फौरन् दूर करने की कोशिश की जाय ।

बजट के बाबत एक बात और है । जो बजट सरकार से मिलना है वह इतनी देर में मिलता है कि प्रान्तीय सरकार खर्च नहीं कर पाती जिस मे वह लैप्स हो जाता है । सिर्फ काग़ज़ी दिखावट का एक ढांचा रह जाता है जो जनता के लिये न के बराबर है । फिर 'सी' पार्ट स्टेट को दिये हुए खर्च की रकम को खर्च करने का भी पूरा अधिकार नहीं है जिसे वह समय पर खर्च नहीं कर पाते । मंज़ूरी लेने में और लिखापढ़ी करते करते उनका समय बरबाद हो जाता है । इसलिये वह रकम फिर से लैप्स हो जाती है । अस्तु उन्हें यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि वह खर्च कर सकें और साथ ही उन्हें यह चेतावनी दी जानी चाहिये कि यह रकम देहातों में जनता के हित में ज्यादा खर्च हो, जैसे तालाब, बांध, कुंए, पंपिंग वग़ैरह में और सड़कों वग़ैरह के बनाने में । यहां से रकम जनता के हितार्थ ली जाती है और फिर दूसरी चीज़ों पर बेकार खर्च कर देते हैं ।

एक बात मुझे और कहनी है और वह कहनी है आदिवासियों की बाबत । आदिवासियों के बारे में एक कहावत है "ग़रीबी में आटा गीला" । इस तरह से जब कि आदिवासियों के बाबत सरकार को मालूम है कि यह लोग खुद नौकरी पेशा पसन्द नहीं करते और न शिक्षा को प्राप्त करने के लिये अब तक इच्छा प्रकट करते हैं और न उस में दिलचस्पी लेते हैं । फिर भी ऐसी हालत में अगर कोई मुश्किल से आदिवासी शिक्षा प्राप्त कर के और सरकार में कोई जगह पाने की या कोई काम करने की कोशिश करता है तो उस के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उस का अनादर किया जाता है । Time Bell (इस समय घंटी बजी) । बस साहब, थोड़ा सा एक मिनट और दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री रणदमन सिंह : कभी नहीं बोला, साहब । थोड़ा सा एक मिनट और दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है ।

श्री रणदमन सिंह : तो अभी एक हाल की बात है कि मध्य प्रदेश के एक आदिवासी ने किसी तरह बी० ए०, एम० ए० पास कर के सरविस की । दस महीने सरविस करने के बाद उस को सरविस से निकाल दिया गया । यह बड़े खेद की बात है । जब एक मिसाल के तौर पर वह आदिवासी लड़का भरती हुआ था और शायद उस को देख कर बहुत से आदिवासी उत्साहित होते, जैसे कि सरकार की योजना में है कि आदिवासियों को और शिड्यूल्ड कास्ट वालों को प्रोत्साहन दिया जाय तो उस लिहाज़ से वह परीक्षा पास कर के नौकर हुआ तो दूसरे भाई भी उस तरफ आकर्षित होते, लेकिन उस को प्रोत्साहन देने के बजाय वह निरुत्साहित किया गया । ऐसी हालत में इन जातियों की उन्नति और सुधार होना बड़ा मुश्किल है । इसलिए मैं सरकार से चाहता हूं कि जैसे सरकार ने अपनी योजना में कम से कम, पांच प्रतिशत के लिहाज़ से उस को बना कर तैयार किया है, उस लिहाज़ से इन आदमियों को जो कि मुश्किल से कोई उत्तीर्ण होते हैं, उन को किसी न किसी हालत में ज़रूर कोई पेशा या रोज़गार सरकार अपनी तरफ से दे ताकि उन को प्रोत्साहन मिले और अपनी आर्थिक कठिनाई दूर करते हुए वे शिक्षा की प्रगति को बढ़ाने में भी उत्साहित हों ।

बस, मैं सरकार से विनम्र निवेदन के साथ अर्ज़ करता हूं कि वह मेरे सुझावों पर अवश्य ध्यान दे और विन्ध्य प्रदेश के बारे में जो मैं ने अर्ज़ किया है उस पर भी अवश्य ध्यान दे जिस से कि वहां ऐसी त्रुटि न होने पावे और सरकार वहां गरीब जनता के हितार्थ में ध्यान दे ।

प्रो० एस० एन० मिश्र (दरभंगा—उत्तर) : हमारे वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष में राष्ट्र के वित्तीय मामलों को जिस सफलतापूर्ण ढंग से चलाया है तथा राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को जो ठोस रूप दिया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । युद्ध के बाद हमने प्रथम बार मुद्रास्फीति की कमर तोड़ दी है । अब मूल्य निश्चय ही उपभोक्ता के पक्ष में हैं । मूल्य अब पहले से अधिक स्थिर हैं तथा प्रत्यय परिस्थिति हमारे वश में है । एक महान् परिवर्तन हमारे देश में यह हुआ है कि मूल्यों की कमी के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि हुई है । सब से अधिक उत्पादन वर्ष १९५२ में हुआ । मैं समझता हूं कि अब हमारी आर्थिक परिस्थिति बदल गई है तथा पंचवर्षीय योजना से देश उन्नति तथा समृद्धि के मार्ग पर चल पड़ा है ।

यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि सरदार पटेल को देश के राजनैतिक एकीकरण का श्रेय है तो देश के आर्थिक संगठन का श्रेय वर्तमान वित्त मंत्री महोदय को प्राप्त है ।

इसके साथ साथ हमारी आर्थिक व्यवस्था म कुछ त्रुटियां भी आ गई हैं । स्वतन्त्रता के बाद हमारे नकद शेष समाप्त हो चुके हैं । इस मद के अन्तर्गत हम अपने २०० करोड़ रु० का व्यय कर चुके हैं । हमारा सार्वजनिक व्यय ४०० करोड़ रु० तक बढ़ गया है । रक्षित मुद्रा में हमारी कमी ६५० करोड़ रुपये है । हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जब हम अपने आयव्ययक के घाटे को

नकद् शेष से या ऋण लेकर पूरा नहीं कर सकते । क्या अब ऐसा केवल विदेशी सहायता से या 'बनाए गए' (मुद्रित) धन से हो सकता है ।

हाल ही में 'लन्दन इकोनोमिस्ट' के एक लेख के अनुसार अमरीका में १९५३ के अन्त में मन्दी आ रही है तथा इसके साथ एक शुभ समाचार यह है कि कोरिया में शान्ति की स्थापना की सम्भावना बढ़ रही है । आर्थिक व्यवस्था में किसी प्रकार के प्रभाव के पड़ने में इन दो बातों को मुख्यतः विचार में रहना चाहिये । मेरी आशंका है कि सम्भवतः हमारी आय के कुछ स्रोत जाते रहें । माननीय वित्त मंत्री इन बातों की ओर ध्यान दें ।

मैं कुछ सुझाव बैंकिंग तथा बीमे के कारबार के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में देना चाहता हूं । कांग्रेस दल कुछ मुख्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए वचनबद्ध है । हम भी धन विनियोजन के इन स्रोतों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं । परन्तु यह एक उद्देश्य ही है । किस सीमा तक किस परिस्थिति में तथा किस रीति से यह राष्ट्रीयकरण किया जाय, इन प्रश्नों पर सक्रिय विचार की आवश्यकता है तथा यदि बिना किसी कठिनाई के हम यह काम कर सकें तो राष्ट्रीयकरण के किसी विशेष सैद्धान्तिक दृष्टिकोण पर हमें अनुरोध नहीं करना चाहिये । मेरा विचार है कि इसी उद्देश्य को राष्ट्रीय विनियोजन बोर्ड की स्थापना द्वारा भी दिया जा सकता है । यह विचार सब से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना-निर्माण समिति को सूझा था । मेरा यह निश्चित मत है कि यदि राष्ट्रीयकरण के बिना ही हम धन के विनियोजन को नियन्त्रित करना चाहते हैं, यदि हम विनियोजन को एक निश्चित दिशा में ले जाना चाहते हैं, यदि हम बुरे विनियोजन को रोकना चाहते हैं तथा इसे ठोस प्रकार का बढ़ावा देना चाहते हैं तो राष्ट्रीय विनियोजन बोर्ड की स्थापना से बहुत सहायता मिल सकती है ।

मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यदि हमारा अन्तिम ध्येय सभी व्यक्तियों को काम पर लगाना है तथा यदि हम राष्ट्रीय योजना को पूरा करना चाहते हैं तो इसी प्रकार के किसी मार्ग को अपनाना पड़ेगा । कुछ समय पहले वाणिज्य मंत्री ने संकेत दिया था कि विनियोजन को वाञ्छनीय दिशा में ले जाने के लिए कुछ न कुछ किया जायगा । मेरा विचार है कि राष्ट्रीय विनियोजन बोर्ड की स्थापना से उनका विचार भी पूरा हो सकेगा । इससे विनियोजित धन पर निश्चित समय में निश्चित आय हो सकेगी । इसे केवल नियन्त्रक निकाय ही नहीं होना चाहिये, अपितु आर्थिक व्यवस्था करने वाली तथा विनियोजक निकाय भी होना चाहिये ।

अब मैं पिछले छः वर्षों में अनुसरण की गई अपनी वित्तीय या राजस्व नीति के बारे कुछ कहना चाहता हूं । ऐसा मालूम होता है कि इस छः वर्ष के समय में हमारी नीति अधिक आय वाले वर्गों को रियायतें देने की ही रही है तथा मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाने की भी । अन्तिम बात प्रशंसनीय तथा वाञ्छनीय थी परन्तु मैं समझता हूं कि अवसर आ गया है जब हमारी सरकार को अग्रेतर करारोपण की निरर्थकता का अनुभव होना चाहिये ।

[प्रो० एस० एन० मिश्र]

इन रियायतों से न तो विनियोजन ही बढ़ा है तथा न ही ऋणों सम्बन्धी कार्य-संचालन में सफलता हुई है। सरकार को देखना चाहिये कि पूंजी निर्गमन तथा आज बाजार में परिस्थिति क्या रही है। ऐसा जान पड़ता है कि सरकार अभी इस बारे में निश्चय नहीं कर सकी है कि क्या देश की आर्थिक समस्या का हल अधिक करारोपण तथा कठोर नियन्त्रण द्वारा होगा या नरम नियन्त्रण तथा कम करारोपण से। सरकार ने अभी तक जो बीच का मार्ग अपनाया है, वह कुछ उचित ही था, परन्तु अब जब कुछ स्थिरता प्राप्त हो गई है तो हमें अपनी करारोपण नीति में कुछ प्रगतिशील बातें लानी चाहियें। चालू वर्ष ऐसा करने के लिये सबसे अच्छा वर्ष है। हमने पंचवर्षीय योजना का आरम्भ किया है तथा हम राष्ट्र से उक्त योजना के लिए त्याग करने की अपील कर सकते हैं।

मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि यदि सरकार ने देश से और अधिक बलिदान करने की अपील की होती तो देश ने अवश्य ही उस का साथ दिया होता। परन्तु मुझे ज्ञात नहीं है कि ऐसा किन कारणों वश नहीं किया गया। आप का कहना है कि हम प्रत्यक्ष करारोपण में और वृद्धि नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस से किसी प्रकार का लाभ होने की सम्भावना नहीं है। परन्तु इस बात पर जरा एक दूसरे पहलू से भी तो विचार कीजिये। यदि आप निजी उद्योग क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात्, वर्तमान स्थिति को ही चलने देते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप यह चाहते हैं कि धन केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में बना रहे जैसी कि वर्तमान स्थिति है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक करारोपण जांच समिति नियुक्त कर दी गई है। यद्यपि ऐसा बहुत देर बाद किया गया है। मैं यह कह कर समिति के सदस्यों का निरादर नहीं करना चाहता, फिर भी, मुझे इसमें अधिक प्रसन्नता होती यदि समिति के सदस्यों में कुछ ऐसे व्यक्ति राजनैतिक दलों के भी रख लिये जाते जिनका अनुभव तथा योग्यता अतिविशिष्ट होती। मैं चाहता हूं कि समिति करारोपण के सम्बन्ध में नई नीति का अनुसरण करे। माननीय वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह दिल्ली की तड़क भड़क को ही ध्यान में न रखें बल्कि देहातों को भी ध्यान में रखें क्योंकि अधिकतर लोग उन्हीं में बसते हैं। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व): मैं कुछ राष्ट्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करूंगा किन्तु इसका यह अर्थ न लगाया जाय कि मैं ऐसा केवल सरकार की आलोचना करने के लिये ही करूंगा बल्कि मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं। इस में तो सन्देह ही नहीं है कि हमारे वित्तीय प्रशासन में कुछ अच्छी बातें भी हैं। परन्तु साथ ही आने वाली विपत्तियों से आंखें बन्द कर लेना भी हमारे लिये हितकर न होगा। माननीय वित्त मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि हम अन्तकालीन समय से गुजर रहे हैं। निस्संदेह, हमारे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु निर्वाह-देशना में कोई कमी नहीं हुई है। और यदि लोगों की खरीदने की शक्ति में परिवर्तन नहीं किया गया तो उसका हमारे उत्पादन पर भी

प्रभाव पड़ेगा । इस सम्बन्ध में सरकार ने अपनी योजना हमारे सामने नहीं रखी है कि वह इस समस्या को किस प्रकार सुलझाने जा रही है । मेरे विचार में उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुये सरकार, उद्योगपतियों तथा मजदूरों को मिल कर इस समस्या का हल ढूंढना चाहिये ।

इस के अलावा बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में भी विदेशों में खूब प्रतियोगिता हो रही है जिसका प्रभाव हमारे उत्पादन पर अवश्य पड़ेगा । इस बात को तो सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में इस वर्ष कम राजस्व प्राप्त होगा । यहां तक कि कुछ बड़े बड़े उद्योगों में माल जमा होना आरम्भ हो गया है । कुछ फैक्टरियां बन्द हो चुकी हैं । इन सब बातों का फल यह हुआ है कि देश के अनेक भागों में बेकारी जोर पकड़ रही है । परन्तु सरकार ने अपनी नीति में कहीं पर भी इस समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में रचनात्मक कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया है ।

जहां तक खाद्य का सम्बन्ध है, देश में अनेक ऐसे भाग हैं जहां अकाल बना रहता है । मेरा सरकार से निवेदन है कि वह अपनी अकाल संहिता में परिवर्तन करे । कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की खरीदने की शक्ति कम हो जाती है और वे बाजार में अनाज होते हुए भी उसे नहीं खरीद पाते हैं । अकाल संहिता का अनुसरण करते हुए बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी परिस्थितियों में भी सहायता देने से इन्कार कर देती हैं । देश की आर्थिक दशा में तब तक सुधार न हो सकेगा जब तक अनाज की कीमतें कम नहीं हो जाती हैं क्योंकि आमदनी का लगभग ५० प्रतिशत खाद्य पर ही व्यय होता है ।

योजना आयोग ने अपनी पंचवर्षीय योजना में कृषि को ही महत्व दिया है यहां तक कि कुल राशि का ५० प्रतिशत इसी विषय पर व्यय होगा । परिणाम यह है कि बहुत से उद्योगों की हालत खराब हो गई है । आज एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री ने बतलाया था कि यदि गन्ना उपलब्ध होता तो उत्तर प्रदेश में १३ चीनी की फैक्टरियां बन्द न होतीं । क्या सरकार ने इसी प्रकार की आर्थिक योजना बनाई है कि अन्य वर्षों के मुकाबले इस वर्ष चीनी का उत्पादन कम हो जाये ? इसका परिणाम तो यह होगा कि देश में चीनी की कमी हो जायेगी तथा हम बाहर भी न भेज सकेंगे । इसके अलावा बेकारी भी बढ़ेगी । चाय उद्योग का भी यही हाल है । यद्यपि इसकी समस्याएं और ही प्रकार की हैं । पटसन के सम्बन्ध में जो भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौता हुआ है उस से तो इस उद्योग की हालत बहुत ही खराब हो गई है । पटसन का मूल्य बिल्कुल ही गिर गया है । उत्तर प्रदेश में तो यह ७ या ८ रुपये मन बिक रहा है । एक ओर तो योजना आयोग ने सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश में ३ लाख एकड़ भूमि पर और पटसन की खेती की जाये, दूसरी ओर वहां के मुख्य मंत्री का कहना है कि अगले वर्ष ६०,००० एकड़ भूमि में से, जिस पर इस वर्ष पटसन की खेती की गई है, आधी पर भी पटसन की खेती का होना सम्भव नहीं है । जब सरकार से पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए कहा जाता है तो वह कहती है कि अभी वह इस

[डा० एस० पी० मखर्जी]

सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं कर सकी। परन्तु यदि वह इस प्रकार के मुख्य उद्योगों के सम्बन्ध में ऐसे विचार रखती है तो भविष्य उज्ज्वल प्रतीत नहीं होता। इन उद्योगों मे अधिकतर विदेशियों को पूंजी लगी हुई है। यदि सरकार उनकी राय पर ही चलती रही तो हम प्रगति न कर सकेंगे क्योंकि हो सकता है उनकी राय हमारे राष्ट्रीय कल्याण से मेल न खाती हो।

देश के अनेक भागों में सरकारी कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह कारखाने इतनी प्रगति करें कि हम उन वस्तुओं के सम्बन्ध में आत्म निर्भर हो जायें। परन्तु ऐसा न हो कि राष्ट्रीयकरण के नाम पर हम इन कारखानों में नौकरशाही का बोल बाला कर दें। हमें एसे साधनों का उपयोग करना चाहिए जिस से यह कारखाने कुशलता पूर्वक, ईमानदारी से तथा व्यापारी ढंग पर चलाये जा सकें। मुझे यह सुन कर बहुत दुःख हुआ है कि विषाखापटनम् में जहाज बनाने वाले हमारे कारखाने में से लगभग ८०० कारीगरों को निकालने का प्रस्ताव है। मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने इस सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच करने के लिए अपनी आवाज उठाई है। यदि जांच के पश्चात् यह परिणाम निकलता है कि इन कारीगरों को हटाना अनिवार्य है तो मेरा निवेदन है कि कोई ऐसी योजना बनाई जाये जिस से हम इन कारीगरों की सेवाओं का अन्य प्रकार से लाभ उठा सकें।

लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में जिन बातों का उल्लेख किया है उनको पढ़ कर, वास्तव में, हृदय को धक्का लगता है। मैं इस बात को मानता हूं कि जब बड़ी बड़ी परियोजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी तो उस में बड़ी बड़ी गलतियां तो होंगी ही। परन्तु इन बातों को काफ़ी सीमा तक रोका जा सकता है यदि हम परियोजना के कार्यान्वित होने से पहले उसकी लेखा-परीक्षा कर लें।

सरकारी कारखानों में कर्मचारियों और सरकार के बीच विशेष प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए। आप उन के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार का निजी उद्योगपति करते हैं। आप कल्याण राज्य स्थापित करने की बातें करते हैं। परन्तु ऑर्डनैन्स फ़ैक्टरियों आदि से जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं उन से ज्ञात होता है कि सरकार और मजदूरों के बीच जो सम्बन्ध है उस में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। हमें सामूहिक हित का ध्यान रखते हुए एक अलग ही वातावरण बनाना होगा।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को बनवाने पर हम ने करोड़ों रुपये व्यय किये हैं। प्रधान मंत्री के शब्दों में उन से बड़ी बड़ी बातों की आशा की जा सकती है। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। यदि आप उन प्रयोगशालाओं में काम करने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं तो यह सुन्दर इमारतें केवल देखने के लिए ही रह जायेंगी। आप इन प्रयोगशालाओं में काम करने के लिए विश्वविद्यालयों या अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षित व्यक्तियों को लाते हैं। परन्तु यदि विश्वविद्यालयों को अच्छी हालत में न रखा गया तथा उनको पर्याप्त आर्थिक सहायता न दी गई तो आप इन प्रयोगशालाओं

म काम करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को कहां से लायेंगे । अतः मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालयों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाये ।

करारोपण के सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता, फिर भी, जहां तक डाक सम्बन्धी दरों का सम्बन्ध है किताबों और अन्य ऐसी ही वस्तुओं के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है । उस से विद्यार्थियों को काफी हानि पहुंचेगी तथा साथ ही वित्त मंत्री को भी उससे कोई विशेष लाभ न होगा । डाक सम्बन्धी दरों को बढ़ाने की बजाय वह और तरीकों से भी राशि प्राप्त कर सकते थे । वित्त मंत्री ने अपने संशोधन में यह कहा है कि यदि किसी धार्मिक समुदाय के लिए दान दिया जाता है तो वह उस दान को कर-मुक्त नहीं कर सकते हैं । मैं उन के इस संशोधन से सहमत नहीं हूं । यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष समुदाय के लिए दान देता है तो आप उसे दान मानने से क्यों इन्कार करते हैं । अब भी मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वह इस विषय पर फिर से विचार करे । यदि ऐसा दान किसी असमाजिक कार्य के लिये दिया जाता है तो सरकार उसे अस्वीकार कर सकती है किन्तु यदि किसी योजना के अनुसार किसी समुदाय की सहायता की जाती है तो सरकार को आपत्ति नहीं करनी चाहिए ।

हमें बढ़ते हुए खर्चे को रोकना चाहिए । मेरे विचार में हम इस देश में करारोपण द्वारा अधिक धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं । करारोपण जांच समिति को अपना कार्य पूरा करने में दो वर्ष लग जायेंगे । अतः हमें इतने समय में कुछ न कुछ तो करना ही होगा । इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव रखता हूं तथा आशा करता हूं कि वित्त मंत्री उन पर निष्पक्ष होकर ध्यान पूर्वक विचार करेंगे ।

मेरे विचार में नमक कर पुनः लगा दिया जाना चाहिए । इससे किसी पर अधिक भार भी न पड़ेगा तथा सरकार को प्रतिवर्ष १० से १२ करोड़ रुपये तक प्राप्त हो जायेंगे ।

सरकार से मेरा निवेदन है कि वह अपनी मद्य-निषेध नीति पर फिर से विचार करे । मध्य-निषेध के कारण देश को ४० से ५० करोड़ रुपए तक की राशि से हाथ धोना पड़ता है । यह तो एक सामाजिक मामला है । मेरे कहने का यह अर्थ न लगाया जाये कि मैं शराब पीने को प्रोत्साहन देना चाहता हूं । जब आपने, बजट में बाहर से आने वाली शराब से १,१/२ करोड़ रुपये, कर के रूप में, प्राप्त करने की व्यवस्था की है तो आपको इस मामले पर, यथार्थ बातों को ध्यान में रखते हुए पुनः विचार करने में क्या आपत्ति है ?

मेरा सुझाव है कि भाग (ग) राज्यों को समाप्त कर दिया जाये । इस सम्बन्ध में हमें अनावश्यक रूप से करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं । अब समय आ गया है जब इस मामले पर फिर से विचार किया जाये । मैं चाहता हूं कि न केवल यहां पर बल्कि देश के समस्त राज्यों में 'उपरि सदन' का अन्त कर दिया जाये । उन से हमें कोई लाभ नहीं है । वे पूर्णतः बेकार हैं । इस प्रकार हम करोड़ों रुपए बचा सकेंगे ।

एक अवस्था पर, माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि वह राजा, महाराजाओं की निजी थैलियों में कमी करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । उनका कहना था कि वह यह

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

कार्य कानून बना कर नहीं बल्कि शान्ति पूर्वक समझा बुझा कर करना चाहते हैं। निसन्देह, कभी कभी समझाने बुझाने से बहुत काम निकल आता है। यदि निजी थैलियों में कमी करने का सुझाव सफल हो जाये तो मेरे विचार में वर्त्तमान निजी थैलियों की ५० प्रतिशत राशि राजप्रमुख राजा या महाराजा के उस क्षेत्र में विकास कार्यों पर व्यय की जानी चाहिए जिसमें वह पहले राज्य करता था या फिर उसको निजी थैली पर आय-कर लगाया जाना चाहिए ।

हम अपने प्रशासन पर व्यय बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। उदाहरणार्थ मेरे प्रान्त म जो कि भारत का सबसे छोटा प्रान्त है, इस समय ३२ मंत्री हैं। अतः हमें चाहिये कि प्रशासन पर व्यय कम करने की वांछनीयता पर विचार करें ।

११ म० पू०

यदि हम पुलिस बजट को देखें तो हमें मालूम होगा कि इसमें बहुत वृद्धि हो गई है। आज देश में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हम सी० आई० डी० पर कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, यह एक समझने की बात है। यह विभाग बड़े भद्दे तरीके से काम करता है। उदाहरण के लिए, पत्रों की सेंसर का प्रश्न ही लीजिए। पत्रों की सेंसर प्रायः अत्यधिक असन्तोषजनक और गलत तरीके से की जाती है। मेरे पास जो पत्र आते हैं उन्हें पहले खोल कर पढ़ा जाता है फिर चिपका कर मुझे भेजा जाता है। खैर इसमें कोई बात नहीं है। परन्तु मुझे प्रायः आधे पत्र फटे हुए मिलते हैं जिसके कारण वे पढ़ाई में भी नहीं आते। अतः मैं चाहता हूं कि यह काम सुचारु रूप से किया जाये।

देश की रक्षा पर हम २०० करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस विषय में हम कोई ढील दिखलायें परन्तु इसके साथ साथ मैं यह भी चाहता हूं कि इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार किया जाय। रक्षा मंत्रालय से चार मंत्री सम्बद्ध हैं --प्रधान मंत्री तो रक्षा मंत्री हैं और एक रक्षा संगठन मंत्री है व दो उपमंत्री हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कार्य में कोई समन्वय ही नहीं रहता। प्रधान मंत्री ने उस दिन कहा कि हम दूसरे दर्जे का युद्धोपकरण प्राप्त करके भी सन्तुष्ट हो जायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि यदि हमारी आधारभूत प्रस्थापना ही यह है तो फिर हम अपने रक्षा संगठन का निर्माण किस प्रकार कर सकेंगे।

काश्मीर और भारत के सम्बन्धों के बारे में मुझे यह कहना है कि भारत में बहुत अधिक लोग यह समझते हैं कि अब वह समय आगया है जबकि हमें काश्मीर के सवाल को संयुक्त राष्ट्र संस्था से वापस ले लेना चाहिये। हमने तो संयुक्त राष्ट्र संस्था में आक्रमण के विरुद्ध शिकायत की थी, काश्मीर के प्रवेश के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठाया था। डा० ग्राहम ने भी अपने पंचम प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में कुछ करने में असमर्थता प्रकट की है। इस लिये हमें चाहिये कि हम यह मामला संयुक्त राष्ट्र संस्था से वापस लेलें और आपस में ही तय कर लें। हमने बराबर यही आग्रह किया है कि हम कोई समझौता उसी दशा में कर सकते हैं जब कि काश्मीर पूर्ण रूप से भारत में सम्मिलित हो जाये। हमने यह भी कहा है कि इस समय काश्मीर का जो क्षेत्र पाकिस्तान के कब्ज़े में है वह हमें वापस मिलना चाहिये।

हम यह नहीं चाहते कि हमारे राज्य क्षेत्र का कोई भाग शत्रु के हाथ में चला जाये। यदि ऐसा नहीं किया जाता और यदि भारत सरकार की नीति यह है कि अन्त में युद्ध विराम रेखा ही भारत-काश्मीर तथा जम्मू सहित—और पाकिस्तान के बीच की सीमा रहेगी, तो हम से यह बात साफ साफ कह दी जाये। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम तो ऐसा कदापि नहीं चाहते।

प्रधान मंत्री की आगामी कराची यात्रा के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि यदि उनकी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ होने वाली वार्ता से दोनों देशों के सम्बन्धों में स्थायी रूप से कोई सुधार हो, तब तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मेरा ख्याल है कि जब तक पाकिस्तान के भारत के प्रति मूल दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन होता नजर न आये तब तक प्रधान मंत्री के कराची जाने से कोई लाभ नहीं होगा। हमारे बीच झगड़े के बहुत से विषय हैं, जैसे, पारपत्र व्यवस्था, अल्पसंख्यकों की समस्या, निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रश्न, काश्मीर का मामला, नहरी पानी का सवाल आदि। इन सब मामलों में हमें नीचा दिखाया गया है। अतः हमें भी पाकिस्तान के वर्तमान प्रशासन को, जो कि भंग होने ही वाला है, कोई प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिये। मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि दोनों प्रधान मंत्रियों को भेंट नहीं करनी चाहिये। मैं तो केवल यह कहता हूं कि उनकी भेंट का कोई ठोस परिणाम केवल तभी निकल सकता है जब कि हमें इस बात का कोई प्रमाण मिल जाय कि कुछ आधारभूत समस्याओं के प्रति पाकिस्तान का दृष्टिकोण बदल गया है।

जिस समय यहां नियन्त्रण तथा तार आ रहे थे, लाहौर तथा पेशावर में सम्मेलन हो रहे थे जिन में भारत सरकार की, भारत की और हिन्दुओं की बुराई करने के सिवाय और कुछ नहीं किया गया। इन सम्मेलनों में उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों और राज्यपालों ने भी भाग लिया। इसलिये हमें इन समस्याओं के सम्बन्ध में फूंक फूंक कर पैर रखना चाहिये।

जहां तक देश की सामान्य दशा का प्रश्न है, हम ने समाचार पत्रों में पढ़ा कि उस दिन माननीय प्रधान मंत्री ने पार्टी मीटिंग में कुछ विदेशियों द्वारा व्यक्त की गई सम्मतियों को पढ़ कर सुनाया और कहा कि कुछ विदेशियों की राय में भारत का स्थान संसार के उन १२ देशों में है जहां का प्रशासन सबसे अच्छा है। इस सिलसिले में मुझे बस यह निवेदन करना है कि हमें विदेशियों की राय को अधिक महत्व नहीं देना चाहिये। वास्तविक मूल्य तो देशवासियों की राय का है। असली कसौटी तो यहां की जनता की राय है जो कि दुर्भाग्य से सरकार के पक्ष में नहीं है बल्कि निश्चित रूप से उस के विरुद्ध है।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अर्थ मंत्री जी ने जो यह फाइनेंस बिल पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं किसी एक खास प्रान्त की चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि सारे भारत की उन्नति को दृष्टि में रखते हुए अपने विचार आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

देश के फौजी विभाग के लिए जो खर्च होता है उस पर काफी कड़ा नियंत्रण रखना जरूरी है, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो विभाग ज्यादा पैसा खर्च करता है उस पर काफी

[सरदार ए० एस० सहगल]

नियन्त्रण नहीं है। रक्षा विभाग में सन् १९४७-४८ के बीच जो उसकी द्वितीय रिपोर्ट है उस में जो कड़ी आलोचना की गयी है, अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी यह अभी तक सदन के सामने नहीं आया। इसी तरह से सन् १९४९-५० की रिपोर्ट रक्षा विभाग की जांच पड़ताल के बाद सदन के समक्ष जल्दी आनी थी, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय मैं आप को बतलाऊं कि फरवरी माह में जब मैंने उस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का जवाब ४ अप्रैल १९५३ को दिया गया, उसके बाद ही १९५० की आडिट रिपोर्ट हमारे सामने आयी, उस से पहले नहीं। आडिट रिपोर्ट को देखने से मालूम हुआ कि २३ अकतूबर १९५१ को सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उस पर अपने हस्ताक्षर किये और उस के बाद आपके कंट्रोलर जनरल और आडिटर जनरल ने २० फरवरी, १९५२ को अपने हस्ताक्षर करके हमारे सामने भेजा। उपाध्यक्ष महोदय, अर्थ मंत्री महोदय को यह देखना चाहिए और इसका प्रबन्ध करना चाहिए, ताकि फौजी विभाग में जो खर्च होता है उसकी रिपोर्ट जनता के सामने और खासकर इस सदन के सामने जल्द आना बहुत जरूरी है और मेरे इस कथन की पुष्टि भारतीय संविधान की धारा १५१ (१) करती है। उस धारा के मुताबिक यह सब चीजें जल्दी ही हमारे सामने रखनी चाहिए। विधान में आडिट रिपोर्टस के बारे में सफे ६८ पर १५१ (१) में इस प्रकार लिखा हुआ है :

> "१५१ (१) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के संघ-लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उनको संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।"

लेकिन यह चीज हमारे सामने नहीं रखी गयी। उसी तरह से मैं आपसे यह कहूं कि रक्षा विभाग की १९५०-५१ की आडिट रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। यह आशा करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वह रिपोर्ट हमारे सामने रक्खी जायगी।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती अध्यक्ष-पद पर आसीन थीं]

रक्षा विभाग में जो तनख्वाह दी जाती है वह मैं कहने के लिए तैयार हूं कि वह तनख्वाह हमारे यहां कम है और यह बहुत जरूरी है कि हमारे देश के अन्दर जो लोग रक्षा का कार्य कर रहे हैं उन्हें हम पूरी तनख्वाह और पेंशन दें, ताकि उनमें असंतोष की भावना पैदा न हो और वह पूरी तरह से संतुष्ट रह कर देश की रक्षा का कार्य ठीक तरह से कर सकें।

इसी के साथ साथ मैं आपका ध्यान तीसरे और चौथे वर्ग के सिविल महकमों के जो कर्मचारी हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। उनको हमें उनकी लियाकत के मुताबिक तरक्की देनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको उनकी वाजिब तरक्की ज्यादा दिन तक नहीं दी जाती और उन्हें कायम मुकाम में देर तक रखा जाता है तो उससे उन लोगों में असन्तोष होने की सम्भावना रहती है। यह सरकारी कर्मचारी सरकार की सलतनत को चलाने वाले हैं और अगर मैं उनको सरकार की रीढ़ की हड्डी कहूं तो गलत न होगा।

अध्यक्ष महोदया, में अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी देश की सल्तनत ठंडे हाथों से नहीं चलती बल्कि उसको चलाने के लिए कड़ाई से कार्य करना बहुत जरूरी है और उस के लिए हमारे साथियों को जो दूसरी विचारधारा के हैं, घबराना नहीं चाहिए बल्कि सल्तनत का साथ देना चाहिये

सल्तनत में जो खराबियां हैं उनको दूर करना हमारा और आपका धर्म है और उसमें जो भी गलतियां हों उनको हमें और आप को दूर करना होगा।

मैं आप के सामने यह कहना चाहता हूं कि जिन नदी घाटी योजनाओं को पंच-वर्षीय योजना के द्वारा आप कार्य रूप में ला रहे हैं, तथा भूमि के गर्भ से कीमती चीजें निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इस के अतिरिक्त पहाड़ों को खोद कर उस में से खनिज पदार्थ पैदा करने का विचार कर रहे हैं, उस में मैं आप का ध्यान अपने यहां की एक खास चीज पर दिलाना चाहता हूं, यह न समझा जाये कि मैं अपने प्रान्त के लिये कह रहा हूं बल्कि देश में तरक्की के लिये रखना चाहता हूं और वह यह है। मैं आप की आज्ञा से सी० डब्लू० आई० एन० सी० रिपोर्ट, अप्रैल १९४५ से मार्च १९५० तक के कुछ भागों को पढ़ना चाहता हूं :

"मध्य प्रदेश भारत के खनिज प्रधान राज्यों में से एक है।...... वहां खनिज सम्पत्ति के लाभ न उठाये जाने का मुख्य कारण बिजली का अभाव प्रतीत होता है। कोई ३० वर्ष पूर्व वहां पानी से बिजली उत्पन्न करने के सम्बन्ध में पड़ताल की गई थी परन्तु उसके परिणाम निराशाजनक निकले।.....हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार के कहने पर सी० डब्लू० आई० एन० सी० द्वारा पुनः जांच की गई जिससे यह पता चला कि कहां १० लाख किलोवाट से भी अधिक बिजली पैदा की जा सकती है और पानी का उपयोग कोई १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने में भी किया जा सकता है।"

इस तरह से इस रिपोर्ट को पढ़ने से आप के ज़रिये नदी घाटी योजना मंत्री को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में कितनी ज्यादा सहूलियतें खनिज पदार्थ तथा नदी घाटी योजना के लिये मिल सकती हैं। इस के साथ साथ इसमें यह भी दिया है :

> "राज्य के बस्तर क्षेत्र में जन संख्या बहुत कम है। कृषि सीमित पैमाने पर की जाती है और वहां के बहुत अधिक खनिज संसाधनों का भी लाभ नहीं उठाया गया है।...... वर्षा अच्छी होती है और जल-वायु अत्यधिक सुखद है। अतएव उस क्षत्र में पश्चिमी पाकिस्तान से अच्छ शरणार्थियों के बसाये जाने की बहुत गुंजाइश है।......"

सके साथ साथ मैं आप का ध्यान पृष्ठ ६१ के इस पैराग्राफ को तरफ़ दिलाना चाहता हूं :

> "इस क्षेत्र की मुख्य नदी इन्द्रा-वती के पानी से बहुत बिजली पैदा की जा सकती है जो कि दो अपेक्षतया छोटे क्षेत्रों में पाय जाने वाले कच्चे लोहे का लाभ उठाने के लिये अत्यावश्यक है.."

अध्यक्ष महोदया, मैं आप के जरिये से मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं

[सरदार ए० एस० सहगल]

कि स्टील प्लैन्ट लगाने के बारे में उन्हें इस एरिया का, जहां कि इतना ज्यादा लोहा मिल सकता है, विचार करना चाहिये। जब भी वह गौर करें उन को अपनी सी० डब्लू० आई० एन० सी० की रिपोर्ट को देख कर तब कोई कदम उठाना चाहिये और लोहे का कारखाना इन कारणों से मध्य प्रदेश में लगाना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान इस तरफ़ और दिलाना चाहता हूं :

> "राज्य मंत्रालय की प्रार्थना पर सी० डब्लू० आई० एन० सी० के बस्तर क्षेत्र का पर्यालोकन किया था और चार ऐसे स्थान छाटे थे जो बांध बनाये जाने के लिये बहुत उपयुक्त हैं। उन में से तीन स्थान इन्द्रावती पर और एक साबरी पर है।...."

यह जो चीजें हैं इन को अगर हम जो हमारी पांच वर्षं की योजना है उस में मिला लें तो उन से बहुत कुछ फायदा इस स्थान का हो सकता है जहां के रहने वाले आज बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं।

इस के बाद मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं :

> "....बाद में राज्य सरकार ने हसदो योजना को उठा रखने की इच्छा प्रकट की और इसके परिणामस्वरूप २६ दिसम्बर, १९४९ को हसदो सब डिवीज़न समाप्त कर दिया गया।"

मैं यह कहूंगा कि इस हसदो डैम नथ अप्पा प्रौजक्ट को, जिनका सव हो गया है, अगर आप अपनी पंचवर्षीय योजना के बजट में अभी नहीं तो सन् १९५४-५५ या १९५५-५६ या १९५६-५७ में कभी भी शामिल करें और गौर करें तो आप बहुत बड़ा फायदा कर सकेंगे।

अब मैं आप का ध्यान पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। मैं माननीय अर्थ मंत्री जी से यह कहूंगा कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वह उस पर भी आप ठंडे दिमाग से गौर करें। और विचार करें कि कौन सी ऐसी खराबी है जिस को दूर करना हमारा और आप का दोनों का फ़र्ज हो जाता है।

मेरे पूर्व जो माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने प्राहिबिशन पालिसी के बारे में बतलाया है। मध्य प्रदेश की जो प्राहिबिशन पालिसी थी उसके सम्बन्ध में मैं ने खुद अपने विचार प्रकट किए हैं और मैं यह कहने के लिए तैयार हूं एक कांग्रेस मैन होने के नाते कि जो हमारी प्राहिबिशन पालिसी है उसकी फिर से छान बीन करनी चाहिए। उस की छान बीन करने पर कोई नुकसान नहीं है। जो ज्यादा रुपया आज हमें नहीं मिलता है वह हो सकता है कि ज्यादा तादाद में मिल सके। आज कल की प्राहिबिशन पालिसी से स्टेट गवर्नमेन्ट का नुकसान हो रहा है, इस के लिए आल इंडिया बेसिस पर हमें प्राहिबिशन पालिसी को फिर से दोहराना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे सी पार्टस के राज्य हैं यदि उन में सालाना आमदनी कम है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन को आस पास के स्टेटों में मिला देना चाहिए। म तो यहां तक कहन को तयार कि बो

क्लास स्टेट्स के लिए भी अगर कोई ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी आमदनी जितनी है उससे खर्च ज्यादा है उन के लिए भी हमें विचार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

श्री बी० सी० दास : (गंजम दक्षिण): वित्त विधेयक पर चर्चा पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए हुई है। योजना तथा सिंचाई मंत्री ने नदी घाटी योजनाओं को "पंचवर्षीय योजना का सार" बतलाया है। यदि बात ऐसी है तो हमें इन योजनाओं की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करनी चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि क्या ये योजनायें वास्तव में ठीक तरह से क्रियान्वित की जा रही हैं। कुछ दिन हुए विभिन्न पक्षों के सदस्यों ने हीराकुड योजना के बारे में शिकायतें की थीं। लोक लेखा समिति न इस योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन में क्या कहा है? कुछ लोगों का कहना है कि इस रिपोर्ट में सब अनियमितताओं आदि की ओर निर्देश कर दिया गया है और इनके अलावा कोई और अनियमिततायें नहीं हुई हैं। परन्तु यह बात ग़लत है। यह बात तो खुद लोक लेखा समिति ने भी नहीं कही है। समिति के अध्यक्ष ने प्रतिवेदन की भूमिका में लिखा है कि समिति कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिलाना चाहती है। वे बातें क्या हैं? योजना के प्रारम्भ से पांच वर्ष तक कार्य स्वीकृत प्राक्कलनों के बिना ही किया जाता रहा। करोड़ों रुपयों के मूल्य की मशीनें तथा अन्य सामान के रखने के लिये समुचित व्यवस्था नहीं की गई और उनका ठीक हिसाब भी नहीं रखा गया। उत्तरदायी इंजीनियरों द्वारा वित्तीय तथा लेखा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया गया। ये वे बात हैं जो लोक लेखा समिति ने उक्त योजना के विषय म उल्लिखित कीं।

नियुक्तियों के सम्बन्ध में उक्त समिति न कहा कि कुछ मामलों में भर्ती बड़े असन्तोष जनक ढंग से की गई। मैं विस्तृत विवरण देने के चक्कर में तो नहीं पड़ूंगा; हां, यह अवश्य कहूंगा कि इस सम्बन्ध में सारी व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। माननीय मंत्री ने कहा कि जहां तक नियुक्ति का सम्बन्ध है, केवल ४ या ५ मामालों में ही ऐसी ग़लतियां हुई हैं। परन्तु मैं नहीं समझता कि ४–५ मामलों में ही ऐसा हुआ है। ऐसे तो अनेक मामले मिलेंग जिनमें ऐसी ग़लत बातें हुई हैं।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन से बहुत सी बातें पता लगती है पहला आरोप तो यह है कि हीराकुड योजना का काम सरकार ने १९४७ की योजना रिपोर्ट के आधार पर ही प्रारम्भ कर दिया जिसमें समिति के मतानुसार कोई डिज़ाइन, प्राक्कलित परिव्यय आदि शामिल नहीं था। यह एक बड़ी अजीब सी बात कि एक इतनी बड़ी योजना का कार्य उचित डिज़ाइनों या प्राक्कलनों के बिना ही प्रारम्भ कर दिया जाये।

दूसरा आरोप यह था कि योजना की क्रियान्विति का कार्य व्यावहारिक रूप से एक ही निकाय—केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग—पर छोड़ दिया गया। उस दशा में भ्रष्टाचार होना जरूरी था क्योंकि इसके ऊपर कोई देखने वाला ही नहीं था।

इसके अलावा कोई ५ करोड़ रुपये के मूल्य का सामान खुले में ही पड़ा रहन दिया गया। रिपोर्ट से पता चलता है कि उस में से कुछ सामान तो बेकार हो गया।

दूसरी बात यह है कि शुरू से ही बहुत सा निर्माण कार्य मंजूरी के बिना ही किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सी बड़ी बड़ी योजनायें अधूरी ही

[श्री बी० सी० दास]

छोड़ दी गई। उदाहरण के लिये एक सहा.क नहर के निर्माण का मामला था। सरकार ने उस पर दो करोड़ रुपये व्यय किये और फिर इसको अनावश्यक समझ कर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया और फिर बीच में ही छोड़ दिया गया। अब आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि स्वीकृत प्राक्कलनों के बिना किये गये ऐसे का।ों में कितना भारी नुकसान हुआ होगा।

अब मैं उन लोगों की चर्चा करूंगा जो वहां से विस्थापित हो गये हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं किया गया और उन्हें प्रति.र भी नहीं दिया गया। जो लोग भूमि के स्वामी थे उन्हें तो प्रतिकर दिया गया, किन्तु कृषकों को कोई प्रतिकर नहीं दिया गया। समिति ने सिफारिश की है कि ऐसे लोगों को फिर से बसाने के लिये भूमि दी जाये। परन्तु यह काम भी अभी तक नहीं किया गया है।

म.ज़दूरों की हालत भी कोई कम खराब नहीं है। वहां के मज़दूर संघ के प्रधान को सरसरी कार्यवाही करके ही निकाल दिया गया और निकालने से पूर्व उसका उत्तर भी नहीं मांगा गया। उस की शिकायत की एक प्रतिलिपि श्रम मंत्रालय को भेजी गई है। मुझे आशा है कि श्रम मंत्रालय उस पर ध्यान देगा। मज़दूरों को खुले में रहना पड़ता है क्योंकि उनमें से अधिकांश के लिये मकानों की व्यवस्था नहीं है। पानी की कमी की वजह से गत वर्ष वहां हैजा फैल गया था जिसके कारण हज़ारों लोग मर गये थे। मज़दूरों की ऐसी दयनीय तथा शोचनीय दशा है। यदि आप बड़े अधिकारियों को देखें तो वे तो नवाबों की तरह बंगलों में रह रहे हैं और जिन लोगों के फायदे के लिये यह काम किया जा रहा है वे बेचारे घास-फूस की तरह पड़े हैं। ऐसी दशा में क्या आप यह कामना कर सकते हैं कि सब के साथ न्याय हो, लोगों में उत्साह हो, भ्रष्टाचार का अन्त हो और हीराकुड योजना एक महान् राष्ट्रीय उपक्रम बने।

लाला अचित राम (हिसार): माननीया अध्यक्षा महोदया, मैं सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं और उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। अब तक बहुत सी तकरीरें हुई हैं, हक में भी हुई हैं और बखिलाफ भी हुई हैं। उन तकरीरों का अंदाज़ा लगाते हुए अगर मैं यह नहीं कहूंगा तो अपने ख्यालात को छिपाऊंगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो रोल प्ले कर रहे हैं वह बड़े महत्व का रोल है। मेरे दिल में उनके लिये बड़ा भारी आदर है क्योंकि इन दो तीन सालों में वे मुल्क के अन्दर जो इकानामिक स्टेबिलिटी लाये हैं उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। यह अलग बात है कि अगर मैं कुछ नुकताचीनी भी करूं। लेकिन सच्ची बात नहीं छिपाई जा सकती। सच बात तो यह है कि उन्होंने जो काम किया है और जिस तरह से मुल्क के अंदर एकानामिक स्टेबिलिटी लाये हैं उससे इंकार नहीं किया जा सकता। इन चन्द मिनटों में मैं दो एक मामलों के मुताल्लिक बात करूंगा मसलन रिफ्यूजीज़ के मुताल्लिक और पोस्ट मैन और लाइन्स मैन के मुताल्लिक जिनसे मेरा सम्बन्ध रहा है।

पहले मैं शरणार्थियों के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। आपको मालूम है कि पीछे रिहैबिलिटेशन पर डिबेट हुई थी। उस समय १७ स्पीकर्स बोले थे और उनमें से हमारी एक अध्यक्षा साहिबा

भी थी। हमारे मिनिस्टर साहब ने उनको क्रेडिट दिया था लेकिन यह बात कही थी कि जो १६ स्पीकर बोले हैं वह उनके खिलाफ बोले हैं और उनका कहना था कि वह उनके खिलाफ एक टाइरेड था। आप को मालुम है कि मैं १५ मिनट बोला था और उसमें से तकरीबन आधा टाइम या उससे ज्यादा टाइम उनकी तारीफ में बोला और गवर्नमेंट के हक में बोला इस ख्याल से कि गवर्नमेंट ने रिफ्यूजीज़ के लिये खासा काम किया है और उनको बसाने की कोशिश की है और उनको इसमें एक हद तक कामयाबी भी हुई है और वह हद ऐसी है जो कि खासी है जिसकी हम तारीफ किये बगैर नहीं रह सकते और मैं कांग्रेस का मेम्बर भी इसी वास्ते हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट मुल्क के लिये आन दी होल मुफीद है। लेकिन अगर एक आदमी आपकी सब चीजों को अच्छा समझता है और किसी एक चीज़ को बुरा समझता है उसके लिये अगर यह कहा जाय कि वह गवर्नमेंट के खिलाफ़ है और उसकी स्पीच एक टाइरेड है, मैं समझता हूं कि इससे गवर्नमेंट का भला होने वाला नहीं है।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य): ऐसी शिकायत नहीं है, ऐसा ख्याल सरकार का नहीं है।

लाला अचिंत राम: ऐसा ख्याल नहीं है तो मैं अर्ज़ करता हूं कि यह कहना कि जो सोलह के सोलह मेम्बर हैं, और उनके अन्दर मैं भी शामिल था वह टाइरेड था, उसके साथ कनसिस्टेंट नहीं है, मुनासिब नहीं है। खैर, उस स्पीच के अंदर, बजट के वक्त जो मैंने दी थी, जबकि मैं उन १६ मेम्बर में शामिल हुआ, तो जो यह कहा गया कि वैस्ट्रन पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज़ आये हैं वे देश की एकानामी में एसीमिलेट हो गये हैं, मैंने इस पर ऐतराज किया था कि यह मुनासिब नहीं है, यह ठीक नहीं है। मदद उनकी की है, यह ठीक बात है लेकिन पूरी तरह रीहैबिलीटेट हो गए हैं यह कहना ठीक नहीं है मैं समझता था कि यह पबलिक की आवाज़ नहीं है। पबलिक की आवाज़ इससे मुख्तलिफ है। तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ चंद एक शब्द आपको पढ़ कर सुनाऊंगा। आपको मालूम है कि इस वक्त नार्दर्न इंडिया के अन्दर जहां पर कि वेस्टर्न पाकिस्तान से रिफ्यूजीज़ आये हैं, बसे हैं, बहुत से अखबारात हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई अखबारात संघ के ख्याल के हों, या जो सोशिलिस्ट ख्याल के हों, या काम्युनिस्ट ख्याल के हों। लेकिन मैं इस वक्त उस अखबार की राय बताऊंगा कि जो प्रो कांग्रेस समझा जाता है। वह इंडिपेंडेंट अखबार है। उससे पता लग जायगा कि आया जो १६ मेम्बर यहां बोले थे उन्होंने पबलिक का नुक्ते निगाह बतलाया था या मुख्तलिफ था पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ट्रिब्यून अखबार है जो नार्दर्न इंडिया का बड़ा बैलेंसड अखबार है।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित अनुसूचित जातियां): क्या नाम है?

लाला अचिंत राम: ट्रिब्यून। तो उस की राय बताता हूं।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर): यह भी रिफ्यूजी अखबार है।

सभापति महोदय: शांति, शांति। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

लाला अचिंत राम: उसने लिखा है कि यह हो सकता है कि श्री जैन शरणार्थियों की सहायता करने के लिये

[लाला अचिंत राम]

उत्सुक हों और उनके सामने बहुत सी कठिनाइयां हों परन्तु उनकी मुख्य कल्पना गलत है। उसके आगे फिर बयान यह है कि ऐसीमिलेशन हो गया है। यह बात गलत है। वास्तव में उनका ऐसीमिलेशन नहीं हुआ है।

दूसरो बात यह उसमें लिखी है :

"शरणार्थियों को अपनी जीविका कमाने की सुविधा होनी चाहिये। इस मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने बहुत रुपया व्यय किया है। परन्तु समस्या को देखते हुए वह राशि पर्याप्त नहीं है इसके अतिरिक्त शरणार्थियों के स्थानान्तरण में महानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया।"

फिर लिखा है :

"उनके साथ व्यवहार करने में इस बात का अभाव पाया जाता है जिसे पंडित नेहरु मानवीय व्यवहार कहते हैं।"

फिर आगे लिखा है :

"बहुत से व्यक्तियों ने ऐसे व्यवसाय कर लिये हैं जिनका उन्हें बहुत कम अनुभव है। वे ठीक तरह से जम नहीं पाये हैं। वे अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करते। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अच्छी तरह से बस गए हैं।"

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपने भाषण से लम्बे उद्धरण न दें।

लाला अचिंत राम: अच्छा मैडम। मैं आपको मैडम ही कहता हूं तो एक फिकरा और कहने की मुझे इज़ाजत दें। मुझे कहने की जरुरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम अपनी राय तो बतला चुके हैं, सिर्फ पबलिक की राय बतलाना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप तो अपनी राय दीजिए।

लाला अचिंत राम : मैं कहता हूं कि एसीमिलेशन नहीं हुआ। लेकिन हमारी बात को आप कहां मानते हैं, कहते हैं कि टाइरेड है। मैंने पबलिक की फीलिंग बतलाई। अब यह लिखा है :

"जिनका उनके साथ संपर्क है केवल वे ही उनकी तकलीफों को जानते हैं। सत्ताधारी उनकी तकलीफों को नहीं समझ सकते।"

तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस वक्त जो पिक्चर आगे बतलाई गई थी वह दर हक़ीक़त पबलिक की पिक्चर है। पबलिक इस बात को महसूस करती है कि गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। लेकिन इन हालात के अन्दर तो रिफ्यूजीज की ऐसी हालत है कि जैसे कोई एक पंछी प कड़ लिया जाय और पकड़ कर उसका दायां पंख भी तोड़ लिया जाय और बायां भी तोड़ लिया जाय और उसके रिश्तेदार और क़रीबी भी सामने घायल हो गए हों; फिर वह कहां जाय। वह नयी लैंड की इकानामी में फिट इन हो जाय, यह मुश्किल है। आज उनकी यही हालत है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि उनका एक पंख जो मूवेबल प्रापर्टी है वह वहां रह गई जो दूसरा पंख इम्मूवेबल प्रापर्टी है वह भी वहां रह गई। उनके पर गायब हैं। फिर उनके जो कमाने वाले हैं, वह मर गये, रह नहीं गये। आज उनकी देखभाल करने के लिये कौन है। इसलिये यह कहना कि नयी लंड में वह ऐसीमिलेट हो गये हैं, मै कहूंगा कि मुनासिब नहीं होगा।

आशा है आप मुझे १५ मिनिट और देंगे।

सभापति महोदय : आप १२ मिनिट बोल चुके हैं केवल ३ मिनिट और।

लाला अचिंत राम : उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकांश शरणार्थी बसाये जा चुके हैं तथा उनकी समस्याएं १९५३-५४ के अंत तक समाप्त हो जायेंगी।

मुझे खुशी है कि मिनिस्टर साहब ने कम्पनसेशन के हक़ में तकरीर की कि हम कम्पनसेशन देना चाहते हैं। अब मैं यही अर्ज करूंगा कि कम्पेनसेशन के बारे में सब को इत्तिफ़ाक़ है, मिनिस्टर साहब को इत्तिफ़ाक़ है। मैं सिर्फ फायनैंस मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप कम्पेनसेशन दें तो मुझको खतरा है कि कम्पेनसेशन शायद कहीं इस वास्ते न रुक जाय कि क्योंकि हम तय नहीं कर सके कि मुस्लिम इवैक्यूई प्रापर्टी जो यहां पर है उसका टाइटल ववैश किया जाय या नहीं। मैं इससे डरता हूं। या फिर कहीं ऐसा न हो कि आप कहें कि पाकिस्तान के साथ आपका मुआहिदा मुकम्मिल नहीं हो सका मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस बात की परवाह न कीजिये कि टाइटल ववैश हो या न हो। यह मामूली बात है। आपका पाकिस्तान के साथ तय हो या न हो यह मामूली बात है। जरूरत इस वक्त इस बात की है कि जितने क्लेम वैरीफाई हुए हैं, ५०० करोड़ के, उसका १० परसैंट कैश में या वाडंस की शकल में दें अगर आज उनको यह इमीजियेट रिलीफ नहीं मिलेगा तो उनका रिहैबिलिटेशन मुकम्मिल नहीं होगा।

दूसरी बात में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस वक्त मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो स्टेट्स हैं वे उनके साथ स्टेट्स कोआपरेट नहीं कर रही है। आज स्टेटस के अन्दर क्यों ऐसा हो गया है? स्टेटस के अंदर टू मच एटानामी है। यहां पर कैम्पस से रिफ्यूजीज आते हैं, यौल कैम्प से आते हैं और वे हस्तिनापुर को भेजे जाते हैं। वहां गवर्नमेंट कहती है कि जगह नहीं है। कोलहापुर भेजते हैं, वहां भी कहते हैं कि जगह नहीं है। इस तरह से आज इस मामले में सेंटर का मिनिस्टर डरता है, क्योंकि उनकी बात कोई मानता नहीं है। तो आपको ख्याल रखना चाहिये कि यह क्यों है। यह जो हक आपने एटोनामी के नाम से स्टेट्स को दे दिया है, इस वजह से यह नहीं मानती हैं। यह आपको अख्तियार अपने पास रखना चाहिये।

तीसरी बात यह कहनी है कि जो रिफ्युजीज़ वैस्टर्न पाकिस्तान से आये हैं वे करीब ५० लाख एकड़ ज़मीन वहां छोड़कर आये हैं। इस वक्त फूड की मिनिस्ट्री लैंड डैवलैप कर रही है। उनका ख्याल है कि आठ मिलियन एकड़ लैंड डैवलप करेंगे। मेरी आप से यह दरख्वास्त है कि जो लैंड डैवलप हो वह रिफ्यूजीज़ को मिले जिनके पास ज़मीन थी और जो ज़मीन पर काम करना चाहते हैं उनको ज़मीन दी जाय। (इस समय घंटी फिर बजी) केवल एक बात और। वह सिर्फ यह है कि आज आपको मालूम है कि देश में बीमारी बहुत हैं, खास कर टी० बी० की। टी० बी० की बीमारी से आज हमारे पांच लाख आदमी बीमार हैं। एक लाख आदमी टी० बी० से मर जाते हैं। लेकिन आप की सूचना के लिये मुझे यह कहना है कि आज जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके अन्दर टी० बी० बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मैं कल्यान कैम्प में गया था। वहां एक कैम्प में ५००

[लाला अचिंत राम]

मरीज़ टी० बी० के थे। आज हम मिनिस्ट्री से कहते हैं कि आप खाने के लिये उनको नहीं दे सकते तो अच्छा, कोई बात नहीं। पहनने के लिये नहीं दे सकते तो मामूली बात है। लेकिन जब वह बीमार पड़ जाते हैं तो कम से कम मरने के लिये तो जगह दे दें जहां कि वह आराम से मर सकें। इस वास्ते मेरी प्रार्थना यह है कि इस वक्त १३ हजार टी० बी० के बैड्स हैं। आप इनमें से २ हजार नए बैड्स सैट अपार्ट कीजिए और हैल्थ मिनिस्ट्री के सुपुर्द कीजिये कि जो रिफ्यूजीज़ जो हैं वे आकर रह सकें। मेरी आप से यही प्रार्थना है।

आखिर में मैं एक और बात मिनिस्टर साहब से अर्ज़ करना चाहता हूं। करप्शन के बारे में आपके पास पबलिक एकाउन्टस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और आप इस बात के हक में हैं कि करप्शन और भ्रष्टाचार देश में से मिट जाय। इसलिये महरबानी करके उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो फाइंडिंग दी हैं और करप्शन के केसेज़ पकड़े हैं, उनको आप कबूल कर लीजिए ताकि मालूम हो कि सैंट्रल गवर्नमेंट करप्शन दूर करने के बारे में वाक़ई सीरियस है।

श्री जाटव वीर (भरतपुर-सवाई माधोपुर रक्षित-अनुसूचित जातियां) : माननीया सभानेत्री महोदया, आज इस सदन में मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फाइनैंस बिल के द्वारा तमाम बजट का सारांश रख दिया है। महोदया, मेरा मत तो यह है कि चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन जिसके राज्य में जनता भूखी नंगी और अशिक्षित हो तो उस दशा के लिये वह शासन उत्तरदायी है। आज भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किये हुए ६ वर्ष व्यतीत हो गये और देश में इस स्वतंत्रता के आने का ढिंढोरा तो बहुत पीटा जा रहा है, लेकिन जब हम देहातों और शहरों में बसने वाले उन दीन दलित और शोषित भाइयों की तरफ नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि आज स्वतंत्रता आने के पश्चात भी उनकी अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है, यह हमारा शोषित वर्ग हजारों वर्षों से दबाया और सताया हुआ है, अथवा जन्म जाति के जात्याभिमानियों द्वारा उनको हमेशा कुचला गया है जब हम उनकी दुर्दशा को देखते हैं तो हम इसके सिवा और क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आ तो गई लेकिन वास्तव में वहीं तक सीमित रही जो इसकी लालसा में संलग्न थे। वह इनके यहां नहीं आयी क्योंकि उन शोषित जाति के भाइयों की आज भी वही दशा है जो आज से दस वर्ष पहले थी और मैं यदि अपने उन देहात में बसने वाले भाइयों की हालत का आपके सामने वर्णन करूं तो महोदया जी आप ही नहीं बल्कि सारा सदन जो यहां बैठा है अश्रुधारा बहाने लगेगा। भारतीय संविधान में अयोग्यता निवारण सम्बन्धी धारा बनने से पहले कई प्रांतीय सरकारों ने अयोग्यता निवारण सम्बन्धी कानून अपनी अपनी विधान सभाओं में बनाए, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कागनेज़ेबुल आफ़ेंस (हस्तक्षेप अपराध) न होने के कारण वह कानून मन्त्रियों के कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के अंदर ही सीमित रहे और उसका कोई प्रभाव न तो जनता पर पड़ा और न उन पिछड़े हुए पीड़ित लोगों पर पड़ा, उनकी आज

जो दुर्दशा हो रही है वह बड़ी दर्दनाक है और मैंने भी यहां पर कई बार उसके बारे में सरकार का ध्यान दिलाया, इस के अतिरिक्त विधान सभाओं के प्रतिनिधियों ने अखिल भारतीय शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन के सभापति, मंत्रियों ने और भारतीय डिप्रेस्ड क्लास लीग के सभापति और मंत्रियों ने और इस सदन के सदस्यों ने इसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया और भारतीय सरकार पर इस बात का ज़ोर डाला कि वह एक अयोग्यता निवारण और अस्पृश्यता निवारण हेतु कोई विधेयक लाये जो कागनेज़ेबिल हो, दस्तन्दाज़ीं पुलिस हो।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) इस बात को कल कहियेगा ।

श्री जाटव वीर : फिर समझ नहीं आता कि सरकार इस अस्पृश्यता और अयोग्यता निवारण के लिये जल्दी से जल्दी कोई कानून क्यों नहीं पास करती । मुझे बड़ा दुःख है कि जब इस सदन में यह चर्चा हो रही थी उस समय देश के भिन्न २ भागों में इन पद दलित जातियों पर अत्याचार हो रहे थे । सरकार का ध्यान दिलाया । मध्य भारत में मुरेना परगने में दलित जाति के समुदाय पर उन रूढ़िवादी लोगों ने शूटिंग की, और सात निर्दोष आदमियों को गोली से उड़ा दिया, बात कुछ भी नहीं थी । केवल पंचायत में उस जाति का एक मेम्बर हो गया था, महोदया । इधर आप अस्पृश्यता निवारण का ढोंग बना कर व्यर्थ का ढिंढोरा पीट रहे हैं । मैं आपको आगे बतलाऊं कि धौलपुर स्टेट, राजस्थान में सैपऊभोला मंदिर में गत वर्ष जब वहां के चमारों ने महादेव पर जल चढ़ा दिया, यह दृश्य सवर्णों से सहन नहीं किया जा सका और फलस्वरुप आगज़नी और लूटमार की घटनाएं हुईं और करीब चालीस गांवों में आतंक मचा, आग लगा दी गयी । लूटमार हुई, नाना प्रकार के अन्याय अत्याचार हुए ।

विन्ध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको सुनाऊं, वहां के सदस्य भी इस सदन में मौजूद हैं वह भी जानते हैं कि शोषित और परिगणित जाति वाले लोगों ने जब गत वर्ष गांव वाठौन में रेडियो लगाया, तो उन लोगों का घर जला दिया गया और विवाह की तमाम सामग्री लड्डू कचौरी, पूरी आदि जो थी, वह सब लूट ली गई अथवा बरबाद कर दी गई । उनके रहने की झोंपड़ी बर्बाद कर दी । क्यों नहीं सरकार एक ऐसा बिल लाती अथवा कानून पास करती जिससे यह चीज़ हमेशा के लिये रुक जाये । हमारे श्री रेशमलाल जांगड़े ने भी इसी बात के लिए सदन से मांग की लेकिन यह बड़े दुःख का विषय है कि हमारे गृह मंत्री ने जहां और सब बातों का तो उत्तर दिया लेकिन पिछड़ी हुई जाति के समुदाय जिसका शोषण हो रहा है, की अवस्था में सुधार करने की तरफ कोई भी प्रकाश नहीं डाला ।

अब मैं कुछ गृह निर्माण के विषय में कहना चाहता हूं । आप देखते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं, आज भी गांवों में उनके रहने के लिए जगह नहीं है और इसी कारण से उन लोगों से बेगार ली जाती है और उन लोगों पर नाना प्रकार के अत्याचार होते हैं, क्यों नहीं सरकार उनके रहने के लिए ध्यान देती और रुपया खर्च करती जब देश का करोड़ों रुपया और २ बातों में खर्च कर रही है । रिफ्यूजीज़ के लिये सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, मुझे

[श्री जाटव वीर]

उसमें कोई एतराज नहीं, आखिर रिफ्यूजीज भी तो हमारे भाई हैं और जमाने के सताये हुए हैं, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि यह पिछड़ी जाति का समुदाय असली रिफ्यूजीज़ हैं। आज उनकी अवस्था दयनीय है। जब कि वह बेचारे देहातों को छोड़ कर शहरों में सड़कों पर बांस टट्टर, पत्तों की झोंपड़ी और सिरकी के पल्लर डाल कर जिन्दगी के दिन काट रहे हैं और आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि वर्षा ऋतु में मूसलाधार पानी में वह वहीं रात काटते हैं, वहीं परिवार रोटी करते हैं और वहीं उनकी औरतों के बच्चा पैदा होता है। वही मृत्यु घर है। मैंने पूज्य ठाकर बाबा का ध्यान इस ओर दिलाया था और मैं आशा करता हूं कि टंडन जी जो इस समय सदन में बैठे हुए हैं वह अवश्य इस ओर ध्यान करेंगे जिन्होंने गृह वाटिका स्कीम तैयार की और सरकार पर इसके लिये ज़ोर डालेंगे क वह उनके रहने के लिए जगह दे अथवा गृह निर्माण की सुविधा दे। आखिर यह कैसी स्वतंत्रता है जिसमें लोगों को रहने के लिये जगह न हो। ट्रेनों में आप अक्सर आते जाते हैं, ट्रेनों और प्लेटफार्मों पर हमारे देश की जवान २ लड़कियां जिनके सिर पर व अन्य भाग पर कपड़ा नहीं होता, आपके पास आकर एक एक रोटी का टुकड़ा मांगती हैं, जिस देश के अंदर ऐसी हालत हो, उसके लिये आप कैसे कह सकते हैं कि वह देश स्वाधीन है? (अन्तर्बाधा) मैं तो वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा, कि यह सब आपके हाथ में है, भंडार उसी के हाथ में होता है जो कुबेर होता है। देश का कोष जिसके हाथ में है। और यदि खज़ान्ची रुपया नहीं देगा तो कोई भी सुधार का कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता।

आज इस बात का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि जो भूमिहीन हैं, कृषिकर मज़दूर लोग हैं उनको ज़मीनें दी जायगीं, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह स्वप्न है। बहुत से लोग जो दूसरे उद्योगों में लगे हुए हैं, व्यापार आदि करते हैं, खेतिहार मज़दूर नहीं हैं भूमिहीन मज़दूर बन गये और इस तरह उन्होंने नाजायज लाभ उठाया। सरकार नहीं देखती कि क्या हो रहा है कि चाहे वह दूकान हलवाई की करते हों, लेकिन लैंडलैस लेबरर बन कर और भूमिहीन किसान बनकर ज़मीन ले लेते हैं। लाला जी करते तो व्यापार हैं और दुकानदार हैं, चार आने की टोपी लगाए हुए नेता हैं, तिलक भी लगाते हैं लैंडलैस और भूमिहीन बनकर सरकार की आंखों में धूल झोंक कर वंजर ज़मीन स्वयं प्राप्त कर लेते हैं और उस भूमि को उन्हीं मज़दूरों को शिकमी जोत या बटाई की जोत देने वाले हरिजनों को दे देते हैं और दस रुपया लगान का उनसे पचास रुपया फी बीघा लगान ले लेते हैं। मेरा यह कहना है कि गांवों में जहां यह आबाद हैं, उनको उस जमीन की मालिकी का हक दिया जावे और बटाई की खेती में शामिलात का हक हो, बन्जर भूमि विशेषकर इस समुदाय के लोगों को दी जावे जो वास्तव में खेतिहार मज़दूर हैं। ढिंढोरा तो बहुत पीटा जाता है, लेकिन करा कुछ नहीं जाता, यही मुझे आपको बताना है।

देहातों में गृह निर्माण के लिये आप लोग उनको ज़मीनें दीजिये। दास्ता की शृंखला से मुक्त करें। शहरों में उनकी दशा मैं आपको बतलाऊं कि, वहां भी ठीक नहीं है। यहीं इसी दिल्ली में जो सारे भारत की राजधानी है और जहां सारे देश

की पार्लियामेंट हैं वहां पर पूज्य ठक्कर बापा के नाम से जो कालोनी बापानगर बसी हुई है, वहां पर से लोगों को अब बेदखल किया जा रहा है और मुकदमे चलाये गये हैं, उन बेचारे हरिजनों ने पहाड़ को तोड़कर रहने लायक स्थान बनाया और आज उनकी यह दुर्दशा की जा रही है जो दर्दनाक है, दयनीय है। यही दशा आनन्द पर्वत में जो बसे हैं, उनकी है। यही हालत थानसिंहपुरी जहां पर हरिजन लोग बसे हैं सरकार शीघ्र से शीघ्र उस भूमि को एक्वायर कर उन लोगों को दे और इसी प्रकार उनके रहने के लिये देहातों में अधिक से अधिक सहायता न कर सके तो उनके लिए रहने के लिए भूमि के टुकड़े दे दे जिससे वे भी स्वाधीन होकर इस स्वतंत्रता का आनन्द ले सकें। भारत देश में जहां पर करीब २ चौदह करोड़ लोग दु:खी हों और जिनकी इस प्रकार दुर्दशा हो, उस देश में यह कैसे माना जा सकता है कि स्वतन्त्रता आनन्दमय है।

अब मैं थोड़ा सा आपसे चर्म उद्योग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मुझे दु:ख है कि श्री कृष्णमाचार्य इस समय यहां मौजूद नहीं हैं नहीं तो मैं उनको बतलाता कि चर्म उद्योग की क्या दुर्दशा है। सन् ४७ में ९३ लाख, ४४ हज़ार १५७ रुपये का कच्चा चमड़ा विलायत भेजा गया, आशा तो हम यह लगाए हुए थे कि हमारे देश का चमड़ा यहां रहे और यहां के लोग चर्म दस्तकारी का व्यापार करें और उन्नति करें। पहले इस देश का व्यवसाय काफी बढ़ा हुआ था और यहां के बने जूते तथा अन्य चर्म वस्तुएं एशिया के सभी भागों में जाते थे और दूसरे देशों से धन आता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि चर्म उद्योग जो देश का घरेलू धंधा है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और जूता कारीगर भुखमरी का शिकार बन रहे हैं। मैं आपको इस सम्बन्ध में कुछ फीगर्स देना चाहता हूं जिससे मालूम होगा कि इस घरेलू उद्योग की क्यों अवनति हुई।

सन् ४७ में ९३ लाख, ४४ हज़ार १५७ रुपये का, सन् ४८ में ६ करोड़ ६४ लाख, ८ हज़ार पांच सौ चौरासी, सन् ४९ में ७ करोड़, २० लाख, ४९ हज़ार ८५७ और सन् ५० में १० करोड़ २३ लाख, २८ हज़ार ५१८ मानी क़रीब १ करोड़ से १० करोड़ का चमड़ा विलायत भेज दिया गया और भेजा जा रहा है। आज चर्म उद्योग के दिन प्रतिदिन गिरने के कारण बेकारी की समस्या ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। जूते का उत्पादन और चमड़े रंगने का काम इनके हाथों से निकलता जा रहा है। बाटा और फ़्लेक्स जैसी मिलों ने इनके इस घरेलू उद्योग को और भी चौपट कर दिया है। आज के दिन उसी आगरा नगर में जहां सन् १९४५ में ३५००० जोड़ी जूते प्रतिदिन बनाने का औसत था, आज वह क़रीब केवल दस हज़ार जोड़ी जते ही बना पा रहे हैं और लोगों में बेकारी के कारण त्राहि २ मच रही है। कुटीर कारीगरान अत्यंत संकट में हैं।

आप कहेंगे कि हम इसके लिये कोशिश कर रहे हैं। आप यहां का कच्चा चमड़ा बाहर भेज देते हैं। जो हमारा कच्चे चमड़े का वन है वह यहां से $^1/_2$ रुपये या एक रुपये का दो पौंड जाता है। और वहां से फिर इस दशा में छ: रुपए से १० रुपए पौंड आता है। लेकिन हमारी इच्छा यह है कि इसका टैनिंग

[श्री जाटव वीर]

यहीं हो और यहीं गृह उद्योग द्वारा नाना प्रकार की वस्तुएं बनें। लेकिन आप क्या क्या करें? आप को तो डालर चाहिएं, डालर। चाहे आदमी मर जायें, देश तबाह हो जाय, लेकिन हम विदेशों के लिये चमड़ा भेज जायें। कहां गये हमारे बलवंत सिंह मेहता जिन्होंने सदन में कहा था कि बिना उद्योग के भील लोग मांस खाते हैं, हमारे राजस्थान के अन्दर तो भुखमरी फैल रही है, उत्तर प्रदेश में कारीगरों के जेवर तक बिक गये हैं। मैं कहता हूं कि आप वहां लेदर फैक्टरी क्यों नहीं बनाते? जयपुर भरतपुर में बनाइये, बीकानेर में बनाइये। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को जल्दी से जल्दी इसका प्रयत्न करना चाहिये। मैं आप के विरोध के लिये नहीं कह रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल आप को बतला देना चाहता हूं कि आप को फौरन इस के किये कार्य करना चाहिये अन्यथा भयंकर परिणाम होगा।

अब मैं सुझाव रखना चाहता हूं कि गृह निर्माण के लिये बीस करोड़ ३३ लाख रुपया तथा कूप निर्माण के लिये १८ करोड़ रुपये हैं। आप को मालूम होना चाहिये कि जब कि आप लोग बिजली के द्वारा ठंडा किया हुआ पानी पीते हैं, तब हमारे हरिजन भाई सवर्ण हिन्दुओं के कुओं से पानी नहीं ले सकते। उन को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। और तालाबों का कीच भरा हुआ पानी पीना पड़ता है। इस के लिये १८ करोड़ रुपये कम से कम रखने चाहियें। चर्म उद्योग के लिये कम से कम पांच करोड़ रुपये रक्खें। मैं जानता हूं कि अयोग्यता निवारण के लिये कानून बनेगा। इस के लिये रुपये की जरूरत है। अगर आप अयोग्यता निवारण के लिये रुपया नहीं रक्खेंगे और कानून अमल में लाएंगे तो उसके लिए रुपया कहां से आवेगा? इसलिये अयोग्यता निवारण के लिए मैंने दो करोड़ रुपये की मांग की है। विदेशों और यहां की छात्रवृत्तियों के लिये कम से कम ६० लाख रुपया रखना चाहिये। इस प्रकार से कुल ४५ करोड़ ९३ लाख रुपये होते हैं। यदि आप इस प्रकार से पंच वर्षीय योजना में प्रबन्ध कर दें तो मैं समझता हूं कि आप काफ़ी सहायता करेंगे। देश का वह अंग जिस में कीड़ा लगा हुआ है, जिसे आप अपने देश का चोथा अंग मानते हैं, वह सड़ गया है, गल गया है, उस के रोग को दूर करने के लिये औषधि की आवश्यकता है। मैं नहीं चाहता कि कोई कार्य नारंगी की तरह से हो जो कि ऊपर से सुन्दर दिखाई देता है, लेकिन भीतर फांक की फांक होती हैं। मैं तो चाहता हूं कि वह खरबूजे की तरह हों जो कि ऊपर से देखा जाय तो फांक ही फांक होती हैं, लेकिन भीतर से वह एक होता है। परमात्मा वह दिन लावे कि हम सब भारतवर्ष के आदमी एक हों। न कोई छून छात हो और न यहां पर कोई किसी से नीचा अथवा ऊंचा हो। इसी तरह से हमारे देश का स्तर ऊंचा हो सकता है। अगर इस को किया गया होता तो मैं समझता हूं कि देश का कल्याण होगा।

मैं आशा रखता हूं कि हमारे वित्त मंत्री सब बातों पर प्रकाश डालेंगे। कहीं ऐसा न हो कि तमाम बातों का उत्तर देते हुए वह इन को भूल जायें। हमारे भाई आप के भी भाई हैं। मैं आप के मुंह से सन्तोषप्रद उत्तर सुनना चाहता हूं।

श्री तिम्मय्या (कोलार—रक्षित-अनुसूचित जातियां): मैं भद्रा परियोजना के

विषय में कुछ कहना चाहता हूं । भद्रा परियोजना को मैसूर सरकार ने १९४७ में आरम्भ किया था और धनाभाव के कारण इसे छोड़ना पड़ा । हमें आशा थी कि केन्द्रीय सरकार इस काम को अपने हाथ में लेगी । पंच वर्षीय योजना में भी इस परियोजना को चलाने के लिये बहुत कम धन नियत किया गया है । इस परियोजना के बन जाने पर २,२४,००० एकड़ ज़मीन की सिंचाई की जा सकेगी और इस से खाद्य का उत्पादन एक लाख टन और बढ़ जायगा । और इसके साथ साथ पशुओं के लिये चारे की भी कमी दूर हो जायेगी । इस परियोजना से १८,५०० किलोवाट बिजली भी पैदा होगी जिस में से भद्रावती के लोहे के कारखान को दी जा सकेगी ।

पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५२-५३ के लिये ३६ लाख रुपये, १९५४ के लिये ४० लाख रुपये तथा १९५५ और १९५६ के लिय अलग अलग ४० लाख रुपये नियत किये गये हैं जब कि इस परियोजना का अनुमानित व्यय १८ करोड़ रुपये है । यह काम अब इस अवस्था पर आ गया है कि धन उपलब्ध हो तो इस काम को शीघ्र समाप्त किया जा सकता है। इस के संगठन को थोड़ा बढ़ा कर और मशीनों से काम लेकर और इसके कर्मवाहक व्यय में कमी करके इस परियोजना पर प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये व्यय किये जा सकते हैं और इस प्रकार यह परियोजना ८ वर्षों में पूरी की जा सकती है । इसके लिये मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कई बार लिखा पर कुछ हुआ नहीं । इस परियोजना से जिस क्षेत्र की सिंचाई की जायगी वह सूखा है, वहां अकाल पड़ना है और मैसूर सरकार को सहायता कार्यों पर वहां बहुत धन खर्च करना पड़ता है । इससे इस धन की बचत हो सकती है और मैसूर सरकार की आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाई जा सकती है ।

वित्त मंत्री को मालूम है कि मैसूर राज्य ने बड़ी बड़ी विकास योजनायें तथा सिंचाई योजनायें आरम्भ की हैं । मैसूर सरकार को आवश्यकताओं पर विचार करते हुए इसे आवश्यक धन दिया जाना चाहिये । मेरी माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि वह इस परियोजना को चलाने के लिये मैसूर राज्य को पर्याप्त धन दें ।

एकीकरण से पूर्व मैसूर में तम्बाकू पैदा करने वालों से कर नहीं लिया जाता था । आज तम्बाकू के डंठल के चूरे पर भी, जो खाद के काम में लाया जाता है, कर लगता है और तम्बाकू पैदा करने वाले ५००० से १०,००० रुपये तक कर देंगे । इतने का तो उनके पास अपना सामान भी नहीं होगा । अतः मेरे माननीय वित मंत्री से प्रार्थना है कि वे तम्बाकू पैदा करने वालों पर लगाये गये कर पर विचार करें । मुझे मालूम हुआ है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को कुछ अभिवेदन किये गये हैं । उन पर विचार करके तम्बाकू पैदा करने वालों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये ।

उत्पादन मंत्री (श्री क० सी० रेड्डी) : वादविवाद के दौरान में विज़गापट्टम के जहाज बनाने के कारखाने के फालतू मज़दूरों की प्रस्तावित छंटनी के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं । डा० लंकासुन्दरम् ने तो अपने भाषण में विशेष रूप से इसी पर अधिक बातें कहीं । मेरे पास इतना समय नहीं कि उन्होंने जो बातें कहीं उन सब पर मैं कुछ कह सकूं । अतः मैं छंटनी तथा इस विषय के बड़े पहलुओं पर ही बोलूंगा ।

[श्री के० सी० रेड्डी]

सबसे पहिले मैं यह बतला दूं मेरा श्रमिक संघों से बहुत अधिक सम्पर्क रहा है और जहां कहीं मजदूरों की छंटनी की बात पदा होती है मैं उसके पक्ष में कभी नहीं होता। मैं तो चाहता हूं कि छंटनी की बात ही पदा न हो और यदि सम्भव हो तो ऐसे तरीकों से काम लिया जाय कि छंटनी का प्रश्न ही न उठे। यदि किसी मामले पर खूब विचार किया गया हो तो केवल उसी अवस्था में हमें इस विषय को मान लेना चाहिये। तो विजगापट्टम के जहाज बनाने के कारखाने में छंटनी के सम्बन्ध में हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि क्या इस मामले म छंटनी किये जाने की सम्भावना ह।

इ सम्चन्ध में मैं संक्षेप में यह बतलाऊंगा कि छंटनी का प्रस्ताव किस कार शुरू हुआ। १९४९ में सिंधिया कम्पनी को जिसका यह जहाज बनाने का कारखाना है और जो इसका प्रबन्ध करती है, यह मालूम हुआ कि इस कारखाने में मजदूर इसकी कार्य-क्षमता के लिये आवश्यक संख्या से अधिक संख्या में थे। उस समय इस लिये छंटनी नहीं की गई थी क्योंकि यह समझा गया था कि इस जहाज बनाने के कारखाने को इसमें पूर्ण कार्य-क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। इस बीच में इस कारखाने में अधिक संख्या में फालतू मज़दूर होने के कारण इसको हानि होती रही। सरकार को इस मामले में हस्तक्षप करना पड़ा और इसे आर्थिक सहायता देकर इस जहाज बनाने के कारखाने को चालू रखना पड़ा।

जनवरी १९५० में भारत सरकार ने इस जहाज बनान के कारखाने से अपना खर्च कम कर देने के लिए कहा। अत: छंटनी का प्रश्न फिर उठा। २६ जनवरी, १९५० को श्रमिक संघ तथा मालिकों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार मजदूरों ने अपने मंहगाई भत्ते में एक तिहाई भत्ता कम कर देने की बात को मान लिया जिससे कि उनको दिये जाने वाली मजदूरी में तो कमी हो जाय किन्तु उनकी छंटनी न की जाय। इस प्रकार छंटनी का मामला तो रुक गया। किन्तु जहाज बनाने के कारखाने की हानि होती रही।

१९५२ में सरकार ने सिन्धिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी से जहाज़ बनाने के इस कारखाने को अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया। पहली मार्च १९५२ को नई कम्पनी ने इस कारखाने को अपने अधिकार में ले लिया और सरकार ने एक उच्च अधिकारी को प्रबन्धक संचालक के रूप में नियुक्त किया। इस नई कम्पनी के पास इस कारखाने के चले जाने से मालिकों तथा मजदूरों के बीच का समझौता अपने आप खत्म हो गया। सिन्धिया कम्पनी ने सरकार से इस बात की प्रार्थना की थी कि इस कारखाने के ले लिये जाने के बाद ६ महीने तक छंटनी न की जाय। इसी बात के आधार जुलाई १९५२ में मैंने जहाज़ बनाने के कारखाने के मज़दूरों को यह आश्वासन दिया था कि छंटनी नहीं की जायगी। इसी बीच में मालिकों तथा श्रमिक संघ के झगड़े को श्रम न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया। १४ मार्च १९५२ को उस न्यायाधिकरण ने यह आदेश जारी किया कि जनवरी १९५० के समझौते के अनुसार महंगाई भत्ते में जो कमी की गई थी वह उनको दी जाय। इस प्रकार मज़दूरों को फिर से अपने पूरे भत्ते मिल जाने के कारण मालिक २६ जनवरी, १९५० को हुए समझौते के अन्तर्गत छंटनी न करने के लिये

मजबूर नहीं थे। और इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि जहाज़ बनाने के कारखाने के काम के बढ़ने की सम्भावना है, कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं ने ये पिछली बातें इसलिए कहीं कि जब छंटनी की बात उठी थी उस समय श्रमिक संघ अपने महंगाई भत्ते में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं था जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा था। और मालिकों ने भी ऐसा समझौता कर रखा था जिसके अनुसार वे छंटनी नहीं कर सकते थे। यह स्थिति जनवरी १९५० से १९५२ तक रही। पंच बर्षीय योजना में जहाज़ बनाने के कारखाने के विकास के लिये कुछ उपबन्ध किये गये हैं, और १९५६ तक ५०,००० टन तक के जहाज़ बनानें का कार्यक्रम है।

अप्रैल १९५२ में एक फ़ांसीसी कम्पनी से समझौता किया गया जिसनें जहाज बनाने के कारखाने को अपने दो टैकनिशयन दिये, जिन्होंनें विस्तृत जांच के बाद जहाज़ बनानें के काम के विकास के लिये एक योजना बनाई। उनका यह विचार है कि मज़दूरों की संख्या दैनिक आवश्यकता से भी अधिक है और जब यह जहाजकारखाना वर्ष में २,१/२ जहाजों के स्थान पर ४ जहाज बनानें लगेगा उस समय की आवश्यकता से भी इनकी संख्या अधिक है। जहाज बनानें के कारखाने की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक वर्ग के कितने मज़दूरों की जरूरत पड़ेगी इस बात की अच्छी प्रकार से जांच की गई और यह मालूम हुआ कि ८३० मज़दूर बहुत समय तक के लिये फालतू रहेंगे। जिन मज़दूरों की छटनी की जायगी सरकार को उनकी कठिनाई का पता हैं। पिछले एक वर्ष से उनको इसके स्थान पर और कार्य देनें की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है। विज़गापट्टम में इन मज़दूरों को एक दम उचित नौकरी दिलाना सम्भव नहीं। इन्हें बन्दरगाहों तथा रेलवे में काम देने के प्रयत्न किये गये हैं। हिन्दुस्तान शिपयार्ड में अन्य जगहों के मुकाबिले में वेतन और भत्ते अच्छे मिलते हैं। मज़दूरों को और जो नौकरी दी जाती है उसे वे करना नहीं चाहते। गत वर्ष १६ विभिन्न ग्रेडों के मज़दूरों से चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में जानें के लिये कहा गया किन्तु किसी नें भी वहां जाना स्वीकार नहीं किया। यद्यपि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में मजदूरों को खास रियायतें मिलती हैं। सरकार ने इन फालतू मज़दूरों में से बहुतों को मैसर्स काल्टेक्स कम्पनी के बनाये जानें वाले तेल साफ़ करनें के कारखाने में तथा बन्दरगाह में बनाये जानें वाली सूखी गोदी में काम पर लगा देनें की सम्भावना पर भी विचार किया है। किन्तु ये दोनों परियोजनायें दो वर्ष से पूर्व बन कर तय्यार नहीं होंगी। इतनें समय तक इन फालतू मज़दूरों को रखनें से जहाज़ बनाने के कारखाने को बहुत हानि होगी।

जिन ८३० मज़दूरों की छंटनी की जा रही है उन पर एक वर्ष में होनें वाले कुल व्यय का अनुमान लगभग २०,००,००० रुपये है। जब जहाज़ बनाने के कारखाने को हानि हो रही है और वह हानि सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से पूरी होती हो तो इसका मतलब यह है कि जो मज़दूर काम के न होते हुए भी वहां रखे हुए हैं और भारतीय कर-दाता उनका खर्च भुगतते हैं। यह बात

[श्री के० सी० रेड्डी]

करदाताओं की दृष्टि से ही नहीं अपितु स्वयं मज़दूरों की दृष्टि से भी ठीक नहीं।

इस काम को करने से पहले श्रमिक संघ का सहयोग प्राप्त करने के प्रत्येक प्रयत्न किये गये हैं और उसका दृष्टिकोण सहायतापूर्ण नहीं था। उस समय यह समझा गया कि जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से अयोग्य अथवा आयुवार्धक्य प्राप्त हैं उन्हें काम से हटाया जा सकता है। जनवरी १९५० के समझौते में श्रमिक संघ ने इस बात को माना था कि इस प्रकार के मज़दूर हैं। २६ जनवरी को श्रमिक संघ के सचिव से इस बात की प्रार्थना की गई कि वह अयोग्य मज़दूरों की डाक्टरी जांच करवाने में सहायता दें। जिस समिति को यह डाक्टरी जांच करनी थी उसमें जहाज़ बनाने के कारखाने के चिकित्सक अधिकारी, श्रमिक अधिकारी तथा श्रमिक संघ के अध्यक्ष थे। किन्तु इस काम में श्रमिक संघ ने सहयोग नहीं दिया। श्रमिक संघ के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो गया कि इस मामले में उससे पूर्व परामर्श करन से कोई लाभ नहीं होगा। इन परिस्थितियों में ३० मार्च १९५३ को कारखाने के मालिकों ने श्रमिक संघ के सचिव को यह सूचित किया कि पहली अप्रैल १९५३ से विभिन्न ग्रेड के ८१३ मज़दूरों की छंटनी करने का विचार है, और यह छंटनी इस आधार पर की जायगी कि (१) जिनकी आयु ५५ वर्ष है, (२) जो शारीरिक रूप से अयोग्य है तथा (३) शेष व्यक्ति नौकरी में कनिष्ठता के आधार पर। इस सम्बन्ध में, मैं यहां बताना चाहता हूं कि श्रमिक संघ क़ानून के अन्तर्गत, इस तरह के उद्योग के लिये यह ज़रूरी नहीं कि प्रबन्धकर्त्ता छंटनी करने से पहले उसका नोटिस दें। नोटिस के बदले १४ दिन की मज़दूरी देना ही काफ़ी है। जैसा मैं बता चुका हूं कोई ऐसा समझौता नहीं है जिसके अनुसार प्रबन्धकर्त्ता इस बात के लिये बाध्य हों कि वे छंटनी न करें। २६ जनवरी, १९५० के समझौते के अनुसार छंटनी उस समय तक नहीं हो सकती थी जब तक मज़दूर अपने महंगाई भत्ते में एक-तिहाई कटौती के लिये राज़ी हों। मार्च १९५२ में कटौती पूरी हो जाने पर, यह समझौता खत्म हो गया।

ऐसा कहा गया है कि छंटनी इस लिये की जा रही है ताकि जहाज़ बनाने के कारखाने के लिये फ़्रांसीसी फ़र्म की परामर्शदाता के रूप में जो नियुक्त की गई है उसका खर्चा इससे पूरा किया जा सके। फ़्रांसीसी फ़र्म को तथा उसके द्वारा दिये गये टैक्निकल विशेषज्ञों को जो पारिश्रमिक दिया जायेगा वह पिछली बार संसद में बताया जा चुका है।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

यह कहना गलत है कि फ़्रांसीसी फर्म का खर्चा पूरा करने के लिये इन मज़दूरों की छंटनी की जा रही है। इस के विपरीत, उनकी टेकनिकल सहायता से कारखाने की कार्यकुशलता में वृद्धि होने तथा भविष्य में जहाज बनाने में खर्चा कम आने की आशा है। यह चीज कारखाने को पूरी क्षमता के अनुसार चला कर ही नहीं वरन् काम करने के तरीकों में भी कुशलता लाकर की जाए-

गी। निकाले गए मज़दूरों के आगे कम्पनी ने जिन शर्तों को रखा है वे बहुत उदार हैं। इनके द्वारा बहुत से प्रभावित मजदूर शीघ्र ही अपने आप को पुनर्वासित करने में समर्थ हो सकेंगे। उन्हें अब तक जमा हुई मज़दूरी, अर्जित भत्ता, छुट्टी के समय की मज़दूरी और नोटिस के बदले मंहगाई भत्ते समेत १४ दिन की मज़दूरी ही नहीं दी जा रही है, वरन् कुछ विशेष लाभ भी दिए जाते हैं। जो इस प्रकार हैं :—

(१) नियमों के अन्तर्गत, मज़दूर सेवा-काल के हरेक वर्ष के लिए १५ दिन के हिसाब से उपदान पाने के हक़दार हैं, बशर्ते कि उन्होंने लगातार कम से कम २० वर्ष तक सेवा की हो, परन्तु निकाले गए मज़दूरों को उसी हिसाब से दिया जा रहा है चाहे उनका सेवा काल कितना ही हो।

(२) कम्पनी की भविष्य निधि की राशि हरेक मज़दूर को पूरी पूरी दी जाएगी; और

(३) हरेक निकाले गए मज़दूर को पुनर्वास अनुदान के रूप में तीन महीने की मूल मज़दूरी (मंहगाई, भत्ता शामिल न करते हुए) दी जाएगी। तो यह है इस मामले से संबंधित तथ्य।

अब, इस मामले को एक न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर देने के लिए कहा गया है। सरकार न्यायाधिकरण द्वारा इस मामले को निपटाने की बात का स्वागत करेगी। प्रान्तीय सरकार यानी मद्रास सरकार से इस विषय में कहा गया है और मैं आशा करता हूं कि न्यायाधिकरण स्थापित कर दिया जाएगा। जहां तक प्रबन्धकर्त्ताओं का सम्बन्ध है, वे मामले को शान्तिपूर्वक सुलझाने में पूरा सहयोग देने

डा० मुकर्जी ने कहा कि शायद सामग्री की कमी के कारण छंटनी की जा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि छंटनी का यह कारण नहीं है। इस मामले पर लम्बे समय तक विचार किया गया है और जब यह देखा गया कि कोई दूसरा उपाय नहीं है तब ही छटनी करने का फैसला किया गया है। मैं आशा करता हूं कि न्यायाधिकरण नियुक्त हो जाने पर सारे मामले पर पूरी तरह विचार किया जायगा और एक ऐसा हल निकाल लिया जायेगा जो मज़दूरों और प्रबन्धकर्त्ताओं दोनों को स्वीकार्य होगा।

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या इस बीच निकाले गये मज़दूरों को वापस ले लिया जायगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस विषय में कोई बचन नहीं दे सकता।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं देखता हूं कि मुझे ६० मिनट से कम समय में ३० से अधिक वक्ताओं की बातों का उत्तर देना है। वादविवाद का क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है और यदि मेरे पास समय होता तो मैं प्रत्येक माननीय सदस्य का उत्तर देता। परन्तु अब मैं कुछ खास विषयों पर ही बोलूंगा। सब से पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूं।

पहली बात यह है : बार बार हम प्राथमिकताओं के प्रश्न पर आते प्रतीत होते हैं जब कि हमारे यहां स्थिति कुछ ऐसी है जिस में लगभग सब ही चीज़ें हमें ज़रूरी और महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि माननीय सदस्यों ने अपने अपने विषय के समर्थन में कहा, वह उचित ही था। चाहे विषय पुनर्वास का हो, चाहे अनुसूचित जातियों

[श्री सी० डी० देशमुख]

या पिछड़े हुए वर्गों के उद्धार का और चाहे मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन जैसे राज्यों की समस्याओं का, यह ज़रूर है कि माननीय सदस्यों ने अपनी समस्याओं को दृढ़तापूर्वक सामने रखा है। परन्तु जैसा मैं कह चुका हूं, अन्त में हम इसी बात पर आते हैं कि हमारे संसाधन पर्याप्त हैं या नहीं और वास्तव में यही योजना का प्रश्न भी हमारे सामने आता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं वर्तमान आय-व्ययक में योजना के एक विशेष पहलू की झलक है। वित्त मंत्री इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना ही उत्सुक क्यों न हों, इस बात को मानना होगा कि उस के हाथ उन परिस्थियों से बंधे होते हैं जिन में उसे काम करना होता है। अतः मेरे पास अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य के लिये कोई सीधा उत्तर नहीं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उद्धार के लिये ७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था चाहते हैं। अगर मेरे पास धन होता तो मैं अवश्य उसकी व्यवस्था करता।

श्री **बी० एस० मूर्ति** : इस आश्वासन के लिये आप का धन्यवाद।

श्री सी० डी० देशमुख : यह कोई आश्वासन नहीं क्योंकि मैं उस की व्यवस्था नहीं कर सकता। यह तो मैं अपनी वास्तविक सद्भावना को प्रगट कर रहा हूं।

श्री **नम्बियार** : यह तो एक बहुत बड़ा "अगर" है।

श्री **सी० डी० देशमुख** : इसीलिये तो मैं कहता हूं कि हमें बार बार प्राथमिकताओं के इस पर आना होता है।

दुर्भाग्य से हमारे पास स्वतंत्रता के साथ साथ पिछले शासन की बहुत सी बुराइयां भी आ गई हैं। हमारी समस्यायें नाना प्रकार की हैं और वे सब की सब समुन्नतिकारी उपायों से हल नहीं हो सकतीं; कुछ समस्याओं को हम प्राथमिकता नहीं दे सकते; उन्हे बाद के लिये छोड़ना ही होगा।

मैं कुछ समस्याओं का जिक्र कर चुका हूं। अब मैं विशेष रूप से विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने के प्रश्न को लेना चाहता हूं क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि वित्त मंत्री यदि अपनी बात पर न अड़े रहें तो विस्थापित व्यक्तियों को संतोषजनक क्षतिपूर्ति दी जा सकती है।

लाला अचिंत राम : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, न मैं ऐसा सोचता ही हूं।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने तो माननीय सदस्य की ओर अनायास ही देखा था। खैर, यह एक बड़ी जटिल समस्या है और इस में सिद्धान्त का प्रश्न सन्निहित है। चूंकि माननीय सदस्य ने अपने स्वयं के विचारों की ओर मेरा ध्यान दिलाया है, प्रश्न यह है कि क्या राज्य को अपने राजस्व में से क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये।

लाला अचिन्त राम : यह आश्वासन सरकार दे चुकी है। पिछले छः वर्षों में सरकार के एक उत्तरदायी मंत्री यह आश्वासन देते रहे हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : यही मेरा माननीय सदस्य से मतभेद है। यह आश्वासन जरूर दिया गया है कि क्षतिपूर्ति दी जायगी।

लाला अचिंत राम : सरकार के अंशदान से ।

श्री सी० डी० देशमुख : परन्तु सरकार न इस सिद्धांत को कभी नहीं माना ह कि सारी क्षतिपूर्ति राज्य के राजस्व में से दी जाये । हां, सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के उत्तरदायित्व से मुंह कभी नहीं मोड़ा है । वह इस पर करोड़ों रुपया खर्च कर चुकी है और अब भी इस कार्य के लिये जो जो खर्चे आवश्यक होंगे उसे करने के लिये वह तैयार है । यह बात मानी जा सकती है कि यदि क्षतिपूर्ति कुछ हद तक देना सम्भव हो सकता हो, (यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि वह पूरी दी जायगी या नहीं) तो सरकार पुनर्वास के लिये बड़ी बड़ी राशियों का उपबन्ध करने से बच सकेगी ।

इस मामले पर विचार किया जाना है । यह भी सच है कि बहुत से विस्थापित व्यक्ति, जो कि अब सरकार द्वारा निर्मित मकानों में रह रहें हैं, पूरी तरह बस नहीं पाए और सरकार द्वारा निश्चित पुस्त-किराये नहीं दे सकते । इस मामले में कुछ जांच करने की आवश्यकता है । मैं स्वयं उन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किये जाने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि यदि इस के फलस्वरूप वे निकाल दिये गये, तो उन के पुनर्वास की समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहेगी ।

श्री गिडवानी : माननीय मंत्री ने एक घोषणा की है । मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि हिदायतें जारी की जायें, क्योंकि बम्बई राज्य में कई स्थानों पर लोगों को जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है

श्री सी० डी० देशमुख : इन मामला को मंत्रिमंडल की एक समिति को निर्दिष्ट किया गया है और इस समिति की पहली बैठक २० को होगी ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : बीच के समय में कार्रवाई रोकी जा सकती हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : आज १६ है । माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखते हुए मैं समिति की बैठक की तिथि से पहले, बेदखली की कार्रवाई की स्थिति के सम्बन्ध में जांच करूंगा ।

दो या तीन माननीय सदस्यों ने आदिम जातियों के बारे में कुछ सुझाव दिये है । मुझे उन से सहानुभूति है । किन्तु मेरे विचार में उन के कुछ सुझावों उदाहरणतया तकावी आदि का सम्बन्ध वास्तव में राज्य सरकारों से हैं । फिर भी हम यह अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि देश की जनसंख्या के इस बड़े भाग को कुछ प्रोत्साहन दिया जाये ।

इन सामान्य बातों के बाद मैं अब विधेयक के विषय से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट बातों की चर्चा करना चाहूंगा । श्री देशपांडे, श्री रामचन्द्र रेड्डी और डा० मुकर्जी ने कहा है कि आयकर अधिनियम की धारा १५ ख के अन्तर्गत छूट की सुविधा उन साम्प्रदायिक संस्थाओं को भी, जो कि किसी विशेष सम्प्रदाय के हित के लिए हो, मिलनी चाहिए । मेरे विचार में इस विषय पर कुछ गलतफ़हमी है । आयकर अधिनियम की धारा ४ (३) (१) के अन्तर्गत इन साम्प्रदायिक संस्थाओं की आय कर से मुक्त होगी । किन्तु छूट की यह सुविधा इन संस्थाओं को दान देने वालों को न मिलेगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई नई शर्त नहीं है जो कानून में रखी जा रही है पहले उन चीजों को जो कार्यपालका

[श्री सी० डी० देशमुख]

निदेश के रूप में थीं अब इस नये उपबन्ध म सम्मिलित किया जा रहा है क्योंकि सामान्य कारणों से हम यह चाहते थे कि मामले निर्णय और स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के पास न आयें।

इस के बाद अब मैं सीमा तथा उत्पादन शुल्कों के मामले को लेता हूं। मेरे विचार में इस मामले का पुनर्विलोकन करने का अभी समय नहीं आया।

तम्बाकू शुल्क के सम्बन्ध में मुझ से उत्पादकों को परेशानी से बचाने के लिये अपीलें की गई हैं। मुझे इस की वांछनीयता का सदा ध्यान रहता है किन्तु मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मुझे ठोस शिकायतें दी जायें, जिनकी मैं जांच कर सकूं। मेरे विचार में यह कहना सत्य नहीं है कि केन्द्रीय उत्पादक विभाग के अधीन अधिकारी असीमित अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। यह सच है कि वे अपने स्थानीय अनुभव के आधार पर तम्बाकू की किसी किस्म पर उचित कर निर्धारण के लिए अपने ज्येष्ठ पदाधिकारियों से सिफ़ारिश कर सकते हैं। किन्तु तम्बाकू की किसी किस्म पर शुल्क की अधिक या कम दर का अन्तिम निर्णय केन्द्रीय उत्पादकर के कलेक्टर पर निर्भर है, जिसे उस किस्म के तम्बाकू के बारे में अधिसूचना देनी पड़ती है। अतः मेरे विचार में यह नहीं कहा जा सकता कि केन्द्रीय उत्पाद कर के अधीन अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तम्बाकू की पैदावार को बढ़ाने की ओर भी निर्देश किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे विश्वास दिलाया गया है कि बढ़िया किस्म का बीज संभरित कर के, खाद और उवर्रक के प्रयोग का प्रचार कर के और पौधों को बचाने के उपायों से तम्बाकू की पैदावार बढ़ाई जा रही है और इसे बढ़िया किस्म का बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस के अतिरिक्त भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति और राज्य सरकारों के अधीन तम्बाकू अनुसंधान केन्द्रों में अनुसंधान भी किया जा रहा है।

कुछ दवाईयों पर सीमा शुल्क घटाने का सुझाव दिया गया है। इस विषय में कठिनाई यह है कि इन में से कुछ चीजों को औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए भी प्रयोग किया जाता है और इन प्रयोजनों में भेद करना संभव नहीं है। फिर भी संभव है कि इन में से कुछ वस्तुओं पर शुल्क में संशोधन करने की आवश्यकता है। इस मामले पर मेरे मंत्रालय में विचार हो रहा है।

अब मैं डाक की दरों के प्रश्न को लेता हूं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े बतलाना चाहता हूं। बिना रजिस्टरी के पैकटों पर लगभग ६० लाख रुपये का घाटा हो रहा है और रजिस्टर्ड पैकटों पर १८ लाख का। बिना रजिस्टरी के पार्सलों पर ३१ लाख का, और रजिस्टर्ड पार्सलों पर ५-६ लाख का, वी० पी० पार्सलों पर ४५ लाख और बीमा पार्सलों पर १४·४ लाख का घाटा हो रहा है। किन्तु सब से अधिक घाटा—१,३२,००,००० रुपये पोस्ट कार्डों पर ही रहा है। इन घाटों के होते हुए भी हम दरों में कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इस प्रस्ताव से पुस्तकों के मूल्य बढ़ गये हैं और स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं ने मूल्य बढ़ा भी दिये हैं। मैं ने दिल्ली के पुस्तक विक्रेताओं से पूछ-ताछ की है और मुझे

ज्ञात हुआ है कि वास्तव में कोई वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि यह तभी हो सकती है, जबकि सदन दरों में वृद्धि को स्वीकार कर ले।

माननीय सदस्यों ने राजनैतिक स्थिति के बारे में जो बातें कही हैं, उनका उत्तर देना मेरे कार्य-क्षेत्र में नहीं है। किन्तु सरकार की ओर से यह बतलाना मेरा कर्त्तव्य है कि काश्मीर पर अब उतना खर्च नहीं हो रहा है, जितना कि पहले किया जा रहा था। इस का कारण यह है कि वहां अब कोई लड़ाई नहीं और हमारे सैनिकों की संख्या पहले से बहुत कम है।

डा० एस० पी० मुकर्जी : अब कितना व्यय होता है।

एक माननीय सदस्य : यह बताना जन-हित की दृष्टि से ठीक नहीं है।

श्री सी० डी० देशमुख : इसलिए उत्तर देने में मुझे हिचक है। फौजें कहीं न कहीं तो रखनी ही पड़ती हैं। भेद केवल इतना ही है कि अभी अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। वह बहुत अधिक नहीं होता।

अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे का समर्थन किया है। वित्तीय मामलों को तय करने के लिए जो बैठकें हुई हैं वे यद्यपि सफल नहीं हुईं फिर भी हमें आशा है कि अगले वर्ष तक सारी समस्याओं के विषय में कुछ न कुछ समझौता हो जाएगा।

नहरों के पानी के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। हो सकता है कि बौनी के समय भारत की नहरों से कम पानी मिला हो परन्तु यह बात ठीक नहीं है कि पाकिस्तान की खाद्य समस्या का मुख्य कारण भारत है। अब वातावरण कुछ ठीक हो गया है तथा दोनों देश सहयोग से काम कर सकते हैं। अभी तक दोनों देशों में प्रतिरक्षा पर व्यय की गई राशि बढ़ती जा रही है तथा आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त राशि नहीं बच पाती। अब दोनों देश यह समझ गये हैं कि फौजों पर व्यय बढ़ाने से लाभ नहीं है।

क्या हम अपना प्रतिरक्षा आवश्यक इस कल्पना पर बना सकते हैं कि हमें बड़े राष्ट्र से युद्ध करना पड़ेगा। कोशिश करने पर भी हम वैसा नहीं कर सकते। अतएव हमें केवल प्रतिरक्षा की आवश्यक वस्तुएं खरीदनी चाहिएं। इन पर राशि व्यय करनी चाहिए। शेष राशि उद्योगों में लगानी चाहिए जिस से कि हम अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने लगें। उदाहरणार्थ जैट विमान खरीदना आवश्यक है परन्तु नई बन्दूकों को खरीदना उतना आवश्यक नहीं है। पुरानी बन्दूकों से भी काम चल सकता है।

डा० एस० पी० मुकर्जी : परन्तु यदि पाकिस्तान के पास हम से बढ़िया हथियार हों तो हम कठिनाई में पड़ जायेंगे।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य का कहना ठीक भी हो फिर भी हमें यह बात माननी पड़ेगी कि वस्तुओं का अवक्षयण होता है। दोनों देशों में टैंकों इत्यादि का अवक्षयण हो रहा है। यदि हम प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योगों की स्थापना करें तो ठीक होगा। अभिनवतम अस्त्र खरीदने से स्थायी लाभ न हो सकेगा।

श्री राघवय्या (ओंगोल) : हम युद्ध की चर्चा कर रहे हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं । हम महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : आप स्वप्न की दुनिया में हैं । आप वास्तविकता नहीं देख रहे हैं ।

श्री जोशिम अलवा (कनारा) : पाकिस्तान के पास हम से अच्छी युद्ध-सामग्री है ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह क्षेत्र, प्रतिरक्षा उपमंत्री जी का है । मुझे सहयोग देना पड़ रहा है ।

श्री जोशिम अलवा : इंगलैंड-पाकिस्तान को गुप्त शस्त्र भी देता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : वे ऐसी महत्वपूर्ण सूचना सरकार को दें जिस से कि उनकी जांच की जा सके ।

अब मैं आरडिनेन्स फ़क्टरी में श्रमिकों की छंटनी के प्रश्न को लूंगा । हम ने कोशिश की है कि अतिरिक्त श्रमिकों द्वारा अन्य उपयोगी वस्तुएं बनवाई जायें परन्तु यह न हो सका । इन फ़ैक्टरियों में सस्ते दामों में उत्पादन नहीं हो सकता क्योंकि वहां की मशीनें आवश्यक वस्तुएं बनाने के लिए सर्वथा उपयुक्त नहीं है । यदि वस्तुएं अधिक महंगी न हों तो अन्य असैनिक विभाग इन आरडिनेन्स फैक्टरियों से वस्तुएं खरीद सकते हैं । इस प्रश्न पर अधिक विचार किया जाना चाहिए ।

सामान्य व्यापार के लिए वहां वस्तुओं का उत्पादन करने में भी कठिनाइयां हैं । अभी तक हम आर्डर पर ही वस्तुएं बनाते हैं । स्वयं वस्तुएं बनाकर नहीं बेचते । अतएव हम अतिरिक्त उत्पादन-शक्ति का लाभ नहीं उठा सकते । इन कठिनाइयों को हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है जिस से कि उस उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके जो प्रतिरक्षा की वस्तुएं बनाने के उपरान्त शेष बच रहती हैं । इस से छंटनी करने की आवश्यकता न पड़ेगी ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : हम छटनी के आंकड़े जानना चाहते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : १९५३-५४ के लिए फौजी वस्तुओं की मांग कम होने के कारण अनुमान लगाया गया कि २००० से लेकर ३००० श्रमिकों के लिए काम न रहेगा । इन अतिरिक्त श्रमिकों को हटाये जाने से बचाने के लिए सामान्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया गया । फल यह हुआ कि इन अतिरिक्त श्रमिकों में से बहुत से श्रमिकों को काम दिया जा सका । यदि उन्हें निकालना पड़ा तो अन्य स्थानों में उन्हें काम दिलाने की कोशिश की जाएगी । प्रतिरक्षा विभाग के किसी भी क्षेत्र में यदि उन्हें काम न दिया जा सकेगा तो उनके नाम नौकरी दफ्तर में पंजीयित कर लिए जाएंगे जिस से कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं श्रमिकों को काम दिया जा सके ।

अभी तक नौकरी समाप्त करने के नोटिस हमने केवल ५३ व्यक्तियों को दिये हैं ।

श्री नम्बियार : अभी मुझे तार से सूचना मिली है कि जबलपुर में १०५ श्रमिकों को नोटिस मिला है । मैं वह तार बता सकता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह मुझे दीजिए । जबलपुर में उस घटना के होने

के कुछ पूर्व की यह सूचना है। मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार अभी तक केवल ५३ व्यक्तियों को नोटिस मिला है। ये पहले कलकत्ते के पास एक डिपो में काम करते थे। वह डिपो अब बन्द कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य कुछ व्यक्तियों को आरडिनेन्स फैक्टरियों के अधीक्षकों ने इस आशय के नोटिस दिए थे कि यह संभव है कि वे निकाल दिए जायेंगे। वह तो केवल चेतावनी ही थी। इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि इन व्यक्तियों को फैक्टरी ही में अथवा अन्यत्र काम दिया जा सके।

फिर भी भय है कि एम० ई० एस० में २०० व्यक्तियों की छंटनी करनी पड़े। मैं निवेदन करता हूं कि स्थिति अत्यन्त गंभीर नहीं है।

असैनिक विभागों में भी छंटनी होती है। वहाँ भर्ती भी होती जाती है। निकाल दिये गये कुछ कर्मचारी फिर से भर्ती कर लिये जाते हैं। सब मंत्रालयों के पूरे आंकड़े मैं अभी नहीं दे सकता। समस्या की गंभीरता का हमें ध्यान है तथा हम स्थिति को न बिगड़ने देंगे नौकरियां देने में विस्थापित व्यक्तियों के बाद निकाले गए व्यक्तियों को ही प्राथमिकता दी जाती है।

श्री पी० एन० राजभोज : और अनुसूचित जातियां ?

श्री सी० डी० देशमुख : वे इस वर्ग में नहीं आतीं। हम दूसरे वर्गों पर विचार कर रहे हैं। आपकी समस्या भर्ती की है छंटनी की नहीं

अब हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। एक सिद्धान्त को हम व्यवहार में नहीं ला सके हैं।

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या इसे प्रादेशिक आधार पर किया जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक अन्य मंत्रालयों का सम्बन्ध है कोई प्रदेश नहीं है।

श्री एस० पी० मुकर्जी : नियुक्तियां प्रादेशिक सेवा योजनालयों के द्वारा की जाती हैं। छंटनी किये गये कर्मचारियों के नाम उन कार्यालयों में, जहां स्वीकृति होती हैं, दर्ज नहीं होते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : हम प्रादेशिक सेवा योजनालयों की स्थापना की संभावनाओं की जांच करेंगे। छंटनी के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बहुत विचित्र सुझाव दिये हैं। एक माननीय सदस्य ने तो मंत्रियों की संख्या पर ही आक्षेप कर दिया है। परन्तु ऐसा करना कठिन है। मेरा अपना विचार यह है कि भविष्य में शासन की बागडोर संभालने के लिए कुछ कनिष्ठ मंत्रियों को सरकार के कार्य में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। मेरा स्वयं का अनुभव है कि उन से सहायता प्राप्त होने के साथ साथ मुझे यह अवसर मिलता है कि मैं जो कुछ भी सरकारी कार्य के बारे में जानता हूं उसे किसी उपयुक्त व्यक्ति को समझा सकूं। इस प्रकार राजनीतिज्ञों की प्रथम पंक्ति के नीचे एक और श्रेणी हमें बनानी चाहिये जिस से कि वह समय आने पर शासन की बागडोर संभाल सकें।

इस के अतिरिक्त दोनों सदनों में कार्यभार बढ़ जाने के कारण मंत्रियों पर काफ़ी ज़िम्मेदारी आ गई है। विभिन्न विधानों इत्यादि के कारण दोनों सदनों का जो कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है यह भी उन के कार्य संभालने में एक बहुत बड़ी बाधा है। अधिक मंत्री नियुक्त करने का यही कारण और औचित्य है।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम): क्या किन्हीं देशों में ऐसा कोई नियम है कि निर्वाचित सदस्यों की एक नियत प्रतिशत से अधिक सदस्य सरकार से वेतन-प्राप्त व्यक्ति नहीं हो सकते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : ऐसा कोई नियम होना संभव है । मुझे विश्वास है कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम नियमों का अवक्रमण नहीं करेंगे । अब सदस्यों की संख्या ७५० होने के कारण इस मामले पर अधिक विचार करना लाभदायक नहीं है । यह तो हुआ छंटनी और मंत्रियों की संख्या का सम्बन्ध ।

आर्थिक नियंत्रण के सम्बन्ध में भी कुछ निदेश किया गया था, और प्रत्येक बार हीराकुड का जिक्र किया गया । स्वयं मुझे इस बात से संतोष नहीं है कि ४५ करोड़ रुपये का प्राक्कलन अब प्राय: दूने के बराबर हो गया है, परन्तु यही बात प्रायः सभी परियोजनाओं के सम्बन्ध में हुई है । मेरा विचार यह है कि स्वतंत्रता प्राप्त की खुशी में हमने बिना कोई नियमित तथा विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये काम प्रारम्भ कर दिया था । हीराकुड के सम्बन्ध में यह तो अनियमिततायें हुई हैं उन से तो मुझे कोई अधिक चिन्ता नहीं है क्योंकि इन को दुबारा होने से रोका जा सकता है, परन्तु मुझे तो यह परियोजना की उपयोगिता के सम्बन्ध में चिन्ता है । इस सम्बन्ध में मैं अभी तक सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं । यद्यपि उड़ीसा सरकार ने अन्तिम पुनरीक्षित प्राक्कलन को अभी तक स्वीकार नहीं किया है—मैं उस के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हूं क्योंकि मेरा विचार यह है कि अन्य राज्यों को देखे वहां सिंचाई की दरें बहुत अधिक नहीं हैं—और इसी लिये मुझे चिन्ता यह है कि पुनरीक्षित प्राक्कलनों के मुकाबिले में उपयोगिता कितनी रहेगी । जिस बात पर अधिक जोर दिया गया है उस से कहीं अधिक चिन्ता मुझे इस बात की है ।

एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया था कि मैं हीराकुड परियोजना का कार्य इसलिये धीमा कर रहा हूं क्योंकि मुझे उन राज्यों के लिए जिन में मेरी अधिक रुचि है, धन की व्यवस्था करनी है । मेरा निवेदन यह है कि मैं तो सभी राज्यों में एक जैसी रुचि रखता हूं । यदि माननीय सदस्य का तर्क मान लिया जाये तो वित्त मंत्री को संसद् का अनिर्वाचित सदस्य होना आवश्यक है, परन्तु संविधान के अनुसार छः महीने की अवधि के बाद ऐसा होना असंभव है । अर्थात् किसी राज्य-विहीन व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाया जाना चाहिये, और ऐसा होना असंभव है ।

हीराकुड पर हुए व्यय का क्रमिक ब्यौरा इस प्रकार है :

१९४८-४९—स्वीकृत धन राशि ८१ लाख, रुपये, वास्तविक व्यय ४१ लाख रुपये । १९४९-५०—स्वीकृत ३·० करोड़ रुपये, वास्तविक व्यय २·९७ करोड़ रुपये । १९५०-५१—स्वीकृत धनराशि ४·३९ करोड़ रुपये, वास्तविक व्यय ४·६७ करोड़ रुपये । १९५१-५२—आवंटन ८ करोड़ रुपये का था, वास्तविक व्यय ८·५८ करोड़ रुपये । १९५२-५३—आवंटन ८·८५ करोड़ रुपये का था, जनवरी १९५३ तक हुआ व्यय प्राय: ४ करोड़ रुपये । और सन् १९५३-५४ का बजट प्रावधान ११·७२ करोड़ रुपये का है ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : समवर्त्ती लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में स्थिति क्या

है ? क्या इस की संभावना पर विचार किया जायेगा ?

सी० डी० देशमख : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया । लेखों का तथा लेखा परीक्षा की प्रणाली के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय तथा सम्बद्ध मंत्रालय के प्रतिनिधियों में कुछ असहमति है क्योंकि लेखा परीक्षा का उत्तरदायित्व मुख्यतया विधेयक—महालेखा परीक्षक पर है । कई सम्मेलनों में परस्पर बातचीत करने के बाद हम ने इस मामले को विधेयक-महालेखा-परीक्षक को एकमात्र मध्यस्थ बना कर निर्णय के लिए सौंप दिया है । इस का अर्थ यह है कि संवैधानिक रूप से उस का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह हमें यह परामर्श दे कि भुगतान के लेखे किस प्रकार से रोके जाने चाहियें परन्तु तो भी उसने, मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कृपा करके हीराकुड परियोजना का दौरा किया, दोनों पत्रों की कठिनाइयों को समझा और लेखांकन की एक ऐसी रीति निकाली जिस पर दोनों मंत्रालय सहमत हो गये हैं ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : मैं ने केवल मात्र हीराकुड का ही निर्देश नहीं किया था । मेरा आशय सब से है ।

श्री सी० डी० देशमख : माननीय सदस्य ने सरकारी उद्योगों के कार्य करण के सम्बन्ध में पूर्व-लेखा परीक्षा अथवा समवर्ती लेखा परीक्षा किये जाने के प्रश्न की ओर निर्देश किया था । इस विषय पर मैं विधेयक-महालेखा परीक्षक से चर्चा करूंगा । मुझे यह निश्चित नहीं है कि कर्मचारियों की वर्तमान संख्या से उन के लिए ऐसा करना संभव भी हो सकेगा या नहीं । इस समय स्थिति यह है कि इन निगमों के अपने स्वयं के लेखा परीक्षक हैं, और तत्पश्चात महा-लेखा परीक्षक भी लेखा परीक्षण कर सकता है ।

श्री बी० दास : (जाजपुर-क्योंझर): क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं श्रीमान् ? गत पांच वर्ष मे सिंचाई मंत्रालय जो कुछ करता आ रहा है उसे ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार उसे महालेखा परीक्षक अथवा भारत सरकार के निर्णयों के मानने पर बाध्य करेंगे ?

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या वह महा-मध्यस्थ हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह ठीक है, परन्तु वह मान गया है। इस पर कोई विवाद नहीं था, अतः उस ने इसे मान लिया है ।

श्री बी० दास : क्या अब की बार वे महा-लेखा परीक्षक के निर्णय के अनुसार चलेंगे ? पिछले पांच वर्षों में तो ऐसा नहीं हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : आने वाले पांच वर्षों में स्थिति बिल्कुल विभिन्न रहेगी ।

अब जब कि उपाध्यक्ष महोदय, ने पन्द्रह मिनट और दिए हैं, मैं श्री मेघानाद साहा द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बाद में कुछ कहूंगा । मद्रास तथा त्रावनकोर और कोचीन को दी गई सहायता के बारे में कहते हुए, मैंने वित्तीय नीति सम्बन्धी आलोचना को बड़े ध्यान से सुना है तथा श्री साहा के योजना सम्बन्धी पूरे दृष्टिकोण को भी सुना है। उनकी सब बातों से सहमत न भी होते हुए, मैं उनके मुख्य सिद्धान्त से सहमत हूं अर्थात कि गतिपूर्ण विकास के लिए अर्थ-व्यवस्था में विनियोजन को काफी अधिक बढ़ाना होगा । वास्तव में योजना आयोग की रिपोर्ट के अध्याय १ में भी इसी सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है । योजना आयोग ने पूंजी-निर्माण की दो या

[श्री सी० डी० देशमुख]

तीन वैकल्पिक दरों पर विचार किया है तथा प्रत्येक विकल्प के उपभोग के स्तर पर व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव परिणामों पर भी । उदाहरणार्थ उनकी अनुगणना आदि से पता चलता है कि यदि पूंजी-निर्माण को आरम्भ से ही बढ़ाया जाना है तथा इसे प्रत्येक वर्ष में अर्जित आय के दो तिहाई भाग से बढ़ाया जाना है तो लगभग २२ वर्ष में राष्ट्रीय आय को १६० प्रतिशत से कुछ अधिक बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु इसके लिए दस पन्द्रह वर्ष तक प्रति व्यक्ति खपत स्तर को नीचे लाना होगा । यदि, इसके विपरीत, पूंजी-निर्माण को क्रमशः बढ़ाया जाय—यूं कहिये कि प्रत्येक काल में अतिरिक्त आय के २५ प्रतिशत अनुपात से—तो राष्ट्रीय उत्पादन में २० वर्ष के अन्त में केवल ८० प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी। इससे वर्तमान खपत स्तर में किसी विशेष कमी की आवश्यकता नहीं रहेगी। परन्तु जीवन-स्तर के ऊंचा करने के सम्बन्ध में इसके परिणाम लगभग कुछ नहीं होंगे । स्पष्ट है कि इन दोनों चरम सीमाओं से परे रहना होगा । कम से कम योजना आयोग का विचार यही था । अतएव उनका प्रस्ताव था कि १९५६-५७ से लेकर, प्रत्येक वर्ष विनियोजन को अतिरिक्त उत्पादन के ५० प्रति शत अनुपात से क्रमशः बढ़ाया जाय । इस आधार पर १९६०-६१ तक आर्थिक व्यवस्था में विनियोजन राष्ट्रीय आय के ११ प्रतिशत तक बढ़ जायेगा तथा १९६७-६८ तक २० प्रति शत तक । विनियोजन को इस प्रकार से बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है । हमें इस बात की जांच करनी होगी कि इसे बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है तथा हमें आशा है कि करारोपण जांच समिति एक विस्तृत आधार पर विकास के लिए हमारे सभी साधनों से काम लेने की कठिन तथा जटिल समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करेगी ।

वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या देश की वर्तमान परिस्थिति में योजना निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में भी विनियोजन की दर को प्रचुर मात्रा में बढ़ाया जा सकता है ? अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार वास्तव में वित्तीय अभाव इस मार्ग में कोई बाधा नहीं है—इस बात को हम बारम्बार कह चुके हैं कि यदि राष्ट्र मूल्य को चुकाने को तैयार हो अर्थात कठोरता और कठिनाई सहन करने को तैयार हो तो वित्त का किसी राशि में भी एकत्र करना असम्भव नहीं है । वास्तविक बाधा प्रायः अनियमित तथा असंतुलित विकास है ।

प्रो० साहा ने ब्रिटन तथा फ्रांस में पूंजी-निर्माण के ऊंचे स्तर का वर्णन किया है। उन्होंनों युद्धोपरान्त काल में इन दो देशों में पूंजी-निर्माण के सम्बन्ध में की गई प्रगति की प्रशंसा की है । अब इस बारे में स्मरणीय बात यह है कि उत्पादन के भूतपूर्व स्तर पर पुनः पहुंचना नए सिरे से विकास की अपेक्षा आसान होता है । यदि किसी देश के पास पहले से ही मशीनें आदि हों, चाहे वह टूटी फूटी अवस्था में ही क्यों न हों, तथा यदि उसके पास सुसंगठित यातायात तथा संचरण व्यवस्था हो तथा उसे आवश्यक टैक्नीकल जानकारी उपलब्ध हो, तो वह देश राष्ट्रीय उत्पादन को बड़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है । एक कम विकसित अर्थ-व्यवस्था में—जैसी कि भारत की है —निर्माण कार्य को लगभग बिना सामान के ही आरम्भ करना पड़ता है । हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फ़ान्स तथा ब्रिटेन को युद्धोपरान्त काल में धन की बहुत बड़ी राशियां वैदेशिक सहायता के रूप में मिली थी ।

प्रो० साहा ने रूस का उदाहरण हमारे सामने रखा है। निस्सन्देह उस देश ने बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं तथा वहां बड़े प्रयास तथा त्याग से विकास के एक नमूने को तैयार किया गया है। सम्भवतः रूस में वही एकमात्र नमूना ही चल सकता था। हम इसे नहीं जानते परन्तु मेरा निवेदन है कि इस बारे में मतभेद हो सकता है कि क्या एक ही नमूना सभी हालतों में उपयोगी सिद्ध हो सकता है? वहां के नमूने को एकाएक तैयार नहीं किया गया। उसमें काफ़ी प्रयोग, परक्षिण तथा गलतियां हुई। उस योजना को लागू करने के अन्तिम अवसर पर भी बड़ा मतभेद विद्यमान था। यदि यह ठीक है तो हमें अपने वर्तमान प्रयास से निराश होने का कोई कारण नहीं तथा नहीं इसे भविष्य में अच्छा बनाने के बारे हमें कोई निराशा होनी चाहिए। पंच-वर्षीय योजना यात्रा की समाप्ति का चिह्न नहीं है। यह यात्रा अभी बहुत लम्बी तथा कठिन है। मंज़िल की ओर अभी हमने कुछ ही आवश्यक पग उठाए हैं। अतएव योजना में कृषि पर तथा सिंचाई, विद्युत शक्ति, यातायात आदि जैसी मूल सेवाओं की स्थापना पर ज़ोर दिया गया है। मैं समझता हूं कि ये पग हमारी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के बिल्कुल अनुकूल ही है, परन्तु औद्योगीकरण, जिस पर प्रो० साहा ने ज़ोर दिया है, आने वाली योजनाओं में अनिवार्य आगामी क्रम होगा। हम आशा करते हैं कि तब प्राथमिकता योजना तदनुसार बदल जाएगी।

श्री मेघनाद साहा : प्रथम क्रम पर ऐसा क्यों नहीं?

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने अभी तक जो कुछ कहा है, वह व्यर्थ ही रहा। (हंसी)

अब श्रीमान, मैं दो और मामलों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। एक तो मद्रास में अकाल की परिस्थिति का मामला है। मद्रास को मेरे विचार से दो कठिनाइयों से बड़ी हानि हुई है। एक तो मेरे विचार से यह है कि उन्होंने १९४५ तथा १९४६ के पूर्व अनुमान पर निर्भर करते हुए, जो बहुत अपार आधार पर तैयार किया गया था, विकास सम्बन्धी व्यय को पूरे ज़ोर से किया। वास्तव में मेरे पास उनकी योजना के बम्बई की योजना से तुलनात्मक आंकड़े मौजद हैं। कोई बहुत अन्तर नहीं हैं। मद्रास योजना का व्यय १४,०८४ लाख रु० है तथा बम्बई योजना का १४,६४३ लाख। मैं समझता हूं कि दोनों राज्य कृषि तथा ग्राम विकास पर उतना ही व्यय कर रहे हैं। एक का व्यय २८ करोड़ रुपये है तथा दूसरे का २२ करोड़ रु०। परन्तु सिंचाई तथा बिजली की मुख्य परियाजनाओं पर बम्बई का व्यय ३३ करोड़ रुपये होगा तथा मद्रास का ८४ करोड़ रु०। बम्बई सामाजिक सेवाओं पर ६७ करोड़ रु० खर्च करेगा तथा मद्रास का यह व्यय २८ करोड़ रु० होगा। जब उन पर कम वर्षा आदि की विपत्ति पड़ी तो मेरे विचार से उन्हें यह अनुभव हुआ कि वे बहुत आगे बढ़ चुके हैं तथा अब पीछे नहीं हट सकते। हमने उनकी यथासम्भव सहायता की। १९५१ से १९५३ तक दो वर्षों में बम्बई को ६४२ लाख रु० की सहायता दी गई। मैं समझता हूं कि बम्बई से इस राशि को बढ़ाने की मांग होगी। मद्रास को दी गई सहायता की राशि १७ करोड़ रु० है। इसके अतिरिक्त हमने मद्रास को उपायों तथा साधनों के रूप में बहुत बड़ी सहायता दी है। यह सत्य है कि अधिक ध्यान रियालसीमा के दुर्भिक्ष की ओर ही दिया

[श्री सी० डी० देशमुख]

जाता रहा है तथा पूछताछ पर मुझे पता लगा है कि अभी तक हमें दाक्षिण में दुर्भिक्ष तथा प्रतिकूल अवस्था के बारे में काफ़ी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। परन्तु ऐसा मालूम होता है कि दुर्भिक्ष का प्रभाव काफ़ी जनसंख्या पर पड़ा है।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास राज्य ने तामिलनाद के बहुत से ज़िलों में बुरी हालत के बारे में रिपोर्ट नहीं दी है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह रिपोर्ट के रूप में तो नहीं। उन्होंने प्रभावित जनसंख्या के आंकड़े तो दिए हैं, परन्तु दुर्भिक्ष की सीमा के बारे में उसमें कुछ सूचना नहीं है। मैंने मुख्य मंत्री के वक्तव्य को देखा है तथा इस बात को स्वीकार करता हूं कि जहां तक दुर्भिक्ष का सम्बन्ध है, कुछ निश्चित सिद्धान्तों पर केन्द्र द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिये, इस बात को स्वीकार करना कठिन है कि मद्रास को राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिए भी सहायता की जानी चाहिये। तथा यह विशेष बात है जिस को स्वीकार करना मेरे लिए सम्भव नहीं हो सकता। जहां तक सहायता कार्यों की स्थापना का सम्बन्ध है, हमारी यह पेशकश है कि व्यय का आधा भाग हम देंगे तथा विशेष कठिनाइयों के कारण हम उन सहायता कार्यों के लिए और ऋण देने के लिए प्रस्तावनाओं पर विचार करने के लिए तैयार हैं जो आवश्यक समझें जायं।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—**पश्चिम कटक**) : मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय को राजस्थान के विस्तृत क्षेत्रों में दुर्भिक्ष के बारे में पता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस बार भी हमें खेद है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तीन मामलों में हमने अधिकारियों के दलों को ठीक ठीक परिस्थिति का पता लगाने के लिए भेजा था तथा हो सकता है कि हमें और छानबीन करनी पड़े। माननीय सदस्यों ने जो विचार यहां प्रकट किए हैं तथा जो सूचना हमें राज्य सरकारों ने दुर्भिक्ष के बारे में भेजी है, वह परस्पर नहीं मिलतीं। प्रत्येक अवस्था में इस मामले में छानबीन की आवश्यकता है।

त्रावणकोर-कोचीन के बारे में यह स्वीकार किया गया है कि इस क्षेत्र को विशेष कठिनाइयां हैं। यह ठीक है कि इसकी जनसंख्या भारत में सब से अधिक घनी है तथा यह भी सत्य है कि बिजली की कमी से उन्हें हानि पहुंची है इस मामले के दीर्घकालीन जल की आवश्यकता है तथा हो सकता है कि त्रावणकोर कोचीन तथा केन्द्र मिल कर इसका कोई हल ढूंढें।

इसके अतिरिक्त चावल तथा कसावे की रसद के निर्यात का सवाल है। कसावे के निर्यात की इजाज़त दी गई थी क्योंकि उत्पादक ज़िलों में इसकी बहुतात थी। माननीया महिला सदस्या के ज़िले में कसावा पैदा नहीं होता है तथा वहां तो कसावे की खपत ही होती है। अब इन दोनों हितों का ख्याल रखना कठिन है। अस्तु, चाहे कसावा हो या कोई और वस्तु, हम इस समस्या के हल की उधेड़बुन में रहते हैं। लगे हाथ, मैं यह भी कह दूं कि पटसन के बारे में भी यही समस्या हमारे सामने है। कपास की भान्ति पटसन के न्यूनतम मूल्य को निश्चित करने का सुझाव दिया जा

सकता है, परन्तु प्रश्न उठ सकता है कि हम पटसन से बनी वस्तुओं को बेचेंगे कहां? पटसन की बनी उन सब वस्तुओं का बेचना हमारी शक्ति से बाहर है। मेरा विश्वास है कि यदि मिलों को आधुनिक प्रकार का बनाया जाय तो पटसन के न्यूनतम मूल्य में तत्काल कुछ रुपयों की वृद्धि की जा सकती है, परन्तु उस में भी हमें उलझन का सामना है। मिलों को आधुनिक प्रकार के बानाने से ८० हजार मजदूर बेकार हो जायंगे। यह इस प्रकार का मामला है जिसका इतनी आसानी से हल नहीं हो सकता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इन समस्याओं पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है। जहां तक चाय का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि स्थिति बहुत कुछ सुधर गई है। इस समय चाय का मूल्य ३ शिलिंग है तथा मैं समझता हूं, बहुत से बागात और खुलने जा रहे हैं। रबड़ के बारें में न्यूनतम मूल्य के निश्चित करने से लाभ ही रहा है। मैं समझता हूं कि अब मूल्य १ शिलिंग ७ पेन्स के स्थान पर, जो बाहर का मूल्य है, १ रु०-६-० है।

बैठने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय महिला सदस्य ने 'मर्चेन्ट आफ वेनिस' से कुछ निराशाजनक उद्धरण दिये हैं। मैं भी अपने भाषण के अन्त में उसी नाटक से एक उद्धरण देना चाहता हूं:

> "इस प्रकार की निराशाजनक बातें मत करो। मैं आप के लिए एक और शुभ समाचार लाया हूं जो आपकी आशा से भी अच्छा है। इस पत्र को शीघ्र खोलो तो देखोगे कि बड़ी कीमती वस्तुओं से लदे तीन जहाज बन्दरगाह में एकाएक हुए आए हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न है कि:

"केन्द्रीय सरकार की वित्तीय वर्ष १९५३-५४ सम्बन्धी कुछ वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने के हेतु विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: शेष के एक घंटे में हम केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक (संशोधन) विधेयक पर खण्डशः विचार करेंगे। अब मैं प्रस्ताव को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न है कि:

> "केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक अधिनियम १९४४ में अग्रेतर संशोधन के हेतु विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार, १० अप्रैल १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

GIPD—HS—28 PSD—30-12-53—285